B.A. (3 Year Programme)

(POLITICAL SCIENCE)

POLS-101

Indian Constitution (Semester – 1)

Directorate of Distance Education

Guru Jambheshwar University of Science & Technology

HISAR-125001

Political Science : Syllabus 101 Indian Constitution (Semester – 1)

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code **: 101**	Author **: Dr. Deepak**
Lesson No. **: 1**	Vetter **:**
Hkkjrh; lafo/kku & fodkl] lzksr] fo”ेशता और प्रस्तावना	

v/;k; & 1 Hkkjrh; lafo/kku & fodkl] lzksr] fo”ेशता और iLrkouk

1-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

1-2- iLrkouk **(Introduction)**

1-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

  1-3-1 संविधान की परिभाशा **(Definition of Constitution)**

  1-3-2- lafo/kku dk fuekZ.k **(Constitution Making)**

  1-3-3- mn~ns”; lEcU/kh iLrko **(Objective Proposal)**

1-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

  1-4-1- lafo/kku fuekZ.k **(Frame Work of the Constitution)**

  1-4-2- Hkkjrh; lafo/kku ds lzksr **(Sources of Indian Constitution)**

  1-4-3- fodklokRed lzksr **(Evolutionary Source)**

  1-4-4 Hkkjr dk lafo/kku & ieq[k fo”ेशताएं **(Constitution of India - Salient Features)**

1-5- viuh izxfr tkaps **(Check your progress)**

1-6- lkjka”k **(Summary)**

1-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

1-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

1-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

1-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf”kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

1-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया गया है :–

- भारतीय संविधान का विकास
- भारतीय संविधान के विकास के स्त्रोत
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भूमिका
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या

1-2- izLrkouk **(Introduction)**

Hkkjrh; lafo/kku dh Hkwfedk & भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। साधारण शब्दों में संविधान सभा का अर्थ किसी दे”ा के लिए संविधान बनाने वाली सभा से लिया जाता है। ,ulkbDyksihfM;k vkQ lks”ky lkbalst (Encyclopaedia of Social Sciences) के अनुसार, ^^lafo/kku lHkk ,d ,slh izfrfuf/k laLFkk gksrh gS] ftls uohu lafo/kku ij fopkj djus vkSj viukus ;k orZeku lafo/kku esa egÙoiw.kZ ifjorZu djus ds fy, fuokZfpr fd;k tk,A** वि”व के इतिहास में हमें संविधान सभा का पहला उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है। अमेरिकन संविधान एक ऐसा लिखित संविधान है जिसकी रचना के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। उसके प”चात् सन् 1789 में फ्रांस में नए संविधान का निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई अन्य दे”ों में संविधान सभा की माँग की गई जिसके परिणामस्वरूप संविधान सभा की स्थापना की गई।

1-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main points of text)**

1-3-1 **संविधान की परिभाशा** :– मन्त्रिमण्डल मि”ान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 नि”चत की गई थी। इनमें से 292 ब्रिटि”ा प्रान्तों के प्रतिनिधि, 93 दे”ाी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमि”नर वाले प्रान्तों के प्रतिनिधि होने थे।

प्रत्येक प्रान्तों को उसकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाना था और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि होना था। संविधान सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं को तीन प्रकार के वर्गों में बांटने का निर्णय किया गया–

(क) साधारण – जिनमें हिन्दू, पारसी, एंग्लो–इंडियन तथा भारतीय ईसाई शामिल थे।

(ख) मुस्लिम तथा

(ग) सिक्ख (केवल पंजाब में)

दे”ाी रियासतों को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया, जो उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे।

प्रान्तों के 296 सदस्यों के चुनाव जुलाई, 1946 में कराए गए। इनमें से 208 स्थान कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को तथा 15 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए। कांग्रेस की इस शानदार सफलता को देखकर मुस्लिम लीग को बड़ी निरा”ाा हुई और उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय किया, परन्तु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसम्बर, 1946 को प्रथम बैठक के साथ आरम्भ किया। इस संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य 26 नवम्बर, 1949 को पूरा कर लिया था। परन्तु संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया क्योंकि इस दिन लागू करने का कारण कांग्रेस ने दिसम्बर, 1929 को अपने लाहौर अधिवे”ान में पूर्ण स्वराज्य के संघर्ष का निर्णय लिया था और 26 जनवरी, 1930 को पूर्ण स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया इसलिए 26 जनवरी, 1930 के दिन के ऐतिहासिक महत्व की यादगार को हमे”ाा बनाए रखने के लिए, संविधान निर्माताओं ने जान–बूझकर 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया।

1-3-2- lafo/kku dk fuekZ.k (Making of the Constitution) & संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (जो संविधान सभा में सबसे वृद्ध अधिक आयु वाले थे।) की अध्यक्षता में हुई और 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया।

1-3-3- mn~ns”; lEcU/kh izLrko (Objective Resolution) – 13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्दे”य सम्बन्धी प्रस्ताव पे”ा किए, जो इस प्रकार थे –

(क) संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातन्त्रीय गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के अपने दृढ़ और पवित्र नि”चय की घोषणा करती है, तथा

(ख) जो क्षेत्र इस समय ब्रिटि”ा भारत में या भारतीय रियासतों के अन्तर्गत हैं तथा भारत के ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटि”ा भारत तथा रियासतों के बाहर हैं, वे सभी अगर प्रभुसत्ता सम्पन्न भारत में मिलना चाहते हैं, तो सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, तथा

(ग) जिसमें उपरोक्त क्षेत्रों को अपनी वर्तमान सीमाओं सहित या ऐसी सीमाओं सहित, जो संविधान सभा द्वारा और उसके बाद संविधान की विधि द्वारा नि”चत की जाएँगी, स्वायत्त इकाइयों का पद मिलेगा और वह सरकार शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सिवाय उन अधिकारों के जो संघ को दिए गए हैं, तथा

(घ) जिसमें प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत, इसके संगठित भागों और सरकार के अंगों की समस्त शक्ति तथा अधिकार जनता से प्राप्त की गई होगी, तथा

(ड) जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद तथा अवसर व कानून के समक्ष समानता, विचार, वि”वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, समुदाय बनाने की, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अनुसार स्वतन्त्रता मिली हुई होगी और सुरक्षित होगी, तथा

(च) जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े हुए कबीलों और जातियों की सुरक्षा की व्यवस्था होगी, तथा

(छ) जिसके द्वारा सभ्य राष्ट्रों के कानून तथा न्याय के अनुसार गणतन्त्र के स्थायित्व जल, थल व वायु पर अधिकार होगा।

(ज) यह प्राचीन भूमि वि”व में उचित व सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगी तथा वि”व शान्ति और मानव कल्याण के लिए अपना पूर्ण ऐच्छिक योगदान देगी।

1-4- ikB d: vkx: dk e|[; Hkkx **(Further main body of the text)**

1-4-1- lfo/kku fuekZ.k **(Frame Work of the Constitution)** –

lfo/kku dk igyk ik:Ik **(First Draft of the Constitution)** – यह संविधान सभा के संवैधानिक पराम”र्दाता बी.एन.राव के निर्दे”ान में संविधान सभा के कार्यालय के द्वारा तैयार किया गया। प्रारूप तैयार करने से पहले कार्यालय ने लगभग 60 दे”ाों के

संविधानों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य तीन ग्रंथों में प्रका"ात किए और उनकी प्रतिलिपियाँ सभा के सदस्यों को दी प्रथम प्रारूप तैयार होने के प"चात् संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संवैधानिक पराम"ीदाता श्री बी.एन. राव को वि"व के प्रमुख संविधान वि"ोषज्ञों से विचार–विम"ी के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड तथा इंग्लैण्ड आदि दे"ाों में भेजा।

lafo/kku lHkk dk Lrj **(Status of the Constituent Assembly)** – सन् 1946 में जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो वह एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था नहीं थी, परन्तु 1947 के भारत स्वतन्त्रता अधिनियम के पास होने के प"चात् यह पूरी तरह से प्रभुसत्ता सम्पन्न बन गई। अब इसे भारत का संविधान बनाने में पूर्ण स्वतन्त्रता थी और इस पर अब किसी प्रकार का कोई बाहरी नियन्त्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा को अब दो रूपों में कार्य करना था। एक रूप में तो इसे भारत का संविधान बनाना था और दूसरे रूप में इसे भारत के लिए साधारण कानूनों का भी निर्माण (संसद का कार्य) करना था।

elkSnk lfefr dh fu;qfDr **(Appointment Drafting Committee)** – विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को एक सात सदस्यीय मसौदा समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे तथा अन्य सदस्य थे –

(क) गोपाल स्वामी आयंगर,

(ख) अलादी कृष्णास्वामी अय्यर,

(ग) के.एम. मुन्"ाी,

(घ) बी.एल. मित्तर,

(ङ) सैयद मुहम्मद सादुला,

(च) डी.पी. खेतान

1-4-2- Hkkjrh; lafo/kku ds lzksr **(Sources of Indian Constitution)** & भारतीय संविधान के स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है –

1- tUe lEcU/kh lzksr **(Seminal Sources)** तथा 2- fodkloknh lzksr **(Developing Sources).**

जन्म–सम्बन्धी स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिन्होंने संविधान के निर्माण पर प्रभाव डाला था और जिनसे हमारे संविधान के निर्माताओं ने कई सिद्धान्त तथा नियम ग्रहण करके भारतीय संविधान में शामिल किए थे। ये स्रोत भारतीय संविधान के निर्माण से पहले मौजूद थे।

विकासवादी स्रोत में वे तथ्य शामिल हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे स्रोत संविधान के लागू होने के प"चात अस्तित्व में आए थे।

1- Hkkjr ljdkj vf/kfu;e] 1935 **(Government of India Act, 1935)** – भारत के वर्तमान संविधान के अधिकां"ा भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित हैं। रॉबर्ट एल. हार्डग्रेव ने लिखा है, ''भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ई. के अधिनियम से या तो शब्द"ाः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है।'' डी.डी. बसु ने हार्डग्रेव की भांति ही लिखा है कि भारतीय संविधान का 75 प्रति"ात भाग, अनुभव पर आधारित किन्हीं सं"ाोधनों सहित, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे नए संविधान की भाषा, विषय–सूची और आकार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 का बहुत अधिक प्रभाव है, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है –

(i) वर्तमान संविधान में संघ–"ाासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम पर आधारित है। प्रान्तों तथा रियासतों (States) को मिलाकर संघ की स्थापना करने का सुझाव इस एक्ट में दिया गया था।

(ii) संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी 1935 के एक्ट पर आधारित है। उस एक्ट में शक्तियों का तीन सूचियों – संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची – में विभाजन किया गया था। नए संविधान में भी ये ही तीनों सूचियाँ अपनाई गई हैं।

(iii) 1935 के एक्ट की भांति नए संविधान में भी संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति"ााली बनाया गया है।

(iv) 1935 के एक्ट की भांति नए संविधान में भी द्वि–सदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है।

(v) नए संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का आधार 1935 के एक्ट का अनुच्छेद 93 है।

(vi) वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का नि"चत रूप से पालन हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस सम्बन्ध में उचित निर्दे"ा देने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी ही व्यवस्था 1935 के एक्ट के अनुच्छेद 126 में की गई थी।

(vii) नए संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां 1935 के एक्ट के अनुच्छेद 10 की प्रतिलिपि हैं।

(viii) केन्द्रीय तथा राज्य के कानूनों में विरोध की स्थिति से निपटने की व्यवस्था नए संविधान के अनुच्छेद 251, 1935 के एक्ट के सैक"ान 107 के अधीन की गई व्यवस्था से मिलती–जुलती है।

(ix) 1935 के एक्ट की भांति नए संविधान में भी कुछ वि"ाष्ट वर्गों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(x) संघ तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भी वर्तमान संविधान और 1935 के एक्ट में एक–जैसी व्यवस्था है।

2- fon"kh lfo/kkuk dk iHkko **(Influence of Foreign Constitutions)** – भारत के संविधान पर वि"व के विभिन्न दे"ाों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसार के अनेक दे"ाों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने दे"ा का संविधान बनाते समय उन दे"ाों में प्रचलित संवैधानिक प्रणालियों में से वे बातें अपनाईं, जो हमारे दे"ा की परिस्थितियों के अनुकूल थीं। मुख्य विदे"ाी संविधान, जिनका प्रभाव वि"ोष रूप से पड़ा है, निम्नलिखित हैं –

(i) fcfV"k lfo/kku **(British Constitution)** – भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटि"ा संविधान का है। यह शायद इस कारण है कि अंग्रेजों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और इस बीच भारतीयों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं का काफी अनुभव हुआ। ब्रिटि"ा संविधान की हमने निम्नलिखित बातें अपनाई हैं –

(1) इंग्लैण्ड के सम्राट् की भांति भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है।

(2) संसदीय प्रणाली इंग्लैण्ड की प्रतिलिपि है।

(3) मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री का श्रेष्ठ स्थान है तथा मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है, जैसा कि ब्रिटेन में है।

(4) मन्त्रिमण्डल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

(5) ब्रिटेन के समान संसद में द्वि–सदनीय विधानमण्डल है और लोकसभा इंग्लैण्ड के कॉमन सदन की भांति अधिक शक्ति”ााली है।

(6) कानून के शासन (Rule of Law) का होना।

भारत और ब्रिटेन के संविधान में इन सब बातों में एकरूपता होते हुए भी मूल अन्तर इस बात का है कि इंग्लैण्ड में इन सबके बारे में कोई लिखित व्यवस्था नहीं की गई है जबकि भारत में इन्हें लिखित संविधान द्वारा अपनाया गया है।

(ii) vefjdk dk lfo/kku **(American Constitution)** – भारत के संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर पड़ा –

(1) हमारे संविधान के आरम्भ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की भांति यह लिखा गया है कि संविधान का निर्माण करने वाले 'हम, भारत के लोग' हैं।

(2) हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के Bill of Rights से मिलते–जुलते हैं।

(3) भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं।

(4) संविधान में सं”ाोधन करने की विधि भी दोनों दे”ाों में एक–जैसी है। कई विषयों के सम्बन्ध में सं”ाोधन करने के लिए हमारे दे”ा में भी अमेरिका की भांति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(5) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त।

(6) उप–राष्ट्रपति के कार्य और दर्जा।

(iii) dukMk dk lafo/kku **(Canadian Constitution)** – कुछ बातें हमने कनाडा के संविधान से भी अपनाई हैं; जैसे –

(1) कनाडा की भांति हमने भारत को राज्यों का संघ माना है।

(2) संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ–साथ केन्द्र को अधिक शक्ति"ाली बनाया है।

(3) शेष शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं।

(iv) vkLVªsfy;k dk lafo/kku **(Australian Constitution)** – आस्ट्रेलिया की भांति हमारे संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था और केन्द्र–राज्यों में झगड़ों का निपटारा करने की विधि (अनुच्छेद 251) अपनाई गई है।

(v) vk;jyS.M dk lafo/kku **(The Irish Constitution)** – राज्य–नीति के निर्दे"ाक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के संविधान पर आधारित है।

(vi) tkiku dk lafo/kku **(Constitution of Japan)** – भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जापान के संविधान का प्रभाव पड़ा है और उसके द्वारा भारतीय संविधान में सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में सन्तुलन लाने का प्रयत्न किया गया है।

3- elkSnk lafo/kku] 1948 **(Draft Constitution of 1948)** – भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत 21 फरवरी, 1948 को प्रस्तुत मसौदा संविधान है, जिसे डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1947 को 7 सदस्यीय स्थापित की गई मसौदा समिति ने तैयार किया था। इसमें 315 अनुच्छेद तथा 8 सूचियाँ थीं, जिन पर संविधान सभा में खूब वाद–विवाद हुआ। सदस्यों द्वारा इसमें 7635 सं"ाोधन पे"ा किए गए जिनमें से 2473 पर विचार किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले नए संविधान के अधिकाँ"ा अनुच्छेद इसी मसौदा संविधान में से ही लिए गए हैं।

4- fofHkUu lfefr;ksa dh fjiksVZ **(Reports of Various Committee)** – मसौदा समिति की स्थापना से पूर्व संविधान सभी द्वारा अनेक समितियों की स्थापना की गई थी, जिनमें मुख्य इस प्रकार थीं –

(i) संघीय शक्तियों की समिति (Union Powers Committee)

(ii) संघीय संविधान समिति (Union Constitution Committee)

(iii) अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित पराम”िदात्री समिति (Advisory Committee on Minorities and Fundamental Rights)

(iv) संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्धों की समिति (Provincial Constitution Committee)

इन समितियों ने विचार–विम”ि के प”चात् अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पे”ा की। इन पर वाद–विवाद के प”चात् सदस्यों द्वारा आव”यक सं”ोधन पे”ा किए गए। मसौदा समिति को इन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर ही संविधान का मसौदा तैयार करने का आदे”ा संविधान सभा द्वारा दिया गया था। 4 नवम्बर, 1948 को संविधान का मसौदा पे”ा करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ एक विषयों को छोड़कर मसौदा समिति ने संविधान सभा के निर्दे”ाों के अनुसार ही संविधान का मसौदा तैयार किया है। हमारे संविधान के अनेक अनुच्छेदों का आधार इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है।

1-4-3- fodklokn lkr **(Evolutionary Source)** – भारतीय संविधान के विकास एवं विस्तार में योगदान देने वाले तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के रूप में किया जा सकता है –

1- lln }kjk ikl fd, x, vf/kfu;e **(Acts passed by the Parliament)** – संविधान के अनुसार अनेक शासनीय व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए अग्रलिखित कानून उल्लेखनीय हैं –

(i) निरोधक नजरबन्दी अधिनियम, 1950 (Preventive Detention Act, 1950)

(ii) 1950, 1951 का जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of Peoples Act 1950, 1951)

(iii) 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम (Finance Commission Act, 1951)

(iv) 1952 का राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम (Presidential and Vice-Presidential Election Act, 1952)

(v) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (Indian Citizenship Act, 1955)

(vi) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Re-organization Act, 1956)

(vii) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधी”ा संख्या) अधिनियम, 1956 (Supreme Court's 'Number of Judges' Act, 1956)

(viii) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (Bombay Re-organization Act, 1960)

(ix) नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 (State of Nagaland Act, 1962)

(x) सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 (Official Language Act, 1963)

(xi) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (The Punjab Re-organization Act, 1966)

(xii) 1967 का गैर–कानूनी गतिविधियों के बचाव सम्बन्धी अधिनियम (The Unlawful Activities Prevention Act, 1967)

(xiii) 1971 का आन्तरिक सुरक्षा स्थापित रखने सम्बन्धी अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act, 1971)

(xiv) 1974 का विदे”ाी मुद्रा की रक्षा तथा स्मगलिंग के बचाव सम्बन्धी अधिनियम (The Conservation of the Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974)

(xv) 1977 का प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के चुनाव–विवादों के सम्बन्ध में अधिनियम (Disputed Elections of Prime Minister and Speaker Act 1977) क

2- U;kf;d fu.k; **(Judicial Decisions)** – भारतीय संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय भी वि”ोष महत्व रखते हैं और ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन न्यायालयों ने संविधान के रक्षक और व्याख्याकर्ता होने के नाते कई प्रसिद्ध फैसले दिए हैं जो अब संविधान का भाग बन गए हैं; जैसे Gopalan V/s State of Madras के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्वतन्त्रता के क्षेत्र की व्याख्या की। इसी प्रकार Madras V/s Champakam Dorairajan के मुकदमे में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्य–नीति के निदे”ाक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है।

3. lo/kkfud fo”ोशज्ञों के विचार (Views of Constitutional Experts) & संवैधानिक वि”ोषज्ञों ने संविधान के बारे में अपने–अपने विचार अपने–अपने संवैधानिक लेखों में व्यक्त किए हैं। भले ही इन विचारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन विचारों का प्रभाव हमारे कानून–निर्माताओं तथा न्यायाधी”ाों पर अव”य पड़ता है। इस श्रेणी के वि”ोषज्ञों में मुख्य व्यक्ति हैं –

4. lo/kkfud l”kk/ku (Constitutional Amendments) & संविधान के लागू होने के समय से लेकर 2021 तक 105 सं”ाोधन हो चुके हैं, जो अब संविधान के अभिन्न

अंग है तथा एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन सं”ाोधनों द्वारा मूल संविधान में बहुत परिवर्तन आए हैं। इनमें बहुत–सी बातों की वृद्धि हुई है तथा कुछ को संविधान से निकाल दिया गया है। प्रथम सं”ाोधन द्वारा नागरिकों के स्वतन्त्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई।

5. iFkk,¡ **(Conventions)** & यद्यपि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, फिर भी इस दे”ा में महत्वपूर्ण प्रथाएँ विकसित हुई हैं, जो संविधान के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इनमें से कुछ प्रथाएँ इस प्रकार हैं –

(i) संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं परन्तु प्रथा यह है कि वह मन्त्रिमण्डल के पराम”ा के अनुसार ही कार्य करता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 74 में मन्त्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है न कि मन्त्रिमण्डल का। मन्त्रिमण्डल प्रथा पर आधारित है। जो कि वास्तविक अर्थ में दे”ा के शासन का संचालन करती है।

(iii) राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परन्तु प्रथा के आधार पर संघीय सरकार किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमन्त्री की सलाह लेती है।

(iv) अब यह भी प्रथा बन गई है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।

(v) लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष (स्पीकर) निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करते हैं, चाहे वे किसी दल से संबंधित क्यों न हों।

(vi) लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने का प्रयास परम्परा पर ही विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद पर विपक्षी दलों के प्रत्या”ाी को चुनना भी परम्परा पर ही आधारित है।

1-4-4 Hkkjr dk lafo/kku & ieq[k fo”ोशताएं **(Constitution of India - Salient Features)** %&

भारतीय संविधान की मुख्य वि”ोषताएँ नीचे सूचीबद्ध और संक्षिप्त है :

1- Lkcls yEck fyf[kr lafo/kku :

- संविधानों को लिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अमेरिकी संविधा, या अलिखित, जैसे ब्रिटि”ा संविधान।
- भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है।
- यह एक बहुत व्यापक, विस्तृत और विस्तृत दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान के हाथी के आकार में योगदान देने वाले कारक है –
    - Hkkxkfyd dkjd अर्थात् दे”ा की वि”ाालता और उसकी विविधता।
    - ,frgkfld dkjd, उदाहरण के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव, जो भारी था।
    - केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान।
    - संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व।
- भारत के संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत बल्कि विस्तृत प्र”ाासनिक प्रावधान भी हैं।
- न्यायोचित और गैर–न्यायिक दोनों अधिकार संविधान में शामिल है।

2- fofHkUu L=krk l fy;k x;k :

- भारत के संविधान ने अपने अधिकां”ा प्रावधानों को विभिन्न अन्य दे”ाों के संविधानों के साथ–साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम (1935 के अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है) से उधार लिया है।
- डॉ बीआर अम्बेडकर ने गर्व से प्र”ांसा की कि भारत के संविधान को ‘दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़कर’ बनाया गया है।
- संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
- संविधान का दा”ानिक भाग (मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्दे”ाक सिद्धांत) क्रम”ाः अमेरिकी और आयरि”ा संविधानों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

- संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हद तक ब्रिटि”ा संविधान से लिया गया है।

3- ljdkj dk lalnh; Lo:i %&

- भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटि”ा संसदीय शासन प्रणाली को चुना है।
- संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है।
- संसदीय प्रणाली को सरकार, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल के रूप में भी जाना जाता है।
- संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, और इसलिए इसे 'प्रधानमंत्री सरकार' कहा जाता है।

4- Hkkjr esa lalnh; ljdkj dh fo”ोशताएं क्या है\

भारत में संसदीय सरकार की वि”ोषताएं इस प्रकार है :

- वास्तविक और नाममात्र के अधिकारियों की उपस्थिति।
- बहुमत दल शासन।
- विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी।
- विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।
- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व।
- निचले सदन का विघटन (लोकसभा या विधानसभा)

5- lalnh; laiHkqrk vkSj U;kf;d l”लेशण :–

- संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटि"ा संसद से जुडा है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ जुड़ा हुआ है।
- जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटि"ा प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में निहित 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के खिलाफ 'कानून की उचित प्रक्रिया' प्रदान करता है।
- इसलिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटि"ा सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित सं"लेषण को प्राथमिकता दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में सं"ाोधन कर सकती है।

6- **कानून का भाासन** :–

- इस स्वयंसिद्ध के अनुसार, लोग कानून द्वारा शासित होते है लेकिन पुरूषों द्वारा नहीं, यानी मूल सत्यवाद कि कोई भी व्यक्ति अचूक नहीं है। लोकतंत्र के लिए स्वयंसिद्ध महत्वपूर्ण है।
- अधिक महत्वपूर्ण यह अर्थ है कि कानून लोकतंत्र में संप्रभु है।
- कानून का मुख्य घटक रिवाज है जो कि वर्षों की लंबी संख्या में आम लोगों की अभ्यस्त प्रथाओं और वि"वासों के अलावा और कुछ नहीं है।
- अंतिम वि"लेषण में, कानून के शासन का अर्थ है आम आदमी की सामूहिक बुद्धि की संप्रभुता।
- इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा, कानून के शासन का मतलब कुछ और चीजें है जैसे
    - मनमानी की कोई गुंजाइ"ा नहीं।

- प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और
- सर्वोच्च न्यायपालिका दे”ा के कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अंतिम अधिकार है।

- भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए (सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है), लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के उद्यम के रूप में जाना जाता है ‘जनहित याचिका’ लागू की गई है।
- साथ ही, दे”ा के आज के कानून के अनुसार, कोई भी पीठासीन न्यायिक प्राधिकारी से अपील कर सकता है। वह मामले पर स्वयं बहस करे या न्यायपालिका की सहायता से कानूनी सहायता प्राप्त करे।

7- ,dhd`r vkj Lor= U;k;ikfydk %&

- भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है।
- साथ ही, भारतीय संविधान भारतीय न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त करने में सक्षम बनाकर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।
- सर्वोच्च न्यायायल न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में खड़ा है। उच्चतम न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है।
- एक उच्च न्यायालय के तहत, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम है, जो कि अदालतें और अन्य निचली अदालतें है।
- सुप्रीम कोर्ट एक संघीय अदालत है, अपील की सर्वोच्च अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी और संविधान का संरक्षक है। इसलिए, संविधान ने अपनी स्वतंत्रता सुनि”चत करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं।

8- ekSfyd vf/kdkj %&

- भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण वि”ोषताओं में से एक है।

- संविधान में बुनियादी सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक इसांन के रूप में कुछ अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार है और ऐसे अधिकारों का आनंद किसी बहुमत या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है।
- किसी भी बहुमत को ऐसे अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ाव देने के लिए हैं।
- वे कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- वे प्रकृति में न्यायोचित है, अर्थात् उनके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है।

9- jkT; d uhfr funs”kd fl)kr :–

- डॉ बीआर अम्बेडकर के अनुसार, राज्य के नीति निर्दे”ाक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक ‘उपन्यास वि”ोषता’ है।
- इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है।
- हमारे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए निदे”ाक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था।
- निर्दे”ाक सिद्धांतों का उद्दे”य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ कुछ के हाथों में धन का संकेद्रण नहीं होगा।
- वे प्रकृति में गैर–न्यायिक है।
- मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्दे”ाक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है।

10-ekfyd drO; %&

- मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था।
- मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वें सं”ोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारि”ा पर जोड़ा गया था।
- यह भारत के सभी नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है।

- बद में 2002 के 86वे संविधान सं"ाोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
- जबकि अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, कर्तव्य वे दायित्व हैं जो प्रत्येक नागरिक से निभाने की अपेक्षा की जाती है।
- हालांकि राज्य के नीति निदे"ाक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी प्रकृति में गैर–न्यायिक है।
- कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य है।

11-Hkkjrh; /kelfujis{krk %

- भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खड़ा है।
- इसलिए यह किसी वि"ोष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है।
- भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की वि"ाष्ट वि"ोषताएं है :
  - राज्य स्वयं की पहचान किसी धर्म के साथ नहीं करेगा या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा
  - जबकि राज्य सभी को किसी भी धर्म को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है (जिसमें विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है) यह उनमें से किसी को भी अधिमान्य उपचार नहीं देगा
  - राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा तथा
  - प्रत्येक नागरिक को किसी भी सामान्य शर्त के अधीन, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में प्रवे"ा करने का अधिकार साथी नागरिकों के समाना होगा। राजनीतिक समानता जो किसी भी भारतीय नागरिक को राज्य के तहत सर्वोच्च पद पाने का अधिकार देती है, संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता का दिल और आत्मा है।
- अवधारणा का उद्दे"य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में धर्म विरोधी है।

- धर्मनिरपेक्षता की पि"चमी अवधारणा धर्म और राज्य (धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा) के बीच पूर्ण

12-,dkRed iokxg dk lkFk l?kh; 0;oLFkk %&

- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- इसमें एक संघ की सभी सामान्य वि"ोषताएं शामिल है, जैसे कि दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।
- हालाँकि भारतीय संविधान में बडी संख्या में एकात्मक या गैर–संघीय वि"ोषताएँ भी शामिल है, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका, और इसी तरह।
- इसके अलावा, 'फेडरे"ान' शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 1, भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है जिसका तात्पर्य दो चीजों से है :
    - भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
    - किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- इसलिए, भारतीय संविधान को केसी व्हेयर द्वारा 'संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक', 'अर्ध–संघीय' के रूप में वर्णित किया गया है।

13- lkoZHkkSfed o;Ld erkf/kdkj %&

- भारतीय लोकतंत्र 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
- भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का हकदार है।
- भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है।

14-,dy ukxfjdrk :–

- एक संघीय राज्य में आमतौर पर, नागरिक दोहरी नागरिकता का आनंद लेते हैं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है।
- भारत में केवल एक ही नागरिकता है।
- इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो।
- वह झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ जैसे संविधान राज्य का नागरिक नहीं है, जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन भारत का नागरिक बना रहता है।
- भारत के सभी नागरिक दे”ा में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं।
- संविधान निर्माताओं ने क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए जानबूझकर एकल नागरिकता का विकल्प चुना।
- एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एक भावना पैदा की है।

1-5- viuh izxfr tkap **(Check your progress)**

नीचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :–

(i) भारत के लिए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी।

(ii) मसौदा समिति के प्रधान कौन थे?

(iii) भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी।

(iv) संविधान सभा का अन्तिम सम्मेलन कब हुआ था।

(v) संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था?

(vi) भारत के संविधान का पिता कौन माना जाता है?

1-6- lkjk”k (Summary) – ऊपर दिए गए विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने विदे”ाी संविधानों से बहुत–सी बातें ली हैं जिनके परिणामस्वरूप कई बार इसे ^m/kkj yh xbZ oLrqvksa dk FkSyk* (Bag of Borrowings) अथवा ^fofo/k lafo/kkuksa dh f[kpMh* (Hotch Potch) कहकर पुकारा जाता है, परन्तु यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है। वास्तव में उनके द्वारा विदे”ाी संविधानों की उन धारणाओं तथा व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया गया जो उन दे”ाों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही थीं और भारत की परिस्थितियों के

अनुकूल थीं। इस प्रकार भारतीय संविधान विदे”ाों से उधार लिया हुआ संविधान नहीं, बल्कि विभिन्न विदे”ाी संविधानों की आद”ार्—व्यवस्थाओं का संग्रह है। संविधान सभा के अध्यक्ष Mk- jktUn ilkn ने कहा था कि यदि हम अन्य संविधानों से आद”ार् व्यवस्थाएं ग्रहण नहीं करते तो सम्भवतः अपने अहम् की सन्तुष्टि करते, परन्तु भारत की व्यावहारिक आव”यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के बाद के समय तक संवैधानिक सिद्धान्तों का पर्याप्त विकास हो चुका था और ऐसी स्थिति में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना सम्भव नहीं था। वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्”िाता का ही कार्य किया। विदे”ाी संविधान की आँख मूंदकर नकल नहीं की गई है, बल्कि विभिन्न संविधानों की वि”ोषताओं के संग्रह से भारतीय संविधान में मौलिकता भी आ गई है। अतः भारतीय संविधान को उधार ली गई वस्तुओं का थैला कहना सरासर गलत है।

1-7- सूचक भाब्द (Key Words)

संविधान प्रस्तावना, मन्त्रिमंडल, स्थगन प्रस्ताव, संविधान सभा

lfo/kku & संविधान कानूनों का ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी दे”ा की सरकार को चलाया जाता है, ये कानून दे”ा की सभी संस्थाओं पर लागु होते हैं तथा बाध्य होते हैं।

iLrkou & प्रस्तावना, संविधान का मूल रूप है जिसके आधार पर संविधान का निर्माण होता है।

efU=e.My & मन्त्रिमण्डल में सरकार के सभी मन्त्रिगण शामिल होते हैं जो कानूनों के निर्माण में सलाहकारी कार्य करने के साथ कानूनों को बनाने में भूमिका निभाते हैं।

LFkxu iLrko & स्थगन प्रस्ताव से हमारा अभिप्राय उन प्रस्तावों से है जिनके आधार पर सरकार उन कानून के निर्माण के कार्यों को विपक्ष रोकने का प्रयास करता है जो जनता के हित में न हो।

lfo/kku lHkk & संविधान सभा का निर्माण संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। संविधान सभा में प्रारम्भ में 389 सदस्य थे।

1-8- Lo; eY;kdu gr i”u (Self Assessment Questions) :-

1. भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें।

Describe the main sources of Indian Constitution.

2. ''भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धान्तों का समूह है।'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करें।

"The Constitution of India is a bag of borrowings." Do you agree to this statement? Explain.

3. 'भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 का ''गौरवपूर्ण संस्करण'' है।' इस कथन की दृष्टि में भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए।

'The Constitution of India is a "glorified edition" of the government of India Act, 1935'. In the light of this statement, describe the main sources of Indian Constitution.

4. ''हमारे संविधान–निर्माताओं ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक संविधान बनाएँगे, वे तो एक व्यावहारिक संविधान बनाना चाहते थे।'' इस कथन की दृष्टि से भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए।

'It was not the purpose of our constitution makers to produce an original or unique constitution. What they wanted was a good and a workable one.' In the light of this statement describe the sources of Indian Constitution.

5. भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में संविधान के सं”ाोधनों तथा परम्पराओं का वर्णन कीजिए।

Describe the various Amendments of the Constitution and the conventions as the sources of Indian Constitution.

6. भारतीय संविधान एक उधार लिया गया थैला है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करें।

Indian Constitution is a Bag of Borrowing. Do you agree with this statement? Explain.

1-9- viuh izxfr dh tkp djus ds fy, mÙkj **(Answer to check your progress)**

(i) स्वराज दल ने

(ii) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(iii) 12

(iv) 24 जनवरी 1950

(v) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा

(vi) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

1.10. lUnHk xUFk@funf"kr i|Lrd (References / Suggested Readings)

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code **: BA101**	Author **: Dr. Deepak**
Lesson No. **: 2**	Vetter **:**
ekSfyd vf/kdkj] ekSfyd dÙkZO; vkSj jkT; uhfr ds funs”kd fl)kar	

v/;k;&2 ekSfyd vf/kdkj] ekSfyd dÙkZO; vkSj jkT; uhfr ds funs”kd fl)kar

2-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

2-2- izLrkouk **(Introduction)**

2-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

- 2-3-1 ekSfyd vf/kdkj D;k gS\ **(What are Fundamental Rights?)**
- 2-3-2- ekSfyd vf/kdkj dh fo”शेषताएं **(Features of Fundamental Rights)**
- 2-3-3- ekSfyd vf/kdkjksa dks lafo/kku esa j[kus dk mn~ns”; **(Purpose of including Fundamental Rights in the Constitution)**
- 2-3-4- ekSfyd dÙkZO; **(Fundamental Duties)**

2-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

- 2-4-1- la?kkRed ljdkj dk vFkZ **(Meaning of Federal Government)**
- 2-4-1- mnsf”kdk **(Preamble)**

2-5- viuh izxfr tkaps **(Check your progress)**

2-6- lkjka”k **(Summary)**

2-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

2-8- Lo;a eqY;kadu grq iz”u **(Self Assessment Questions)**

2-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer to check your progress)**

2-10- lUnHkZ xzUFk@funsf”kr iqLrds **(References/Suggested Reading)**

2-1 vf/kxe mnn”; (Learning Objectives)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयो के बारे में अध्ययन करेंगे :–

- मौलिक अधिकारों का अध्ययन
- मौलिक कर्त्तव्यों की विस्तृत जानकारी
- संघवाद की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण
- संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन
- भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण

2-2- iLrkouk (Introduction)

राज्य तथा व्यक्ति के आपसी सम्बन्धों की समस्या सदा से ही बहुत अधिक जटिल समस्या रही है और वर्तमान समय की लोकतन्त्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण आव”यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएँ लगाना आव”यक है ताकि राज्य मनमाने तरीके से कार्य करते हुए नागरिकों की स्वतन्त्रता एवं अधिकारों के विरूद्ध कार्य न कर सके। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था राज्य की स्वेच्छाचारी शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने का एक श्रेष्ठ उपाय है।

भारतीय संविधा के तीसरे भाग (अनुच्छेद 12–35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये वे अधिकार हैं, जो एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आव”यक समझे जाते हैं और यह अनुभव किया जाता है कि इनका प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों की व्यवस्था केवल भारतीय संविधान में ही नहीं, संसार के अन्य संविधानों में भी की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान आदि दे”ाों के संविधानों में भी इनका वर्णन किया गया है इसका कारण यह है कि इनकी व्यवस्था लोकतन्त्रीय शासन–प्रणालीके लिए बहुत ही आव”यक है। इन अधिकारों के प्रयोग से ही राज्य में ऐसी परिस्थितियों की स्थापना हो सकती है, जिनमें नागरिक अपना शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास कर सकते हैं। लोकतन्त्रीय शासन–प्रणाली में सत्ता बहुसंख्यक दल के हाथों में होती है, जो इसका प्रयोग अपने सदस्यों की भलाई के लिए करता है। नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग ही उसे ऐसा करने से रोक सकता है। th-,u- tk”kh (G.N. Joshi)

ने लिखा है, ''मौलिक अधिकार ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनन्द पा सकते हैं। इन अधिकारों के बिना लोकतन्त्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से सदा अत्याचार का भय बना रहता है।

2-3- v/;;u ds eq[; fcUnq (Main points of text) %&

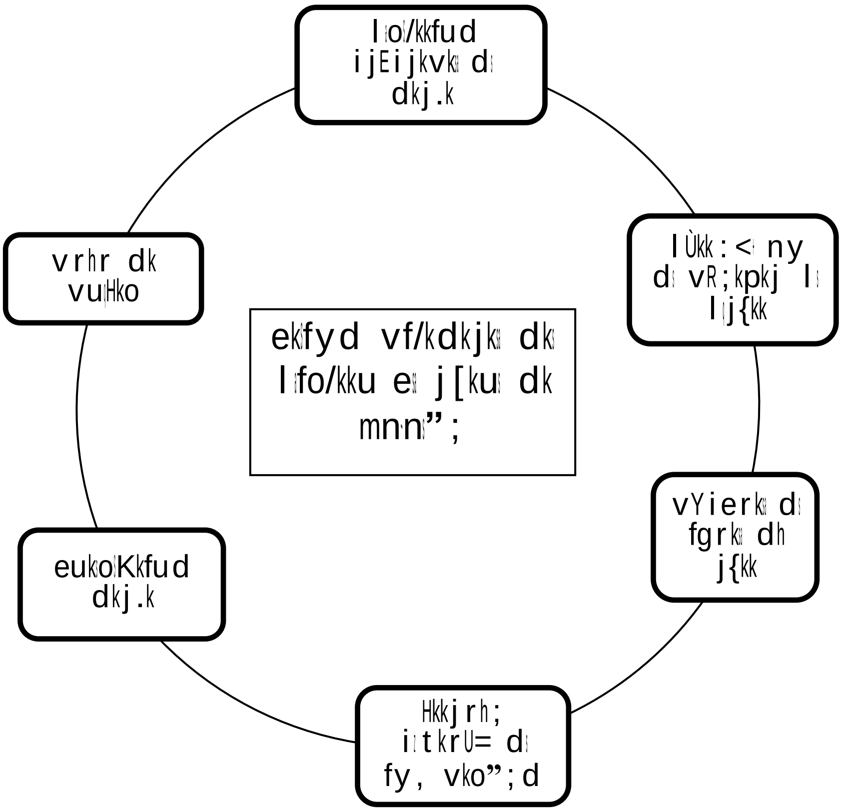

2-3-1 ekSfyd vf/kdkj D;k gSa\ (What are Fundamental Rights?)

मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि में भी मौजूद थे। मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है

क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे जरूरी हैं।

ekSfyd vf/kdkj : भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित, मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत बुनियादी मानवाधिकार है। छह मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

2-3-2- ekSfyd vf/kdkj dh fo”ोशताएं (Features of Fundamental Rights)

1. **राश्ट्रीय आंदोलन के भावना के अनुकूल** : भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय नेतओं ने अंग्रेजों के समझ बार–बार अपने अधिकारों की मांग रखी थी। स्वतंत्रता के प”चात् सौभाग्यव”ा भारतीय संविधान सभा के लिये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बहुमत में निर्वाचित हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय की अपनी पुरानी मांग को भारतीय संविधन मं सर्वोपरी प्राथमिकता देते हुए मौलिक आधिकारों की व्यवस्था की।
2. lokZf/kd foLr`r ,oa O;kid vf/kdkj %& भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो अन्य दे”ाों के संविधान में किये गये वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है।
3. O;kogkfjdrk ij vk/kkfjr :– भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धांत न होकर व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। किसी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गयी है। साथ ही अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग की उन्नति एवं विकास के लिए वि”ोष व्यवस्था भी की गयी है।
4. vf/kdkjksa ds nks :i %& मौलिक अधिकारों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दो रूप है। सकारात्मक स्वरूप में व्यक्ति को वि”ाष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता धर्म f”ाक्षा और संस्कृति आदि से संबंधित अधिकारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार सकारात्मक अधिकार सीमित एवं मर्यादित है। नकारात्मक स्वरूप में वे अधिकार आते हैं जो निसेधाज्ञाओं के रूप में है और राज्य की शक्तियों को सीमि एवं मर्यादित करते हैं। इस प्रकार नकारात्मक अधिकार असीमित है।

5. ekfyd vf/kdkj vlhfer ugh %& भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गयी। लोक कल्याण, प्र”ाासनिक कु”ालता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं। संसद ने सन् 1979 में 44 वें संविधान द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया है।

6. ljdkj dh fujdq”krkij vadq”k %& मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के द्योतक और उसकी भारतीय नागरिकता के परिचायक है। संविधान द्वारा इनके उपयोग का पूर्ण आ”वासन दिया गया है। अतः किसी भी स्तर की भारत सरकार मनमानी करते हुए उन पर अनुचित रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सरकार, जिला–परिषद, नगर–निगम या ग्राम पंचायतें आदि समस्त निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।

7. jkT; ds lkekU; dkuuks ls Åij %& मौलिक अधिकार को दे”ा के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान में स्थान दिया गया है और साधारणतया संविधान सं”ाोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार संसद और राज्य–विधानमण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों से ऊपर है। संघीय सरकार या राज्य सरकार इनका हनन नहीं कर सकती। ‘गोपालन बनाम मद्रास राज्य’ विवाद में न्यायाधी”ा श्री पातंजति शास्त्री ने कहा था – ‘‘मौलिक अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ वि”ोषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित कानूनों से ऊपर है।’’

8. U;k;ky; }kjk lqj{k.k :– मौलिक अधिकार पूर्णतया वैधानिक अधिकार है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों या सार्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप में प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह संविधान द्वारा दिये गये

संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आव”यक निर्दे”ा भी निर्गत कर सकती है।

9. Hkkjrh; ukxfjdk rFkk fonf”k;k e vrj ¼& भारतीय नागरिकों तथा भारत में निवास करने वाले विदे”ाी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों में अंतर है। मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ–साथ विदे”ायों को भी प्राप्त है, जैसे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, परन्तु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपभोग विदे”ाी नागरिक नहीं कर सकते।

2-3-3- ekfyd vf/kdkjk dk lfo/kku e j[ku dk mnn”; **(Purpose of including Fundamental Rights in the Constitution)**

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए मौलिक तथा आव”यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों के प्रयोग में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों के मौलिक होने का प्रथम कारण यह है कि ये व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए आव”यक माने जाते हैं और इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रूक जाएगा। इन अधिकारों को दे”ा के संविधान में स्थान दिया जाता है, ताकि संवैधानिक सं”ाोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन न किया जा सके। दूसरे, मौलिक अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय होते हैं अर्थात् विधानमण्डल, कार्यपालिका अथवा सत्तारूढ़ दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अन्त में, मौलिक अधिकार न्याय–संगत (Justiciable) होते हैं अर्थात् न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकती है।

मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के निम्नलिखित कारण थे –

1- lo/kkfud ijEijkvk d dkj.k **(Reasons for the Constitutional Traditions)** – भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक मुख्य कारण यह था कि संसार के अन्य सभी संविधानों में इन अधिकारों को रखा गया। संयुक्त राजय अमेरिका के संविधान के पहले दस सं”ाोधनों में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त फ्राँस, जापान, स्विट्जरलैण्ड तथा चीन आदि दे”ाों में मौलिक

अधिकारों को संविधान में उचित स्थान दिया गया है। इस कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी अपने संविधान में इन अधिकारों को शामिल किया।

2- vrhr dk vuHko **(Past Experience)** – भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में बहुत से सदस्य ऐसे थे, जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, ब्रिटि”ा कार्यपालिका के अत्याचार सहे थे और दण्डित हुए थे। अतः वे ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जिसमें कार्यपालिका नागरिकों पर अत्याचार न कर सके। इस कारण भी मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया।

3- lÙkk:< ny d vR;kpkj l lj{kk **(Protection from the Tyranny of the Ruling Party)** – मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि संविधान के निर्माता नागरिकों को सत्ताधरी दल के अत्याचार से बचाना चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन अधिकारों में सं”ाोधन करने की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह साधारण होती तो सत्ताधारी दल इनमें सं”ाोधन करके जनता पर अत्याचार कर सकता था।

4- eukoKkfud dkj.k **(Psychological Reasons)** – संविधान में मौलिक अधिकारों का समावे”ा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी किया गया है। इससे नागरिकों में यह भावना पैदा होती है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे नागरिकों में नैतिकता का विकास होता है, अतः उनमें साहस की, अन्यायों के विरूद्ध संघर्ष करने की तथा अपना विकास करने की भावना पैदा होती है। स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का संविधान में समावे”ा राष्ट्र के चरित्र को उन्नत करता है।

5- vYierk d fgrk dh j{kk **(Safeguard of Minorities)** – भारत एक वि”ााल दे”ा है। यहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। भले ही दे”ा में संस्कृति का आधार एक ही है, परन्तु सभ्यता में अन्तर होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में कहीं बहुसंख्यक अपने बहुमत के आधार पर कोई वस्तु अल्पमतों पर न थोपें, इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया। अल्पमतों को धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion), सांस्कृतिक तथा f”ाक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights) आदि प्रदान किए गए।

6- Hkkjrh; itkrU= d fy, vko”;d **(Necessary for Indian Democracy)** – भारत काफी समय तक ब्रिटि”ा सरकार के अधीन रहा है, जिससे यहाँ

प्रजातन्त्रीय संस्थाओ का विकास नहीं हो सका। लोकतन्त्रीय शासन–प्रणाली को सफल बनाने के लिए लोकतन्त्रीय परम्पराओं का होना अति आव”यक है। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को सरकार के हाथों में रखना उचित नहीं था। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखना आव”यक हो गया, ताकि कोई सत्ताधारी दल इन अधिकारों का उल्लंघन न कर सके।

ekSfyd vf/kdkjksa dh fo”ेशताएँ (लक्षण) (Features Characteristics of Fundamental Rights) – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारो की मुख्य वि”ोषताएँ निम्नलिखित हैं –

1- foLr`r RkFkk tfVy **(Elaborate and Complex)** – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत ही विस्तृत तथा जटिल हैं। विस्तृत होने का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक अधिकार को विस्तारपूर्वक लिखा गया है और उनके हर भाग को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त ये जटिल इस कारण से हैं कि प्रत्येक अधिकार पर प्रतिबन्ध और सीमा भी नि”चत की गई हैं; जैसे अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई है परन्तु इसी अनुच्छेद के अलग–अलग प्रावधानों में उन प्रतिबन्धों का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सरकार इन अधिकारों के उपयोग पर आव”यकतानुसार प्रतिबन्ध लगा सकती है।

2- ljdkjksa rFkk ljdkjh laLFkkvksa ij izfrcU/k **(Restrictions on the Governments and governmental Authorities)** – मौलिक अधिकारों के अध्याय में उन उपबन्धों का भी वर्णन है, जो राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। अनुच्छेद 18 राज्य को आज्ञा देता है कि वह किसी नागरिक को ि”ाक्षा या सेना सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और उपाधि प्रदान न करे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 13(2) में भी यह स्पष्ट व्यवस्था है कि ‘‘राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के तृतीय भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है या घटाता है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा तो वह कानून उस सीमा तक रद्द समझा जाएगा, जिस सीमा तक इस धारा की अवहेलना करता है।’’

3- vf/kdkj fujadq”k ugha **(Rights are not Absolute)** – हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार पूर्ण और निरंकु”ा नहीं है। प्रत्येक अधिकार के साथ–साथ उन पर प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं। कुछ अधिकारों पर तो ये सीमाएँ ओर

प्रतिबन्ध संविधान द्वारा ही निf"चत कर दिए गए हैं और कुछ पर संसद को आव"यकतानुसार प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

4- ukxfjdk rFkk fonf"k;k e Hkn djuk **(Distinction between Citizens and Aliens)** – मौलिक अधिकारों के उपभोग में नागरिकों और विदेf"ायों में भेद रखा गया है। कानून के सामने समानता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता जैसे अधिकार तो दे"ा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदे"ाी, परन्तु कई अधिकार केवल दे"ा के नागरिकों को ही प्राप्त हैं; जैसे भाषण देने तथा एकत्र होने की स्वतन्त्रता। विदेf"ायों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते।

5- lfo/kku d vfrfjDr vkj vf/kdkjk dk u gkuk **(No Rights outside the Constitution)** – हमारे दे"ा के संविधान द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। नागरिकों को इस भाग में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं, जिन्हें मौलिक माना जा सकता है।

6- l/kkj.k 0;fDr;k rFkk lLFkkvk ij iHkko gkuk **(Effect on Private Individuals and Organisations)** – संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रभाव सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर–सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी है; जैसे छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

7- vf/kdkjk dk fuyEcu **(Suspension of Rights)** – संविधान निर्माता जानते थे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को केवल साधारण परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने संकटकाल के समय दे"ा के व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए इन अधिकारों के निलम्बित किए जाने की व्यवस्था भी की है। संकटकाल में राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रदान किया गया स्वतन्त्रता का अधिकार स्थगित किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति नागरिकों का न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार भी निलम्बित कर सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत दी गई जीवन एवं निजी स्वतन्त्रता की सुरक्षा का अधिकार संकटकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता।

8- lln dk ekfyd vf/kdkjk dk l"ाोधन करने की भाक्ति **(Parliament's Power to amend Fundamental Rights)** – संविधान के अन्तर्गत संसद

को मौलिक अधिकारों में सं"ाोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके लिए उसे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। गोलकनाथ के प्रसिद्ध मुकद्मे में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति को नहीं माना, परन्तु संविधान इस बारे में स्पष्ट नहीं।

9- udkjkRed rFkk ldkjkRed vf/kdkj **(Negative and Positive Rights)** – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रका के हैं। नकारात्मक अधिकार निषेधों की तरह हैं, जो सरकार की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। उदाहरणस्वरूप, साधारण काल में सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि नागरिकों की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का आघात हो।

ekfyd vf/kdkjksa dk oxhZdj.k **(Classification of Fundamental Rights)** – भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग (अनुच्छेद 12–35) में किया गया है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का सम्बन्ध अधिकारों के सामान्य रूप से है।

अनुच्छेद 12 में 'राज्य' शब्द की परिभाषा की गई है, जिसके अर्थ में केन्द्रीय कार्यपालिका, संसद, राज्यों की सरकारों और विधानसभाओं के अतिरिक्त भारत के क्षेत्र में स्थित सभी स्थानीय सरकारें तथा अन्य विभाग सम्मिलित हैं, जिन पर भारत सरकार का नियन्त्रण स्थापित है। इस प्रकार 'राज्य' शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है, जिसमें सरकार का प्रत्येक विभाग आ जाता है, चाहे वह कार्यपालिका है या विधानपालिका, केन्द्रीय है या प्रान्तीय। इन सबको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की मनाही की गई है।

44वें सं"ाोधन के पास होने से पूर्व संविधान में दिए मौलिक अधिकारों को प्रायः सात श्रेणियों में बांटा गया था, परन्तु इस सं"ाोधन के अनुसार, 'सम्पति के अधिकार' (Right to property) को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित छः मौलिक अधिकार प्राप्त है–

क. समानता का अधिकार (Right to Equality)

ख. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

ग. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)

घ. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

ड. सांस्कृतिक तथा ि"ाक्षा–सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

च. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

d- lekurk dk vf/kdkj **(Right to Equality)** %&

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14–18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब संविधान सभा ने संविधान बनाया तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले समानता के अधिकारों को रखा क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को समाज में समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी समानता के अधिकारों को रखा। इन अधिकारों का विवरण निम्नलिखित है :–

1- dkuwu ds le{k lekurk & अनुच्छेद 14 (Equality before Law – Article 14) – संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ''भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

2- /keZ] uLy] tkfr] fyax vFkok tUe&LFkku ds vk/kkj ij HkssnHkko dh eukgh (Prohibition of Discrimination on grounds of Relgion, Race, Caste, Sex, Place of Birth or any of them – Article 15) – अनुच्छेद 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म–स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

3- ljdkjh ukSdjh ikus dk leku volj & vuqPNsn 16 (Equality of Opportunity in Matters of Public Employment – Article 16) – अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस सम्बन्ध में धर्म, वं”ा, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4- NqvkNwr dh lEkkfIr & vuqPNsn 17 (Abolition of Untouchability – Article 17) – अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया है। सन् 1955 में संसद के द्वारा 'अस्पृ”यता अपराध अधिनियम (Untouchability Offence Act) पास किया, जो समस्त भारत पर लागू होता है।

5- mikf/k;ksa dk vUr&vuqPNsn 18 (Abolition of Titles – Article 18) – अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि राज्य सैनिक अथवा f”ाक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी।

[k- Lora=rk dk vf/kdkj & vuqPNsn] 19 ls 22 rd **(Right to Freedom – Articles, 19 to 22)** – संविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22

तक किया गया है। सामूहिक रूप से चारों ही अनुच्छेद व्यक्ति–स्वतन्त्रता के अधिकार पत्र हैं और मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय का मुख्य आधार है। इस प्रकार ये अधिकार 'मौलिक अधिकारों की आत्मा' हैं, क्योंकि इन अधिकारों के बिना अन्य अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता। इन अधिकारों के आधार पर ही प्रजातन्त्रीय समाज की कल्पना की जा सकती है। इस विषय में पायली (Paylee) महोदय का कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, ''संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है तथा इस प्रकार प्रजातन्त्रीय समाज के विकास में सहायता की है।''

1- vuqPNsn 19 ds }kjk fuEufyf[kr 6 izdkj dh LorU=rk,¡ iznku dh xbZ gS&

- d- भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression)
- ख. शान्तिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता (Freedom to Assemble Peacefully and without Arms)
- ग. संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता (Freedom to form Associations and Unions)
- घ. भारत के किसी भी क्षेत्र में आने–जाने की स्वतन्त्रता (Freedom to Move freely throughout the Territory of India)
- ड. भारत के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Reside and Settle in any part of the Territory of India)
- च. कोई भी व्यवसाय करने, पे"ाा अपनाने या व्यापार करने की स्वतन्त्रता (Freedom to Practise any Profession or Carry on any Occupation, Trade or Business).

2- **अपराध की दोश सिद्धि के विशय में संरक्षण (अनुच्छेद 20)** (Protection in Respect of Conviction for offence (Art 20)) – अनुच्छेद 20 में कहा गया है, ''किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।'' इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्ड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

3- O;fDrxr LorU=rk rFkk thou dh lqj{kk dk vf/kdkj ¼vuqPNsn 21½ (Right to Protection of Life and Personal Liberty (Art, 21) – प्रत्येक प्रजातन्त्रिक

संवैधानिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का होना अनिवार्य है। ब्रिटेन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आधार कानून का शासन (Rule of Law) है। भारत में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की व्यवस्था अनुच्छेद 21 में स्पष्ट की गई है।

4- cUnhdj.k dh voLFkk esa lqj{kk.k dk vf/kdkj ¼vuqPNsn 22½ (Right to Protection against Arrest and Detention in certain Cases (Article 22) –संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा गिरफ्तारी एवं बन्दीकरण की अवस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षाएँ प्रदान की गई हैं –

क. किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध या बन्दी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

ख. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पे"ा करना आव"यक है।

ग. बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बन्दी को जेल में नहीं रखा जा सकता।

घ. बन्दी को कानूनी सलाह प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

X- भाेशण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद, 23–24 (Right against Exploitation – Article, 23-24) –

1- **मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निशेध** (Prohibition of Traffic in human beings and forced labour) – संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय–विक्रय (Traffic in Human Beings) तथा बेगार अथवा किसी से जबरदस्ती काम करवाने की मनाही कर दी गई है और इसका उल्लंघन करना विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के शोषण की मनाही की गई है। भारत में अनेक शताब्दियों से किसी–न–किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार गरीबों, मजदूरों तथा स्त्रियों आदि पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नए संविधान के अन्तर्गत शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है।

2- dkj[kkuksa vkfn esa cPpksa dks yxkus dh eukgh (Prohibition of Employement of Children in factories etc.) – अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य किसी ऐसे जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ

मजदूरों (Bonded Labour) के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्दे”य एक वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

?k- /kkfeZd LorU=rk dk vf/kdkj & vuqPNsn 25&28 (Right to Freedom of Religion – Article, 25-28) –

1- fdlh Hkh /keZ dks ekuus rFkk izpkj djus dh LorU=rk (Freedom to protest and practice any religion) – अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि सार्वजनिक अनु”ाासन, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा; जैसे सिक्खों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धर्म की आड़ में यदि कोई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य किया जाता है, तो सरकार को उस पर नियन्त्रण रखने तथा उसके सम्बन्ध में अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार होगा। राज्य को सामाजिक कल्याण तथा सुधारों के हित में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मन्दिर आदि में प्रवे”ा करने के लिए कानून बनाने तथा हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में समस्त हिन्दू वर्ग (जिसमें सिक्ख, जैन तथा बौद्ध आदि मत भी शामिल हैं) के प्रवे”ा के अधिकार सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार होगा।

2- /kkfeZd ekeyksa ds izc/k dh LorU=rk (Freedom to manage religious affairs) – अनुच्छेद 26 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदा अथवा उसके किसी भाग को धर्म अथवा दान सम्बन्धी उद्दे”य के लिए संस्थाएँ स्थापित करने तथा उन्हें चलाने, धर्म के मामलों में अपने कार्यों का स्वयं प्रबन्ध करने, चल तथा अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने तथा कानून के अनुसार उस सम्पत्ति का प्रबंध करने का अधिकार होगा।

3- /kkfeZd 0;; ds fy, fuf”pr dh dh vnk;xh dh NwV (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion) – अनुच्छेद 27 में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी वि”ोष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चन्दा अथवा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और सरका द्वारा न ही कोई ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे प्राप्त आय किसी धर्म वि”ोष के लिए खर्च की जाने वाली हो।

4- jktdh; f”k{k.k lLFkkvksa esa /kkfeZd f”k{kk ij vadq”k (Check on religious instructions in Government Institutions) – अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य के द्वारा स्थापित किसी भी ि”ाक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक ि”ाक्षा नहीं दी जा सकती और उन ि”ाक्षा संस्थाओं में जो सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं। किसी भी विद्यार्थी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक ि”ाक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

M- lkaLd`frd rFkk f”k{kk&lEcU/kh vf/kdkj & vuqPNsn] 29&30 **(Cultural and Educational Rights – Article, 29-30)** – भारत भिन्न–भिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों को अपनाने वाले लोगों का दे”ा है, इसलिए संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक की भाषा तथा संस्कृति आदि के मामलों में रक्षा की गई है।

1- vYila[;dksa ds vf/kdkjksa dh lqj{kk **(Protection of interest of Minorities)** – अनुच्छेद 29 के द्वारा नागरिकों के प्रत्येक समूह को, जो भारत की धरती पर रहता है तथा जिसकी अपनी नि”चत भाषा (Language), लिपि (Script) तथा संस्कृति (Culture) है, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी भी राजकीय अथवा राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली ि”ाक्षा संस्था में किसी भी विद्यार्थी को केवल भाषा, धर्म, जाति तथा वं”ा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवे”ा पाने से नहीं रोका जा सकता है।

2- **भौक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का** vYila[;dksa dk vf/kdkj (Right to Minorities to establish and administer educational institutions) – अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार ि”ाक्षा संस्थाएँ स्थापित करने तथा उन्हें चलाने या प्रबंध करने का अधिकार होगा। इस धारा में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा ि”ाक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय किसी ि”ाक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबन्ध के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हों अथवा धर्म के आधार पर।

p- laoS/kkfud mipkjksa dk vf/kdkj & vuqPNsn] 32 **(Right to Constitutional Remedies-Article, 32)** – भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की

केवल घोषणा ही नहीं की गई है, वरन् उनको लागू करने के लिए भी उचित उपाय किए गए हैं।

अनुच्छेद 32 अनुसार नागरिकों को यह अधिकार है कि यदि कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, तो वे उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसके विरूद्ध न्याय की मांग कर सकते हैं। केन्द्रीय संसद अथवा कोई राज्य विधानमण्डल यदि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बना देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित कर रद्द करने का अधिकार है। यह धारा संविधान के इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि इसके बिना सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। संविधान के निर्माण के समय इस अनुच्छेद की प्र”ांसा करते हुए डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) ने संविधान सभा में कहा था।

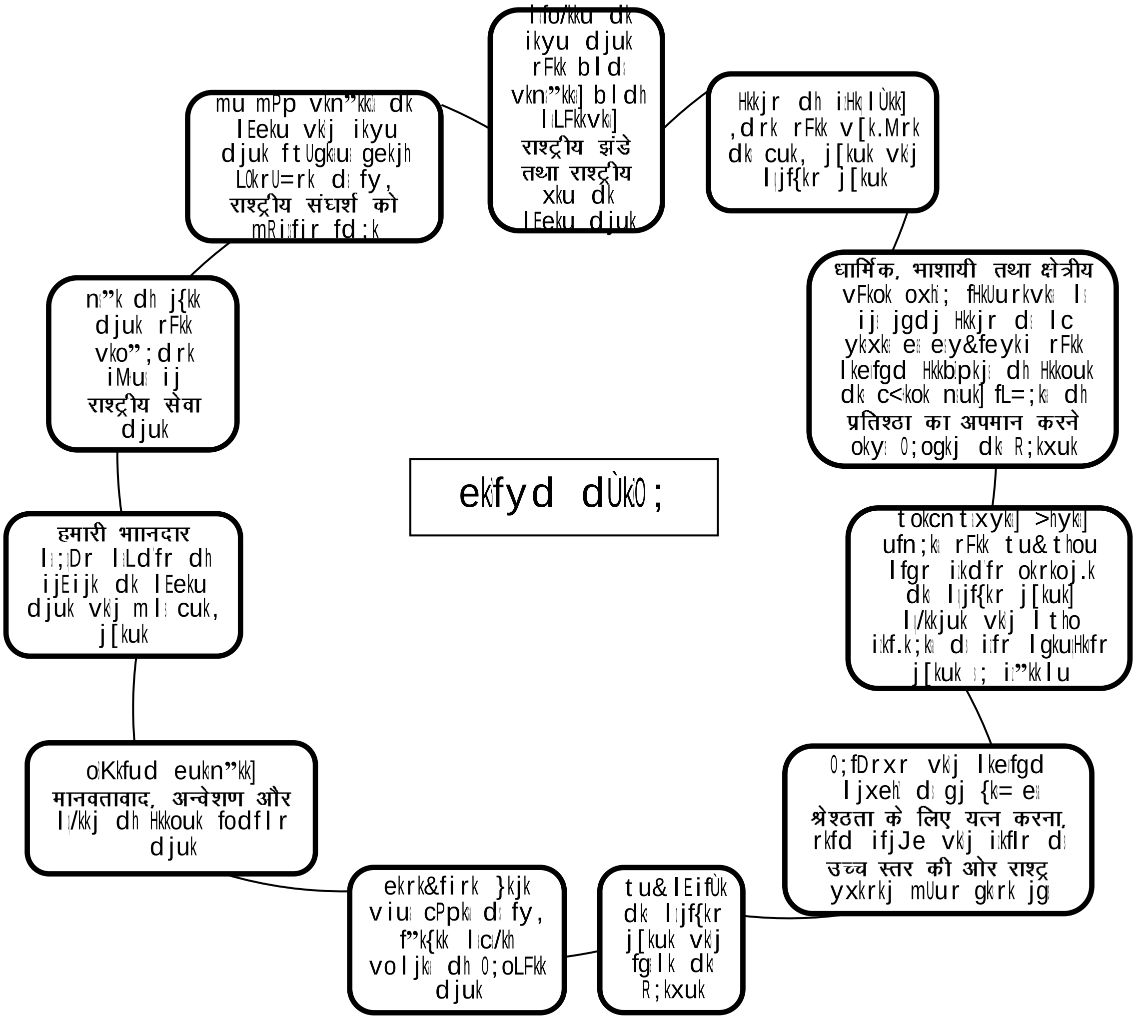

2-3-4- ekfyd dÙkO; **(Fundamental Duties)**

संविधान के 42वें सं"ाोधन द्वारा सन् 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों का एक नया अध्याय चतुर्थ–ए (Part IV-A) संविधान में शामिल कर दिया गया। इस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद (51-A) है, जिसमें नागरिकों के दस मौलिक कर्त्तव्यों का वर्णन किया गया है। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2002 में 86वें संवैधानिक सं"ाोधन द्वारा प्रत्येक माता–पिता या संरक्षकों के लिए अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए f"ाक्षा प्रदान करने संबंधी उचित सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध करवाने संबंधी कर्त्तव्य को निf"चत करने के बाद मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।

ukxfjdksa ds ekfyd dÙkO; **(Fundamental Duties of the Citizens)** –

1- lafo/kku dk ikyu djuk rFkk blds vkn'kksZ] bldh laLFkkvksa] **राश्ट्रीय झंडे तथा राश्ट्रीय गान का सम्मान करना** (To abide by the Constitution

and respect its ideals and Institutions, the National Flag and the National Anthem) – संविधान के आद”र्ों में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, धर्म–निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता, लोकतन्त्र आदि वे सब आद”र् आ जाते हैं, जो हमारे संविधान की आधारि”ाला हैं। एक अच्छे नागरिक का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इन सबका सम्मान करे और सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे ताकि दे”ा का शासन ठीक से और बिना किसी अडचन के चल सके।

2- mu mPp vkn”kkZ dk lEeku vkj ikyu djuk ftUgksaus gekjh **स्वतन्त्रता के लिए राश्ट्रीय संघर्श को उत्प्रेरित किया** (To Cherish and Follow the Noble Ideals which inspired our National Struggle for Freedom) – हमारे दे”ा में स्वतन्त्रता संग्राम कुछ आद”र्ों को लेकर चलाया गया था, जिनका आज के स्वतन्त्र भारत में भी उतना ही महत्व है। इसलिए यह आव”यक समझा गया है कि प्रत्येक नागरिक इन आद”र्ों को अपनाए तथा इनका सम्मान करे और इस प्रकार राष्ट्र के विकास और पुनः स्थापना में सहायक हो। इन आद”र्ों में अहिंसा, बन्धुत्व, धर्म–निरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता आदि आद”र् सम्मिलित है।

3- Hkkjr dh iHkqlÙkk] ,drk rFkk v[k.Mrk dks cuk, j[kuk vkj lqjf{kr j[kuk (to uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India) – इस कर्त्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का उद्दे”य ऐसे तत्वों को अस्वीकार करना और रद्द करना है, जो क्षेत्रीय धारणाओं को महत्व देते हुए भारतीय एकता को अस्वीकार करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचाते हैं।

4- n”k dh j{kk djuk rFkk vko”**यकता पड़ने पर राश्ट्रीय सेवा करना** (To Defend the Country and Render National Service when called upon to do so) – ये मौलिक कर्त्तव्य संविधान में सम्मिलित करके नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा के कार्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। रूस जैसे दे”ा में हर नागरिक के लिए कुछ समय के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा एक मौलिक कर्त्तव्य के तौर पर संविधान में लिखा गया है। 42वें सं”ाोधन के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ केवल सैनिक सेवा ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा है, जिसका उद्दे”य राष्ट्रीय हित में हो।

5- **धार्मिक, भाशायी तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिUurkvk l ij jgdj Hkkjr d lc ykxk e ey&feyki rFkk lkefgd Hkkbpkj dh Hkkouk dk c<kok देना, स्त्रियों की प्रतिश्ठा का अपमान करने वाले व्यवहार को त्यागना** (To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women) – इस कर्त्तव्य का उद्दे”य भारत में रहने वाले लोगों में भिन्नताओं के स्थान पर आपसी मेल–मिलाप और भ्रातृत्व की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना बिल्कुल भारतीय सभ्यता के अनुकूल है।

6- **हमारी भाानदार संयुक्त संस्कृति की परम्परा का सम्मान करना और mlk cuk, j[kuk** (To value and preserve the rich heritage of our composite culture) – अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया था। प”चमी सभ्यता की तड़क–भड़क तथा ”ाक्षा के प्रभाव ने भारतीयों को प”चम के दास बनाकर रख दिया था। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद भी ये प्रभाव कम नहीं हुए। अब हर नागरिक का यह कर्त्तव्य बना दिया गया है कि वह दे”ा की शानदार संस्कृति का सम्मान करे और उसे समृद्ध बनाने का यत्न करे।

7- **txyk] >hyk] ufn;k rFkk tu&thou lfgr ikd`fr okrkoj.k dk lqjf{kr j[kuk] l/kkjuk vkj l tho ikf.k;k d ifr lgkuHkfr j[kuk** (To protect and Improve the Natural Environment Including Forests, Lakes and wild life and to have compassion for living creatures) – ये मौलिक कर्त्तव्य संविधान में सम्मिलित करके भारतीय नागरिकों को प्रकृति के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। पर्यावरण को शुद्ध बनाने का कर्त्तव्य नागरिक का मुख्य कर्त्तव्य माना गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ वन्य प्राणियों तथा अन्य सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार मानव का मुख्य कर्त्तव्य माना गया है।

8- **oKkfud eukn”ा, मानवतावाद, अन्वेशण और सुधार की भावना fodflr djuk** (To develop the Scientific temper, Humanism, the Spirit of Investigation and Reform) – इस कर्त्तव्य का उद्दे”य भारत के लोगों को यह प्रेरणा देना है कि वे अन्धवि”वास को समाप्त करके अपने दृष्टिकोण को जागरूक और तर्कसंगत

बनाएँ। उनमें मानवतावाद जागृत हो और वे सुधारवादी रवैया अपनाएँ, ताकि राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ता रहे। यह कर्त्तव्य भारतीयों मे उदारवादी भावना और विचारधारा उत्पन्न करने वाला है।

9- tu&lEifÙk dk lqjf{kr j[kuk vkSj fgalk dk R;kxuk (To safeguard the Public Property and to adjure Vilolence) – गत वर्षों में हमारे दे”ा में तोड़–फोड़ की गतिविधियाँ इतना जोर पकड़ गई कि सार्वजनिक सम्पत्ति का नित्य ना”ा होने लगा। जगह–जगह हुल्लड़बाजी, हिंसात्मक विद्रोह, बसों तथा इमारतों आदि को तोड़ना एवं आग लगाना नित्य दिन के समाचार बन गए। इस प्रकार की गतिविधयाँ राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस कर्त्तव्य द्वारा नागरिकों को ऐसी दे”ा–द्रोही और जन–सम्पत्ति के लिए हानिकारक गतिविधियों को त्यागने का आदे”ा दिया गया है, ताकि सामाजिक जीवन शान्तिमय बन सके। रूस जैसे दे”ा में जन–सम्पत्ति का ना”ा करने वालों के लिए बहुत कड़ी सजा नि”िचत की गई है।

10- **व्यक्तिगत और सामूहिक सरगर्मी के हर क्षेत्र में श्रेश्ठता के लिए यत्न करना, ताकि परिश्रम और प्राप्ति के उच्च स्तर की ओर राश्ट्र लगातार उन्नत** gksrk jgs (To Strive towards Excellence in all spheres of Individual and Collective Activity so that our Nation Constantly Rises to Higher levels of Endeavour and Achievement) – इस कर्त्तव्य द्वारा लोगों में यह प्रेरणा विकसित करने का प्रयत्न किया गया है कि वे सामूहिक तौर पर, आपसी भिन्नताओं और मतभेदों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय उन्नति के पवित्र कार्य में जुटे रहें।

11- ekrk&firk }kjk vius cPpksa ds fy, f”k{kk lacaa/kh voljksa dh O;oLFkk djuk (To provide opportunities concerning the education of children by their parents) – 86वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 51–ए में सं”ाोधन करके एक अन्य अनुच्छेद 51-K जोड़कर एक अन्य मौलिक कर्त्तव्य को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों अथवा संरक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को ऐसी उचित सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध करवाएँ जिनके फलस्वरूप बच्चे ि”ाक्षा ग्रहण कर सकें। अतः उपर्युक्त सं”ाोधन द्वारा माता–पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए ि”ाक्षा संबंधी अवसर उपलब्ध करवाने को अनिवार्य बनाया गया है।

2-4- ikB d vkx dk e[; Hkkx (Further main body of the text)

2-4-1- l?kkRed ljdkj dk vFk (Meaning of Federal Government)

वर्तमान काल में संघात्मक शासन–प्रणाली अधिक लोकप्रिय है और कई दे”ाों में इसको अपनाया गया है। संघीय सरकार उसे कहते हैं जहाँ केन्द्र तथा प्रान्तों में शक्तियों का विभाजन होता है। केन्द्र व प्रान्तीय सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती है। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण संविधान द्वारा निर्ि”चत किया जाता है। केन्द्र व राज्यों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती है।

संघ जिसे अंग्रेजी में 'फेडरे”ान' (Federation) अथवा 'फेडरल' (Federal) कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा के एक शब्द 'फोडस' (Foedus) से बना है, जिसका अर्थ है 'सन्धि' अथवा 'समझौता'।

1- ek.VLD; (Montesquieu) के शब्दों में, ''संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहाँ बहुत–से एक–जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हों।''

2- gfeYVu (Hamilton) का कथन है, ''संघ राज्य, राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य की स्थापना करता है।''

3- xkuj (Garner) का कथन है, ''संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें संविधान द्वारा अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने–अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं।''

l?kkRed ljdkj d y{k.k (Features of Federal Government)

प्रत्येक संघीय व्यवस्था में कुछ बातों का होना आव”यक है, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक दे”ाों में यह शासन–प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक सरकार के आव”यक तत्व अथवा लक्षण निम्नलिखित हैं –

1- fyf[kr rFkk dBkj lfo/kku (Written and Rigid Constitution) – संघ राजय कई राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है, इसलिए समझौते की सभी शर्तें लिखित रूप में होनी चाहिए। साथ ही ये शर्तें स्थायी हों। इसलिए संघ सरकार का संविधान केवल लिखित नहीं, कठोर भी होता है जिससे कोई भी इकाई मनमाने ढंग से इसमें परिवर्तन न कर सके। संविधान में सं”ाोधन करने के लिए एक वि”ोष अपनाई जाती है, ताकि केन्द्र और राज्य दोनों की सहमति से सं”ाोधन किया जा सके।

2- **भाक्तियों का बँटवारा** (Distribution of Powers) – संघात्मक सरकार में केन्द्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को तथा प्रान्तीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। दोनों सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में कानून बनातीं तथा प्र"ाासन चलाती हैं। वे एक–दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। भारत में शक्तियों के विभाजन के अधीन तीन सूचियाँ केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची बनाई गई हैं। अमेरिका की स्थिति में केन्द्रिय सरकार की शक्तियाँ निर्"चत कर दी गई हैं और शेष शक्तियाँ राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं।

3- LorU= rFkk lokPp U;k;ikfydk (Independent and Supreme Judiciary) – संघात्मक शासन में एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र संघीय न्यायालय का होना भी जरूरी है। संघ सरकार में यद्यपि केन्द्र व राज्यों में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है फिर भी उनमें कई बातों में विवाद होना स्वाभाविक है। संघ न्यायालय उनके विवादों को हल करता है। यह न्यायालय संविधान के संरक्षण का भी कार्य करता है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें संविधान के विरूद्ध कानून न बना सकें, इसके लिए एक स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना बहुत आव"यक है।

4- nks lnuh; fo/kkuikfydk (Bi-cameral Legislature) – संघात्मक सरकार में दो सदनीय विधानमण्डल की आव"यकता पड़ती है। विधानमण्डल का निम्न सदन सारे रा'ट्र की जनता का तथा उच्च सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपरी सदन राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। इसमें संघ की इकाइयों को बराबर सीट देने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनमें संवैधानिक समानता स्थापित हो सके।

5- lafo/kku dh lokPprk (Supremacy of the Constitution) – संघात्मक शासन–प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। इसका अर्थ है कि संविधान को दे"ा का सर्वोच्च कानून घोषित किया जाता है और इसके विरुद्ध कार्य करने और कानून बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। संविधान की रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का गठन किया जाता है, जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध बने किसी भी कानून को अवैध घोषित करके संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करती है।

6- **दोहरा भासन** (Dual Administration) – संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबन्ध होता है। एक केन्द्रीय शासन तथा दूसरा स्थानीय अथवा प्रान्तीय शासन। संघ तथा प्रान्तों के अधिकार संविधान द्वारा नि"चत होते हैं। दोनों सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं।

7- nkgjh ukxfjdrk (Double Citizenship) – संघ सरकार में प्रायः नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक उस राज्य नागरिकता जहाँ वह निवास करता है तथा दूसरी संघ की नागरिकता; जैसे अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता के ही सिद्धान्त को अपनाया गया है।

Hkkjrh; l?kokn dk Lo:Ik **(Nature of Indian Federalism)**

भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में संघीय शासन–प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यद्यपि संविधान में 'संघ' (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है। संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्दों के प्रयोग का कारण बताते हुए संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, ''मसौदा समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ–राज्य है, परन्तु यह संघ–राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।'' इस प्रकार मसौदा समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि यदि भारत को एक संघ बनना है तो यह संघ राज्यों के द्वारा संघ में शामिल होने के लिए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यद्यपि दे"ा तथा जनता को शासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बांटा गया है, परन्तु दे"ा अखण्ड तथा एक पूर्ण इकाई है। डॉ0 अम्बेडकर ने यह कहा कि राज्यों तथा संघ (यूनियन) का इकट्ठा होना ही संघवाद है, जिससे कोई अलग नहीं हो सकता और जिसके अन्दर रहकर ही दोनों को कार्य करना चाहिए।

2-4-2- mnf"kdk **(Preamble)**

भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है :–

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म–निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, वि"वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनि"चत करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ–संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्ग"ीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म–समर्पित करते हैं।''

वास्तव में प्रस्तावना संविधान की आधार"ीला एवं प्रेरणा है। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों एवं सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है। डॉ0 एस.सी. क"यप के अनुसार, ''संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है, वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उनके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना में।''

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना मुख्य रूप से तीन बातों पर प्रका"ा डालती है :–

(क) संविधान का स्रोत क्या है ?

(ख) भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है ?

(ग) संविधान के उद्दे"य या लक्ष्य क्या है ?

2-5- viuh izxfr tkap (Check your progress)

नीचे कुछ प्र"न दिए गए है जिनका आपने उत्तर देना है :–

(i) भारतीय संविधान के .... अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

(ii) वर्तमान में संविधान में .... मौलिक अधिकार है।

(iii) वर्तमान में संविधान में .... मौलिक कर्त्तव्य है।

(iv) संविधान में धार्मिक अधिकार .... दिए गए हैं।

(v) संविधान में से कौन–सा मौलिक अधिकार निकाल दिया गया है।

2-6- lkjka"k (Summary)

इस अध्याय में हमने भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों, संविधान की प्रस्तावना तथा संघवाद के बारे में पढ़ा है। ऊपर दिए गए विवरण के

बाद हम कह सकते हैं कि संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके हमें जीने की स्वतन्त्रता तथा विकास करने का अधिकार प्रदान नहीं किए होते तो कोई भी नागरिक न तो आसानी से अपनी बात कह सकता और न ही अपने धर्म को अपना सकता और अपनी आजादी का सही तरीके से पालन कर सकता ? इसके साथ–साथ हमें मौलिक कर्त्तव्य भी प्रदान किए गए। क्योंकि जहां पर राज्य ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं तो हम नागरिकों का भी यह अधिकार है कि हम संविधान के द्वारा दिए गए कानूनों या कार्यों का पालन करें और यह कर्त्तव्य है कि हमारे संविधान का आदर करें। मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों साथ–साथ ही कार्य करते हैं।

संविधान की प्रस्तावना हमें अपने संविधान के आधार के बारे में बताती है। प्रस्तावना संविधान को रूपरेखा प्रदान करती है। कुछ वि"ोषज्ञों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तक कहा है, क्योकि प्रस्तावना के बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में हम हमारे संविधान के संघवाद के बारे में विचार–विम"र्ा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत एक दे"ा होता जो राज्यों से मिलकर बनेगा। अर्थात् अलग–अलग राज्यों का संविधान प्रदान नहीं करता। सभी के लिए एक संविधान है। एकल नागरिकता है एक स्तरीय भाषा है और सभी के लिए एक दे"ा है जिसे राज्यों का संघ कहा जाता है। अर्थात् संघवाद भारत को राज्यों का संघ कहता है।

2-7- **सूचक भाब्द (Key Words)**

ekfyd vf/kdkj & नागरिकों के लिए मूल–अधिकार जो दे"ावासियों को नागरिक बनाते हैं, उन्हें आजादी प्रदान करता है।

ekfyd dÙkO; & नागरिकों के कुछ कर्त्तव्य भी होते हैं जो राज्य के मौलिक–अधिकारों के बदले में नागरिक राज्य के लिए अपना दायित्व द"ार्ते हैं।

iLrkouk & संविधान की नींव जिस पर सम्पूर्ण संविधान तैयार किया गया है।

l?kokn & संघवाद से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र राज्यों में होता है।

lfo/kku & संविधान नियमों की व्याख्या है, कार्य करने का तरीका द"ार्ता है तथा कानूनों का ज्ञाता है।

lEiHkqrk & सम्प्रभुता से हमारा अभिप्राय उस शक्ति से है जिसमें राज्यों को अपने निर्णय लेने का अधिकार हो और कानून बनाने का अधिकार हो।

2-8- Lo; eY;kdu gr i”u **(Self Assessment Questions) :**

Q.1. मौलिक अधिकारों का विवरण दीजिए।

Q.2. मौलिक कर्त्तव्यों से आप क्या समझते हैं ?

Q.3. प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए।

Q.4. संघवाद की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हैं।

Q.5. मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों में अन्तर द”ाएं।

2-9- viuh ixfr dh tkp dju d fy, mÙkj **(Answer to check your progress)**

(i) 12 से 35 (ii) 6 (iii) 11

(iv) 25–28 (v) सम्पत्ति का अधिकार

2-10- lUnHk xUFk@funf”kr iLrd **(References/Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ाासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code : **BA101**	Author : **Dr. Deepak**
Lesson No. : **3**	Vetter :
la?k fo/kkf;dk % laln & lajpuk vkSj dk;Z] ykdlHkk v/;{k % कार्य और भाक्ति	

3-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

3-2- izLrkouk **(Introduction)**

3-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

3-3-1- ykd lHkk dh jpuk **(Composition of Lok Sabha)**

3-3-2- pquko dk <ax **(Mode of Election)**

3-3-3- tuçfrfufèk l'kksèku vfèkfu;e 1996 }kjk fd, x, çeq[k çkoèkku **(Major Provisions made by the Representation of the People Amendment Act 1996)**

3-3-4- ykdlHkk dh 'kfä;k ,oa dk;Z **(Powers and Functions of Lak Sabha)**

3-3-5- jkT;lHkk **(Rajya Sabha)**

3-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

3-4-1- jkT;lHkk dh 'kfä;k rFkk dk;Z **(Powers and Functions of Rajya Sabha)**

3-4-2- jkT;lHkk dh vkykspuk vFkok foi{k esa rdZ **(Criticism or argument in opposition to Rajya Sabha)**

3-4-3- jkT;lHkk ds i{k esa rdZ vFkok jkT;lHkk dh mi;ksfxrk **(Arguments in favor of Rajya Sabha or utility of Rajya Sabha)**

3-4-4- ykdlHkk rFkk jkT;lHkk esa lacèk **(Relations between Lok Sabha and Rajya Sabha)**

3-4-5- Hkkjrh; laln dh 'kfä;k rFkk vfèkdkj **(Powers and Powers of the Indian Parliament)**

3-4-6- ykdlHkk dk v/;{k ¼Lihdj½ **(Speaker of Lok Sabha)**

3-4-7- Lihdj ds dk;Z **(Speaker Functions)**

3-4-8- Lihdj dh fLFkfr **(Speaker Position)**

3-5- viuh izxfr tkps **(Check your progress)**

3-6- lkjka”k **(Summary)**

3-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

3-8- Lo;a eWY;kadu grq iz”u **(Self Assessment Questions)**

3-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

3-10- lUnHkZ xzUFk@funsZ”kr iqLrds **(References/Suggested Reading)**

3-1- vf/kxe mnn”; (Learning Objectives)

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया गया है :–

- संसद
- लोकसभा
- राज्यसभा
- बजट

3-2- iLrkouk (Introduction)

संसद की कल्पना वि”व को अंग्रेजों की देन है इसलिए ब्रिटिश संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। भारतीयों पर अंग्रेजी राजनीतिक सभ्यता का पूर्ण प्रभाव रहा है और हमने अंग्रेजी संस्थाओं से अच्छी जानकारी प्राप्त की थी हम अन्य शासन प्रणालियों से परिचित नहीं थे इसलिए स्वतंत्रता के बाद हमने संसदीय प्रणाली को ही अपनाया भारतीय संविधान में केंद्रीय विधान मंडल को संसद का नाम दिया गया है और इसके दो सदन हैं। लोकसभा व राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जिनका नाम राज्य से बदतर लोकसभा होगा लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा में भारतीय संघ का इकाइयों अर्थात राज्यों के प्रतिनिधित्व दिया गया है। लोकसभा के सदस्य साधारण तथा मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यहां इस अध्याय में संसद के गठन एवं शक्तियों के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे।

3-3- v/;;u d: e[; fcUnq (Main Points of Text)

3-3-1- ykd lHkk dh jpuk (Composition of Lok Sabha)

आरंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 500 नीचे दी गई थी सन 1956 में इसे बढ़ाकर 520 वर्ष 1963 में से 525 कर दिया गया सन 1973 में संविधान के किस संशोधन द्वारा इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई सन 1987 के पास किए गए गोवा दमन तथा दूध पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे 550 कर दिया

गया इनमें से 530 सदस्य राज्यों में से तथा 20 सदस्य केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में से चुने गए जाएंगे इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करें कि चुनाव के द्वारा एंग्लो इंडियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन इस जाति के 2 सदस्यों की लोकसभा में मनोनीत कर सकता है इस प्रकार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं और दो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था यहां यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में पारित 104 में संवैधानिक संसोधन द्वारा एंग्लो इंडियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी यद्यपि इस संशोधन को भारत संघ के आधे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलेगी

3-3-2- pquko dk <x **(Mode of Election)**

लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं संविधान के 61 में संशोधन के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं यह निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम पांच लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी मूल संविधान में लोकसभा में विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। सन 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए हैं 42 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे जो सन 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किए गए हैं परंतु 87 में संवैधानिक संसोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया

है। इस संशोधन के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव से पूर्व गठित परिसीमन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि 15वीं लोकसभा के चुनाव परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही संपन्न हुए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं संसद द्वारा अगस्त 2001 में पास किए गए संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में लोकसभा के कुछ स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किए गए किंतु बाद में यह अवधि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात बढ़ाई जाती रही। जैसे 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाए गए जिसमें लोकसभा में 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं यह। यहां यह उल्लेखनीय है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व गठित नई परिसीमन आयोग के बाद आरक्षित स्थानों में परिवर्तन हो चुका था क्योंकि इससे पूर्व अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए यह आरक्षण क्रमशः एवं 40 सीटों का था। दिसंबर 2019 में संविधान में किए गए 104 वे संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है।

;kX;rk,i & लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए

1 वह भारत का नागरिक हो

2 उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो

3 वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं रखता हूं

4 वह भारत सरकार अथवा किती राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो

5 उसका नाम मतदाताओं की सूची में अंकित हो

6 उसे किसी गंभीर अपराध में सजा मिल चुकी हो

ykHk d: in l: NV & संसद द्वारा 25 मई 2006 को एक विधेयक पारित करके 56 ऐसे पदों को लाभ के पद के क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया जिन पर आसीन व्यक्ति संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्य बन सकते हैं जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के पद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद उत्तर प्रदेश विकास परिषद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता हल्दिया विकास प्राधिकरण भारत का राष्ट्रीय कृषि गत सहकारी बाजार संस्थान लिमिटेड भारतीय कृषक उत्पादक लिमिटेड कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आदि को लाभ के पद में सम्मिलित नहीं माना जाएगा यद्यपि इस विधेयक को 30 मई 2006 को राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार करने के उद्देश्य से संसद को वापस भेज दिया गया था परंतु संसद द्वारा पुनः 27 जुलाई 2006 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर राष्ट्रपति को भेज दिया गया जिसे राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2006 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

19 नवंबर 1976 को संसद ने छुआछूत के विरुद्ध एक कानून पास किया जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को इस कानून के अधीन सजा मिलती है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।

3-3-3- tuçfrfufèk l:'kksèku vfèkfu;e 1996 }kjk fd, x, çeq[k çkoèkku **(Major Provisions made by the Representation of the People Amendment Act 1996)**

जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा लोकसभा की सदस्यता के निर्वाचन के संबंध में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं –

1. पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 1 मतदाता द्वारा और निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं को प्रस्तावित करना चाहिए।

2. एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।

3. जमानत धनराशि लोकसभा के सामान्य उम्मीदवार के लिए ₹10000 तथा विधानसभा के लिए ₹5000 होगी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए यह धनराशि क्रमश ₹5000 तथा ₹2500 होगी।

4. जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या राष्ट्रीय गान को रोकने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध निर्मित किया गया है वह विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं होगा।

5. चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर उस राजनीतिक दल से 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए चुनाव की तिथि बढ़ाई जा सकती है लेकिन चुनाव रद्द नहीं होगा। चुनाव प्रचार जिसमें सिनेमा दूरदर्शन सभा करना आदि सम्मिलित हैं चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा।

6. चुनाव के दौरान हिंसक उपद्रव करना संगे अपराध माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति को यदि अपराधी घोषित किया गया है तो 6 माह का कारावास तथा ₹2000 तक का दंड दिया जा सकता है।

7. उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी को मतदान वाले दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि सेवा संयोजक अवकाश नहीं देंगे तो वे दंडित किए जा सकेंगे।

8. किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाने पर छह माह के भीतर उत्थान के लिए चुनाव करा लिया जाएगा।

9. निर्वाचन पर्यवेक्षक की स्थिति सरकारी कर्मचारी के समक्ष होगी जिसकी सूचना पर चुनाव आयोग मतदान या मतगणना में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के ऊपर किया गया खर्च प्रदर्शित किया जाना चाहिए अन्यथा वह भी उम्मीदवार का व्यक्तिगत व माना जाएगा।

10. कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 2 से अधिक स्थानों से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता।

13 मार्च 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय अनुसार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र के साथ कुछ सूचनाएं देने आवश्यक होंगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यही नहीं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज लोकसत्ता और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक याचिका पर न्यायमूर्ति एमबी शाह न्यायमूर्ति

पीवी रेड्डी और न्यायमूर्ति डीएम धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने सर्वसम्मति फैसले में यह भी कहा है कि संसद द्वारा संशोधित जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 वी का अब अस्तित्व नहीं है। गौरतलब है कि 2 मई 2002 को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए अपनी संपत्ति तथा आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे को अनिवार्य बनाए जाने के बाद संसद ने राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के जरिए बेमतलब बना दिया था। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया।

तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि देश के मतदाताओं को सूचना का संविधान सम्मत मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दिए जाने से सूचना का मूल अधिकार खतरे में पड़ जाता है क्योंकि अपने चुने जाने वाले प्रतिनिधि के बारे में उसे चुनने से पहले जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है लेकिन इस संशोधन के जरिए मतदाता यह जानकारी नहीं पा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

lçhe dkVZ ds bl fu.kZ; ds ckn fdlh Hkh mEehnokj dks viuk ukekadu i= Hkjrs le; fuEufyf[kr 5 lwpuk,a nsuk vfuok;Z gks x;k gS %&

1 क्या उम्मीदवार को पहले आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है दोषमुक्त किया गया है अथवा परी किया गया है। अगर ऐसा है तो क्या उसे जेल की सजा या जुर्माना किया गया है

2 नामांकन पत्र भरने से 6 महीने पहले क्या उम्मीदवार किसी ऐसे अपराध के लंबित मामले में आरोपी ठहराया गया है जिसमें 2 या उससे अधिक हो साल की सजा का प्रावधान है।

3 उम्मीदवार और उसके पति अथवा पत्नी तथा आश्रितों की परिसंपत्तियों इत्यादि।

4 उम्मीदवार की देनदारियों यदि कोई हो तो विशेषकर क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अथवा सरकार की देनदारी बाकी है।

5 उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।

यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सन 1950 और 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधन किए हैं जो एक फरवरी 2010 से लागू हुए। सन 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 व 23 के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संशोधन के अनुसार अपील अब डीएम कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर से की जाएगी। डीएम कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आगामी अपील प्रदेश के समक्ष की जाएगी। इसके अतिरिक्त लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि बढ़ाकर ₹25000 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों के लिए राशि आधी अर्थात् 12500 रू. होगी।

लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी के खर्च करने हेतु अधिक से अधिक सीमा में वृद्धि सोलवीं लोक सभा चुनाव 2014 से पूर्व सरकार ने उम्मीदवारों द्वारा किए जा सकने वाले खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि फरवरी 2014 में की। मतदाताओं व मतदान केंद्रों की संख्या के साथ–साथ महंगाई में वृद्धि के चलते चुनावी खर्च की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने किया था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 28 फरवरी 2014 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। ताजा स्वीकृत संरचना के तहत लोकसभा हेतु चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा बड़े राज्यों में 7000000 रुपय छोटे राज्यों जैसे गोवा तथा पूर्वोत्तर के राज्य में अधिकतम ₹100000 कर दी है। इससे पूर्व लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को फरवरी 2011 में 25–25 ₹200000 से बढ़ाकर ₹40000 किया गया था। केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली में चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा जहां 7000000 रुपय होगी वहीं अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों में यह 54 54 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

dk;Zdky & 42 वें संशोधन से पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। 42 वें संशोधन द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था लेकिन 44 में संशोधन द्वारा यह अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। इस अवधि से पूर्व राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा जब ऐसा करने की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हो। हमारे देश में पहले कई प्रधानमंत्रियों के अनुरोध पर पूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा कई बार लोकसभा को भंग किया गया है। जैसे सन 1991 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सलाह पर तथा 1997 में राष्ट्रपति केआर

नारायणन में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के परामर्श पर लोकसभा को भंग किया था और फरवरी–मार्च 1998 में 12 वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए परंतु 26 अप्रैल 1999 को लोकसभा को केवल 13 महीने की अल्पावधि के पश्चात भंग कर दिया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल है फुल असुरों को सितंबर अक्टूबर 1999 में तेल में लोकसभा के चुनाव कराए गए। चुनावों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन के बहुमत प्राप्त हुआ लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी के परामर्श पर समय पूर्व ही तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम में 6 फरवरी 2004 को तेरहवीं लोकसभा को भंग कर दिया था। फलस्वरूप मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। यहां यह उल्लेखनीय है कि अब तक छह निम्न सदन समय पूर्व ही या अपूर्ण कार्यकाल वाले रहे हैं। तेरहवीं लोकसभा के अतिरिक्त चौथी, छठी, नौवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं लोकसभा भी समय से पूर्व ही बिना कार्यकाल पूर्ण किए भंग हो गई थी।

संकट के समय लोकसभा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। एक समय में यह 1 वर्ष से अधिक तथा संकटकालीन स्थिति में समाप्त होने के 6 माह से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता।

vfèkos'ku & राष्ट्रपति तथा जहां उचित समझे समय–समय पर संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है परंतु संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि गत अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक समय व्यतीत नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वर्ष में दो बार संसद का अधिवेशन पुराना अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।

x.kiwfr & संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा की कुल सदस्यों का दसवां भाग गणपूर्ति निश्चित की गई है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर देता है।

lnu d: inkfèkdkjh & संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में से रिकवर डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है यह दोनों इन पदों पर उसी समय तक बने रह सकते हैं जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं। सदन की सदस्यता समाप्त होते ही उन्हें अपने पदों से अलग होना पड़ता है। सोलवीं लोक सभा चुनाव के बाद लगभग 3 दशकों बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा अध्यक्ष

एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में अधिक सशक्त एवं स्वतंत्र नजर आई और इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा लोक सभा हेतु लगातार आठ बार निर्वाचित होकर पहुंची श्रीमती सुमित्रा महाजन का सर्वसम्मति अध्यक्ष बनने का रास्ता आसान हो गया। इस तरह श्रीमती सुमित्रा महाजन के रूप में देश को मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला स्पीकर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ और 6 जून 2014 को श्रीमती सुमित्रा महाजन को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य के अन्नाद्रमुक पार्टी के एम थंबीदुरई को लोकसभा का उपाध्यक्ष 13 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से चुना गया था। सत्र में लोकसभा चुनाव 2019 के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कोटा लोकसभा राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा सदस्य श्री ओम बिड़ला को सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पद को ग्रहण करते समय इस पद के लिए कोई शब्द नहीं लेते। अध्यक्ष प्रारंभ में केवल संसद सदस्य होने की शपथ लेते हैं।

lkaln lnL;ksa dk osru HkÙkk rFkk isa'ku – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं। वर्तमान में संसद सदस्यों का वेतन भत्ता तथा पेंशन भत्ता संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को ₹50000 मासिक वेतन ₹45000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अधिवेशन के दिनों में प्रत्येक सदस्य को ₹2000 प्रतिदिन भत्ता मिलता है। यहां तक यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप सांसदों के वेतन में संशोधन हो जाएगा। वित्त मंत्री के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार मूल वेतन 50000 से बढ़ाकर एक लाख निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70000 एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार दैनिक भत्ता दो हजार से बढ़ाकर चार हजार करने का निर्णय लिया गया जो एक अप्रैल 2018 से लागू होंगे। सांसदों को निशुल्क आवास परिवार सहित निशुल्क चिकित्सा सुविधा तीन लैंडलाइन टेलीफोन एवं एक बीएसएनल मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें 160000 चौकों के साथ 20000 अतिरिक्त मुक्त काले भी दी गई हैं। प्रत्येक सांसद को कंप्यूटर हेतु मुफ्त सुविधा भी प्रदान की गई है इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग छात्राएं

निशुल्क प्रदान की गई है सांसदों को मिलने वाली ₹35000 करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी।

lkaln lnL;ksa ds fo'ks"kkfèkdkj & संसद सदस्य अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकें इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं एक संसद अथवा उसकी किसी समिति में कहीं–कहीं गई बात पर सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। दो संसद का अधिवेशन आरंभ होने के 40 दिन पहले अधिवेशन काल में और अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में बंदी नहीं बनाया जा सकता परंतु फौजदारी मुकदमे में उन्हें पकड़ा जा सकता है। संसद सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही स्पीकर को देनी आवश्यक है। तीन संसद कानून पास कर के सदस्यों के अन्य अधिकार तथा उन्मुक्त इयां प्रदान कर सकती है। संसद अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही कर सकती है और उसके लिए दंड निश्चित कर सकती है।

3-3-4- ykdlHkk dh 'kfä;k ,oa dk;l **(Powers and Functions of Lak Sabha)**&

लोकसभा हमारी संसद का निचला सदन है। इसके अधिकारों तथा कार्यों का क्षेत्र बड़ा विशाल है। भारतीय शासन प्रणाली में यह बड़ी व शक्तिशाली संस्था है। लोकसभा के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित हैं

1- **oSèkkfud 'kfä;ka &** संसद की वैधानिक शक्तियों का वास्तव में प्रयोग लोकसभा ही करती है क्योंकि लोकसभा की इच्छा के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में कई विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। अगर किसी प्रांत की सरकार विफल हो जाए तो उस प्रांत के लिए कानून भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है लेकिन आमतौर पर सभी महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा में बिल की स्वीकृति मिलने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं तथा वहां से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिए जाते हैं। अगर किसी बिल को राज्यसभा पास ना करें अथवा श्याम आज तक उस पर

कोई कार्यवाही ना करें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का इकट्ठा अधिवेशन बुलाता है जिसमें लोक सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय होती है क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों से दोगुनी से भी अधिक होती है।

2- **foÙkh; 'kfä;k &** आधुनिक युग में सभी देशों में बजट का विशेष महत्व होता है। भारत में लोक सभा का बजट पर पूरा नियंत्रण होता है। लोकसभा वार्षिक बजट प्राप्त करती है तथा सभी प्रकार के खतरों की स्वीकृति देती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बजट तथा अन्य सभी वित्तीय बिलों को पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पास होने के बाद फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर ऐसे बिलों को वापस करना पड़ता है अगर राज्यसभा ऐसा ना करें अथवा किन्ही ऐसी सिफारिशों के साथ वापस भेज दे जो लोकसभा को स्वीकार ना हो तो लोकसभा उन बिलों को उसी स्थिति में जिसे उसने पहले पास किया था राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेज देती है। वित्तीय बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाता है। इस संदर्भ में 9 मई 1978 को राज्यसभा ने वित्तीय महत्वपूर्ण संशोधन किए लेकिन उन संशोधनों को लोकसभा से ने नहीं माना। इस तरह वित्त बिल में अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है।

3- **dk;Zikfydk dk fu;U=.k &** भारत में इंग्लैंड की तरह उत्तरदाई सरकार को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्री परिषद अपने कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रशन तथा पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है। लोकसभा के सदस्य सरकार की किसी कार्यवाही की कड़ी आलोचना कर सकते हैं तथा उस विषय पर प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। लोकसभा निम्नलिखित साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है :—

1 **ç'u &** लोकसभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नकाल का एक घंटा निश्चित होता है। सदस्य नियमन और नियमानुसार मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।

2 cgl & सदस्य किसी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं।

3 LFkxu çLrko & कोई भी सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि स्पीकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सदन की कार्यवाही रोक कर सदन पहले उस विषय पर बहस करता है। ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है।

4 è;kukd"k.k – प्रस्ताव अगर सदन का कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है।

4 U;kf;d 'kfä;k & लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जब भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा उस में भाग लेती है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है तथा दूसरा सदन जांच करके 2/3 बहुमत से रहने देता है। अगर दोनों सदन महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दें तो राष्ट्रपति को उसी समय त्यागपत्र देना पड़ता है।

5 pquko lacaèkh 'kfä;k & लोकसभा की कुछ चुनाव संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्नलिखित है :–

1 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

2 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।

3 लोक सभा अपने सदस्यों में से स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है।

6- loSèkkfud 'kfä;k & संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अवश्य बदलना चाहिए अन्यथा क्रांति की संभावना होती है। लोकसभा संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है लेकिन उस प्रस्ताव के लिए राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य है लेकिन संविधान में यह स्पष्ट है कि यदि दोनों सदनों में किसी संवैधानिक बिल पर मतभेद हो जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद

बनाम संघीय सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया था संवैधानिक संशोधन विधि भी एक वैधानिक विधि है उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर संवैधानिक संशोधन पर गतिरोध उत्पन्न होने पर दोनों सदनों का इकट्ठा अधिवेशन बुलाया जा सकता है लेकिन अभी तक संशोधन बिल पर मतभेद पैदा होने पर इकट्ठा अधिवेशन कभी नहीं बुलाया गया।

7- fopkj dh 'kfä ;k & भारत में लोकसभा एक महत्वपूर्ण विचार शील संस्था है जिसके द्वारा देश की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया जाता है। लोकसभा वास्तव में राष्ट्रीय का प्रतीक है जिसमें राष्ट्र के सभी हितों तथा वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा अनेक आयोगों जैसे चुनाव आयोग भाषा आयोग वित्त आयोग संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि के प्रतिवेदन ओं पर विचार विमर्श करती है और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करती है।

8- fofHkUu 'kfä ;k fofoèk & शक्तियां निम्नलिखित है

1 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणाओं को स्वीकार अथवा रद्द करती है।

2 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है।

3 लोक सभा राज्य सभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।

4 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिल कर दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

5 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्य को शामिल करती है।

3-3-5- jkT; lHkk **(Rajya Sabha)** &

jkT; lHkk dh jpuk & राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। संविधान द्वारा इसके सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 निश्चित की गई है जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त किए रहते हैं। 6 सदस्य राज्यों की

विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं।

lnL;ksa dh ;ksX;rk,a &

संविधान के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई है :–

1 वह भारत का नागरिक हो।

2 वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

3 वह संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए लाभ के पद पर कार्य न करता हो।

4 वह दिवालिया अथवा पागल ना हो।

5 किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी भी अन्य राज्य से राज्यसभा हेतु चुनाव लड़ सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी उस राज्य में कम से कम 6 महीने से रह रहा हो जिस राज्य में वह राज्यसभा के स्थान के लिए चुनाव लड़ना चाहता है परंतु संसद द्वारा 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके इस शर्त को समाप्त कर दिया गया।

dk;Zdky & राज्यसभा एक स्थाई सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं अर्थात रिटायर होते हैं और इतने ही सदस्य नहीं चुन लिए जाते हैं। इस सदन को पूर्ण रूप से कभी भी फोन नहीं किया जा सकता।

vf/kos'ku – राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए। एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए फोन में राज्यसभा के विशेष अधिवेशन किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकते हैं।

x.kiwfr – राज्यसभा की सदस्य संख्या का दसवां भाग निश्चित की गई है। के अनुसार निश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

jkT;lHkk dk lHkkifr & भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा

का उपसभापति भी अपने सदस्य मिले निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना तथा अनुशासन को बनाए रखना है।

jkT; lHkk d lnL;k d fo'k"kkfèkdkj & राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में तथा उसे 40 दिन पूर्व अथवा बाद में भी उनको किसी दीवानी अंखियों के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

lnL;k d oru rFkk HkÙk & प्रत्येक राज्य सभा के सदस्यों को वेतन व भत्तों की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के सम्मान प्राप्त है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते समय–समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएंगे।

i'ku dh 0;oLFkk & राज्य सभा के सदस्यों को भी लोकसभा के सदस्यों के समान पेंशन की सुविधा प्राप्त है। 2006 के संशोधित अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य को जो 4 वर्ष तक इस पद पर रहता है सेवानिवृत्त होने के पश्चात ₹20000 मासिक पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त कार्य से सांसद के निधन की स्थिति में उसकी पत्नी या पति या आश्रित को आजीवन पेंशन उपलब्ध होगी।

lnu d fojkèkh ny d urk dk ekU;rk & केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने सदन में विरोधी दल के नेता को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की और उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर मासिक वेतन निशुल्क निवास स्थान यात्रा भत्ता टेलीकॉम तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की।

3-4- ikB d vkx dk e[; Hkkx **(Further main body of the text)**

3-4-1- jkT; lHkk dh 'kfä;k rFkk dk;l **(Powers and Functions of Rajya Sabha)**

राज्यसभा को निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं :–

1. foèkkÃ 'kfä;k – संसद का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है और राज्यसभा को संसद का एक सदस्य होने के नाते महत्वपूर्ण विधाई शक्तियां प्राप्त हैं। धनवीर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के साधारण बिल राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं और कोई भी बिल संसद से उस समय तक पास नहीं समझा जाता या उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता जब तक कि उसे राज्यसभा द्वारा भी पास ना कर दिया

जाए। संयुक्त अधिवेशन में साधारण बिल के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। ऐसी बैठक में विल प्राय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही पास अथवा रद्द होने की संभावना होती है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है। इस प्रकार की संयुक्त बैठक पहली बार सन् 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में और दूसरी बार सन् 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। तीसरी बार 26 मार्च 2002 को कोटा संबंधी कानून पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन हुआ। अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं।

2 foÙkh; 'kfä;k – वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को बहुत ही कम शक्तियां प्राप्त हैं। धन बिल अथवा बजट पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और उसके पास होने के पश्चात ही राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि किसी बिल के वित्त विल होने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

3 dk;ikfydk 'kfä;k & भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति ही उत्तरदाई है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद में लिए जा सकते हैं और उन्हें मंत्रियों से प्रसन्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं परंतु उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है।

4 U;k; lcèkh 'kfä;k – राज्यसभा को राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दें और उस प्रस्ताव को लोकसभा में 2/3 बहुमत से अनुमोदन करते तो पदाधिकारी को पद से हटा दिया जाता है।

5 loèkkfud 'kfä;k – संवैधानिक संशोधन के क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियों का प्रयोग करती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उस समय तक पास नहीं समझा जाता जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे पास ना कर दें संविधान के कुछ विषयों के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत चाहिए और शेष के लिए प्रस्ताव का दोनों सदनों द्वारा 2/ 3 बहुमत से पास होना आवश्यक है।

6 fuokpu lcèkh 'kfä;k – राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा अपने उपसभापति का भी चुनाव करती है।

7 QVdj 'kfä;k & उपर्युक्त दी गई शक्तियों के अतिरिक्त राज्य सभा को कुछ फुटकर शक्तियां भी प्राप्त है जो इस प्रकार हैं –

1. राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को स्वीकृति प्रदान करती है।
2. संकटकालीन स्थिति में जब मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है।
3. संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग अनुसूचित जातियों एवं कवियों से संबंधित आयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी विचार करने का अधिकार है।
4. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

jkT;lHkk dk vkykpukRed eY;kdu – राज्यसभा की शक्तियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा की तुलना में यह एक बहुत ही कम शक्तिशाली अर्थात दुर्बल सदन है। इसके सदस्यों के लिए जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है उसकी भी आलोचना की जाती है।

3-4-2- jkT;lHkk dh vkykpuk vFkok foi{k e rd (Criticism or argument in opposition to Rajya Sabha)

1 vl?kh; lxBu & राज्यसभा को असंघीय कहकर इसकी आलोचना की गई है। इसका संगठन और संघीय है क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है लेकिन भारत में इस सिद्धांत की अवहेलना की गई है। राज्यों

को प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

2 nyxr çfrfufèkRo & राज्यसभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व ना होकर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं जिसमें प्रत्येक दल को कुछ सीटें प्राप्त होती हैं।

3 vçR;{k p|uko ç.kkyh & राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है।

4 'kfäghu lnu & लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियों से कहीं अधिक है। धन बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन बिल पर केवल 14 दिन तक रोक लगा सकती है तथा उसका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्य सदन की परवाह नहीं करते।

5 fcyk dk nkgjkuk ykHknk;d ugÈ g & राज्यसभा का मुख्य कार्य बिलों को दोहराना है ताकि फिर जल्दी से पास ना हो। जल्दी से पास किए गए बिल में कमियां रहने की संभावना है। राज्यसभा अपने इसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि प्राइस एक ही दल के सदस्यों का बहुमत दोनों सदनों में होता है। इस कारण राज्यसभा आंखें मूंदकर बिलों को पारित करती है।

6 eukuhr lnL; & राज्यसभा प्रांतों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती क्योंकि 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसी संभावना हो सकती है कि यह 12 सदस्य केंद्र सरकार का पक्षपात करें तथा प्रांतों के हितों की ओर ध्यान ना दें। इस प्रकार मनोनयन की व्यवस्था प्रजातांत्रिक है।

7 jktuhfrd 'kj.k xg & आलोचकों के द्वारा राज्यसभा को राजनीतिक शरण ग्रह बताया गया है। राज्यसभा को सत्तारूढ़ दल ने वास्तविक रूप में राजनीतिक शरण ग्रह में परिवर्तित कर दिया है। सत्तारूढ़ दल के जो प्रभावी सदस्य चुनाव हार जाते हैं उन्हें पिछले दरवाजे से यानी राज्यसभा का सदस्य बनाकर राजनीति में जीवित रखा जाता है।

8 vuko';d ,o mi;kxh lnu & आलोचकों के द्वारा इस धन को अनावश्यक अनुपयोगी बताया गया है। दूसरे सदन के बारे में अवश्य ने कहा था यदि यह

सहमत होता है तो शरारती है और सहमत होता है तो फालतू है। इसी प्रकार बेंथम ने कहा था अगर द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो निरर्थक है और अगर हिम्मत है तो और प्रीति कर। इस प्रकार यह सदन अनुपयोगी है।

3-4-3- jkT; lHkk d i{k e rd vFkok jkT; lHkk dh mi;kfxrk **(Arguments in favor of Rajya Sabha or utility of Rajya Sabha)**

निसंदेह राज्यसभा की शक्तियों लोकसभा के बराबर नहीं है और ना ही यह सदन लोकसभा की तरह कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकता है।यह सदन वित्तीय मामलों में भी लोकसभा की तुलना में कमजोर सदन है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सदन निरर्थक है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है राज्यसभा की अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं। उसके कुछ गुण हैं। इसलिए इस सदन को बनाए रखा गया है। इस सदन के पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं :–

1 fcyk dk i.; fujh{k.k & राज्य सभा का प्रथम लाभ यह है कि लोकसभा के शीघ्रता पूर्वक तथा बिना विचार किए गए बिलों पर रोक लगती है। आधुनिक युग में बिलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। लोकसभा की व्यवस्था तथा कम समय होने के कारण बिलों को जल्दी ही पास कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि मिलो मैं कई त्रुटियां रह जाती है। राज्यसभा बिलों पर अधिक विचार–विमर्श करके कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। सन 1979 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन किए लोकसभा ने उसी समय मान लिया।

2 fookn ghu fcyk dk i'k gkuk & अधिकतर महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं लेकिन विवाद हैंड बिल काहे राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा ऐसे बिलों पर अच्छी तरह विचार विमर्श करते तथा इसके बाद भी लोगों को लोकसभा के पास भेज दी है। होता है ऐसे भी लोग पर लोकसभा का अधिक समय बर्बाद नहीं होता। इस तरह राज्यसभा लोकसभा के बहुमूल्य समय को बचाती है जिससे लोकसभा इस समय का सदुपयोग अन्य महत्वपूर्ण बिलो पर करती है।

3 okn fookn dk Lrj Åpk g & राज्यसभा में वाद विवाद का असर लोकसभा की अपेक्षा अधिक होता है। राज्यसभा में प्रत्येक बिल पर शांति पूर्वक विचार होता है। राज्य सभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की तुलना में कम है इसके

सदस्य अधिक अनुभवी व कुशल होते हैं। राज्यसभा कनाडा के सीनेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी है। यह अपने विवादों तथा सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालता है। राज्यसभा को हम आदर्श द्वितीय सदन कह सकते हैं। यह लोकसभा पद का कार्य करती है तथा लोकप्रिय सदन के मार्ग में अड़चनें पैदा नहीं करती।

4 LFkkÃ lnu rFkk fo'k"k vfèkdkj & राज्य सभा एक स्थाई सदन है। स्थाई सदन होने के कारण राज्यसभा उस समय भी जन्नत का प्रतिनिधित्व करती है जब लोकसभा भंग होती है। 21 जून 1977 को राज्यसभा की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और जो लगातार बना रहता है। कई विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं जैसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने प्रस्ताव के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को संसद के अधिकार क्षेत्र में ला सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के परामर्श पर केंद्र सरकार नहीं अखिल भारतीय सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है।

5 ;kX; 0;fä ;k dk çfrfufèkRo & इसमें देश के अनुभवी सज्जनप्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने विज्ञान कला साहित्य देश सेवा आदि में प्रसिद्धि प्राप्त की होती है।

6 l'kkèku dh leku 'kfä & संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को लोकसभा के समान है संविधान में संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना संभव नहीं हो सकता। अगस्त 1978 में राज्यसभा ने 40 व संशोधन प्रस्ताव के 6 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रद्द कर दिया था और दिसंबर 1978 में लोकसभा ने 44 वें संशोधन बिल को उसी तरह पास कर दिया जिस तरह राज्यसभा ने पास किया था।

7 vkikrdkyhu ?kk"k.kk dh Lohकृfr & भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है जिसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग हो तो यह स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है राज्यसभा तब भी बनी रहती है।

8 lokPp U;k;ky; rFkk mPp U;k;ky; d U;k;kèkh'kk dk in inP;r dju e jkT;lHkk dk leku 'kfä & उच्चतम न्यायालय तथा उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने से पहले केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा अलग–अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से न्यायधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजे।

9 Hkkjrh; lo◌ंèkkfud ç.kkyh d◌s vuq◌dj.k & ब्रिटिश शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ था ब्रिटिश शासन काल में भी केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की स्थापना की गई थी। आते संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा का पालन करना ही अच्छा समझा।

10 l◌a?kh; fl)kar d◌s vuq◌dj.k & भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय प्रणाली में इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन का होना जरूरी होता है इसलिए राज्यसभा इस शर्त को पूरा करने में सहायता करती है।

11 vkèkqfudrk d◌s vuq◌dj.k & सदन के पक्ष में एक और तर्क यह दिया जाता है कि यह समय की धारा के अनुकूल है। आजकल द्विसदनीय प्रणाली अपनाने का एक फैशन सा बन गया है इसलिए आज के युग में जी सदस्य प्रणाली प्रजातांत्रिक तो है ही यह एक फैशन भी है। इसको कई बार प्रजातांत्रिक परंपराओं का प्रतीक भी कहा जाता है। विगत वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्यसभा बहुत ही लाभदायक सदन है और इसे समाप्त करना मूर्खता है।

3-4-4- yk◌sdlHkk rFkk jkT;lHkk e◌sa l◌acèk **(Relations between Lok Sabha and Rajya Sabha)**

भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां तथा अधिकार सम्मान नहीं है क्योंकि लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस सदन को दूसरे सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है :–

1 èku l◌acèkh fcyk◌s vFkok ctV dk◌s ikl djuk & धन संबंधी बिल को पास करने में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है। हमें हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन संबंधी बिल अथवा वार्षिक बजट पहले लोकसभा

में ही पेश किया जाएगा उसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जब लोकसभा उस बिल को पास कर देती है तभी उसे राज्यसभा में भेजा जाता है

2 lkèkkj.k fcyk dk ikl djuk & साधारण बिलों को पास करने में भी यद्यपि संसद के दोनों सदनों का समान अधिकार दिए गए हैं परंतु व्यवहार में इस क्षेत्र में भी लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और उसके कानून बनने के लिए उसका दोनों सदनों के द्वारा पास होना आवश्यक है परंतु यदि किसी साधारण बिल के पास करने में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली बन गई है।

1 वह बिल दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाए या

2 दोनों सदन बिल में संशोधन करने के प्रशन पर असहमत हो जाएं या

3 दूसरे सदन में बिल के आने की तिथि से उसे पास किए बिना ही 6 महीने से अधिक समय बीत जाए तो राष्ट्रपति को उस दिन का फैसला करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है।

3- dk;ikfydk ij fu;=.k & भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है इसलिए कार्यपालिका विधानमंडल अर्थात संसद के प्रति उत्तरदाई है। व्यवहारिक रूप में वह केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदाई है राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न आदि तो पूछ सकते हैं परंतु उन्हें मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

4 lfoèkku e l'kkèku & यद्यपि संविधान के संशोधन के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं और संशोधन लागू होने के लिए उसका दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक है परंतु कुछ परिस्थितियों में इस क्षेत्र में भी लोकसभा की ही बात मानी जाती है। संविधान में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि संविधान में संशोधन से संबंधित किसी प्रस्ताव को पास करने में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा।

jkT; lHkk dh fo'k"k 'kfä;k &

1 संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने दो बटे तीन बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

2 संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन राज्य सभा प्रस्ताव पास करके नहीं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संघीय सरकार को दे सकती है

3-4-5- Hkkjrh; lIln dh 'kfä;k rFkk vfèkdkj **(Powers and Powers of the Indian Parliament)**

संसद संघीय सरकार का विदाई अंग है जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है परंतु संसद को इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की अन्य शक्तियां भी दी गई है जिन का अध्ययन निर्मल किन भागों में किया जा सकता है।

1 oèkkfud dk;l & संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है क्योंकि भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई है इसलिए साधारण तरह संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य विधान मंडलों को भी कानून बनाने का अधिकार है परंतु यदि किसी विषय के संबंध में संसद तथा राज्य विधानमंडल कोई परस्पर विरोधी कानून बना देते हैं तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता मिलती है।

2- foÙkh; vf/kdkj & संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले वित्त–मंत्री वार्षिक बजट संसद के सामने ही पे"ा करता है और उसे पास करवाता है। उसमें वह उस वर्ष की आय–व्यय का ब्यौरा देता है। जो व्यय भारत की संचित निधि के लिए दिए गए हैं, उनको छोड़कर शेष विषयों के सम्बन्ध में संसद को कटौती आदि करने का भी अधिकार है। वह सरकार द्वारा पे"ा की गई ''पूरक मांगों'' को भी अपनी स्वीकृति देती है।

3- fuokpu lEcU/kh dk;l & संसद के सदस्य राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उप–राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में किया जाता है।

4- U;k; lEcU/kh dk;l & संसद को कुछ न्याय सम्बन्धी शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति को, यदि वे संविधान के उल्लंघन में कार्य करें, महाभियोग द्वारा उनके पद से हटा सकती है। ऐसा प्रस्ताव किसी भी सदन में उस समय तक पे”ा नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी पूर्व सूचना सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को न दे दी जाए।

3-4-6- ykdlHkk dk v/;{k ¼Lihdj½ **(Speaker of Lok Sabha)**

लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है, ‘‘लोकसभा, यथा”ीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा और जब कभी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का यह स्थान खाली होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा।

इससे स्पीकर के बारे में तीन बातें स्पष्ट होती है –

1. वह लोकसभा का सदस्य होता है।
2. स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं।
3. स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

dk;dky & साधारणतः स्पीकर को लोकसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है, परन्तु इससे पहले भी उसे निम्नलिखित कारणों से पद से हटाया जा सकता है–

1. यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है।
2. वह अपनी इच्छा से त्याग– पत्र दे सकता है।
3. सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में वह अपना पद नई लोकसभा के प्रथम अधिवे”ान की प्रथम बैठक से पहले खाली नहीं करता।

pquko – लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात उस की पहली बैठक में लोकसभा का मुख्य कार्य स्पीकर का चुनाव करना होता है। व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री स्पीकर के चुनाव के लिए विरोधी दलों के नेताओं से विचार–विमर्श करता है कि किस व्यक्ति का नाम सदन के सामने स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के लिए रखा जाए। हमारे देश में धीरे–धीरे यह प्रथा बनती जा रही है कि पीकर शासक पार्टी में से तथा डिप्टी स्पीकर विरोधी पार्टी में से लिया

जाता है। सदन में शासक पार्टी का कोई सदस्य लोकसभा के स्पीकर के लिए नाम प्रस्तुत कर देता है तथा अन्य विरोधी पार्टियों द्वारा सदस्य के नाम का अनुमोदन हो जाता है। इस तरह लोकसभा का स्पीकर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है।19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इस प्रकार श्री ओम बिरला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। परंपरा अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित पदाधिकारी को प्रधानमंत्री एवं विपक्ष दल के नेता द्वारा आसन तक सम्मान से ले जाया जाता है और तत्पश्चात पदाधिकारी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

Lihdj dk gVk;k tkuk & स्पीकर को उसके निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे संसद के द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद में कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना जरूरी है और मेरा 14 दिन को गिनते समय प्रारंभ में अंत के दोनों दिनों को छोड़ दिया जाता है। जो सदस्य स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें यह सूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ती है। जब सदन में स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा होता है उसमें स्पीकर लोक सभा की अध्यक्षता नहीं करता। प्रस्ताव पास हो जाने पर स्पीकर को अपना पद रिक्त करना पड़ता है।

oru & स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा कई भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को ₹400000 मासिक वेतन मिलता है। उसे निशुल्क सरकारी निवास स्थान भी दिया जाता है। यह वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि स्पीकर के वेतन तथा भत्ते उसके कार्यकाल में कम ही के जा सकते। स्पीकर के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इस लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। उसका देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की सूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान सातवां स्थान है।

3-4-7- Lihdj d dk;l **(Speaker Functions)**

लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है

1 lnu dh cBdks dh vè;{krk djuk & स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। वह इस कार्य को बिना किसी पक्षपात के करता है। इस व्यवस्था को अधिक निश्चित बनाने के लिए ही उसे पद से हटाए जाने के लिए सदन के समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि वह किसी विशेष दल आदि के प्रभाव के अधीन आ रहे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है।

2 lnu dk LFkfxr djuk & स्पीकर को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को गणपूर्ति ना होने की हालत में स्थगित कर सकता है। इसी प्रकार सदन में गंभीर प्रकार के उपद्रव होने की हालत में भी वह सदन की कार्यवाही को निलंबित कर सकता है।

3 okn fookn dk le; fuf'pr djuk & सदन के नेता के परामर्श से स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा सदन के आगे दिए भाषण पर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वहीं राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन का रूप निर्धारित करता है।

4 lnu dk dk;Øe fuf'pr djuk & सदन के नेता की सलाह से स्पीकर सदन का कार्यक्रम तथा उसका क्रम निर्धारित करता है। वह निर्णय करता है कि कौन सा बिल की समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए या कौन से विषय पर के सीन बहस की जाए और मेरा सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर के लिए भी समय और दिन स्पीकर ही निश्चित करता है।

5 lnu dh dk;okgh pykuk – सदन की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेवारी स्पीकर की है। वह सदन के सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देता है और भाषण देने वालों का क्रम निर्धारित करता है। प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय भी स्पीकर ही करता है। वह बजट पर होने वाले वाद–विवाद का समय निश्चित कर सकता है और नीति कार्य को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकता है। सदन के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी स्पीकर को यह प्रार्थना और इस बारे में उसका निर्णय अंतिम होता है।

6 foÙkh; fcyks dk çekf.kr djuk & संविधान के अंतर्गत स्पीकर को यह प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है कि विशिष्ट बिल वित्तीय बिल है या नहीं। इस बारे में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस बिल को वह वित्तीय बिल प्रमाणित कर दे वह केवल

लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पास होने के पश्चात राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक समय के लिए नहीं रोक सकती और लोकसभा की इच्छा के बिना ना ही वह इसमें संशोधन कर सकती है।

7 fcyk l: lcfèkr 'kfä & कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वह किसी बिल्कुल सरकारी पत्रिका में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे तो उस बिल को औपचारिक तौर पर सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्पीकर ही बिल पर सदन का मतदान लेने के पश्चात उसे सदन द्वारा पास किया गया प्रमाणित करता है।

8 ernku djokuk & स्पीकर विभिन्न विषयों पर वाद विवाद समाप्त होने के पश्चात उस पर मतदान करवाता है और उसके परिणाम की घोषणा करता है।

9 LFkxu çLrko dh Lohकृfr & जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर सोच विचार करने के लिए रखे जाने वाले स्थगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर की सहमति लेना अनिवार्य है। वह से प्रस्ताव पर होने वाले वाद–विवाद का समय निर्धारित करता है फोन मेरा इसी प्रकार किसी बिल के बारे में हो रही बहस पर स्थगन प्रस्ताव के लिए भी पीकर की सहमति लेना आवश्यक है।

10 vu'kklu cuk, j[kuk & सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी भी स्पीकर की ही है और उसे इसके लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त है। वह किसी सदस्य को द्रव्य चार व्यवहार के लिए सदन से निकल जाने का आदेश दे सकता है। कोई यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो स्पीकर उसे कार्य वंचित कर सकता है। यदि कोई सदस्य सदन के वाद–विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो स्पीकर के विचार में नींद आत्मक अनुचित और संसदीय अशोभनीय है तो वह उन्हें सदन की कार्यवाही में से काट देने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार वह सदन में हंगामा पैदा होने से रोक सकता है।

3-4-8- Lihdj dh fLFkfr **(Speaker Position)**

स्पीकर के कार्य और शक्तियों को ध्यान पूर्वक देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। एमबी पाइली ने ठीक लिखा है पीकर सदस्यों के व्यक्तिगत और दलिया आधार पर प्राप्त अधिकारों और विशेष अधिकारों का अभी रक्षक है। संक्षेप में स्पीकर स्वयं सदन की शक्तियों कार्यवाही तथा सम्मान का प्रतीक है।

उसके पद की विशेषता यह है कि यदि लोकसभा भंग भी हो जाए तो स्पीकर का पद खाली नहीं होता। वह नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपना कार्य करता रहेगा। इसके अतिरिक्त वह पद से हटाए जाने के मामले में भी किसी विशेष वर्ग पर आश्रित नहीं होता। उसे सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। सदन के अल्पसंख्यक वर्गों को सदा ही बहुसंख्यक वर्ग के निरंकुश व्यवहार से खतरा रहता है पर यह आयतन करता है कि सत्ताधारी दल अन्य दलों के प्रति अन्याय ना करें और विरोधी दलों के सदस्यों के अधिकार न छीने। स्वयं लोकसभा एवं दृष्टिकोण से सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और स्पीकर उसका रक्षक होने के नाते राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा का चिन्ह है। संविधान के लागू होने से लेकर आज तक के समय में स्पीकर के पद से संबंधित कई महत्वपूर्ण परंपराएं स्थापित हो गई हैं। उस दौरान एक ऐसा अवसर भी आया जो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के स्पीकर श्री जीवी मावलंकर के विरूद्ध सदन के विरोधी दलों के सहयोग प्रियतम द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया। फिर भी इस प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद के दौरान स्पीकर के पद के महत्व उसकी शक्तियों तथा स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जोर डाला गया।

सन 1967 में स्पीकर के पद के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब श्री नीलम संजीवा रेड्डी ने स्पीकर के पद पर चुने जाने के पश्चात कांग्रेस दल से अपना त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड जैसी परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया परंतु श्री रेड्डी के बाद जब गुरदयाल सिंह ढिल्लों बलीराम भक्तों एवं संजीव रेड्डीसुमित्रा महाजन इत्यादि जो लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए उन्होंने इस परंपरा का पालन नहीं किया। भारत में स्पीकर का पद पूर्ण रूप से निष्पक्ष पद नहीं रहा है क्योंकि इस पेपर को रिटायर होने के पश्चात या कई बार अपने काम के दौरान ही उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है।इसके महत्व को बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कल सदन का प्रतिनिधि है। वह सदन के गौरव सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।इसलिए उचित ही है उसका पद सम्मानित तथा स्वतंत्र होना चाहिए और उच्च योग्यता तथा निष्पक्षता वाले व्यक्तियों के द्वारा ही इसे सुशोभित किया जाना चाहिए।

3-5- viuh izxfr tkap **(Check your progress)**

नीचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :–

(i) लोकसभा के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें?

(ii) भारतीय संसद के संगठन, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए?

(iii) राज्यसभा के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें?

(iv) लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) की नियुक्ति एवं उसकी शक्तियों का वर्णन करें?

(v) लोकसभा के स्पीकर के चुनाव, शक्तियां तथा स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं?

3-6- lkjk”k **(Summary)** – उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले में बहुत अधिक शक्तिशाली है। धन संबंधी बिल तथा साधारण बिलों को पास करने में लोकसभा अधिक शक्ति का प्रयोग करती है। राज्यसभा धन संबंधी बिल को केवल 14 दिन तथा अन्य जिलों को 6 महीने तक रोक सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने तथा उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश करने की शक्ति भी केवल लोकसभा के पास है राज्यसभा के पास नहीं।

3-7- **सूचक** भkCn **(Key Words)**

संसद, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर

3-8- Lo;a eSY;kdu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

1. लोकसभा स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है?
2. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है?
3. अखिल भारतीय सेवाओं का विवरण किस अनुच्छेद में है?
4. लोकसभा की वि”ोष शक्ति कौन सी है?
5. लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है?

3-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

1. आयु में सबसे बड़े सदस्य को।
2. अनुच्छेद 124 में।
3. अनुच्छेद 312 में।
4. ध्यान निधेयक के सम्बन्ध में।
5. 2 सदस्यों को।

3-10- lUnHkZ xzUFk@funsZ”kr iqLrd **(References / Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code **: BA101**	Author **: Dr. Deepak**
Lesson No. **: 4**	Vetter **:**
lfo/kku la”kks/ku izfØ;k] jkT; fo/kkueaMy & विधान परिशद, fo/kku lHkk	

v/;k; & 4 laoS/kkfud la”kks/ku izfØ;k] jkT; fo/kkueaMy & विधान परिशद, विधान सभा

4-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

4-2- izLrkouk **(Introduction)**

4-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

4-3-1 la”kks/ku dh izfØ;k **(Revision Process)**

4-3-2 la”kks/ku izfØ;k dh lkekU; fo”ेशताएँ **(General Features of the Revision Process)**

4-3-3- la”kks/ku izfØ;k dh vkykspuk **(Criticism of the Revision Process)**

4-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

4-4-1- fo/kkulHkk dk laxBu **(Composition of Legislative Assembly)**

4-4-2- pquko **(Election)**

4-4-3- राज्य विधानमण्डल की भाक्तियाँ तथा अधिकार **(Powers and Functions of State Legislature)**

4-4-4- विधान–परिशद् की रचना **(Composition of the Legislative Council)**

4-5- viuh izxfr tkapsa **(Check your progress)**

4-6- lkjka”k **(Summary)**

4-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

4-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

4-9- viuh izxfr dh tkp djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

4-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf”kr iqLrds **(References/Suggested Reading)**

4-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में समझाया गया है :–

- भारतीय संविधान के सं”ोधन की प्रक्रिया
- संविधान सं”ोधन का आधार
- राज्यों की विधानसभा का विवरण
- राज्यों की विधान परिषद् का विवरण

4-2- izLrkouk **(Introduction)**

भारतीय संविधान की एक मुख्य वि”ोषता यह है कि यह अं”ातः लचीला व अं”ातः कठोर (Partly flexible and partly rigid) है। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें सं”ोधन उसी प्रक्रिया से किया जा सके, जो एक साधारण कानून को पास करने के लिए अपनाई जाती है। इंग्लैण्ड का संविधान इसका उदाहरण है। इसके विपरीत जहाँ पर संविधान में सं”ोधन करने के लिए किसी वि”ोष प्रक्रिया के अपनाने की आव”यकता हो अर्थात् उसे साधारण कानून से पास करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से न बदला जा सके, उसे कठोर संविधान कहते हैं। अमेरिका तथा स्विट्ज़रलैण्ड के संविधान कठोर संविधान के उदाहरण हैं। हमारा संविधान चूँकि संघात्मक शासन–प्रणाली की व्यवस्था करता है इसलिए हमारे संविधान का कठोर होना आव”यक था, परन्तु हमारे संविधान के निर्माता यह अनुभव करते थे कि कठोर संविधान दे”ा की उन्नति के मार्ग में बाधा बन सकता है, क्योंकि दे”ा की बदलती हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उनको बदलना कठिन हो जाता है।

4-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

4-3-1 la”kks/ku dh izfØ;k **(Revision Process)** %& भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में सं”ोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सं”ोधन के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया है। पहले वर्ग में संविधान के वे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद अपने बहुमत से सं”ोधन कर सकती है। दूसरे वर्ग में दिए गए अनुच्छेदों में सं”ोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आव”यकता होती है। तीसरे

वर्ग के अनुच्छेदों में सं”ाोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के दो–तिहाई बहुमत के साथ–साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आव”यक होती है।

1- l।ln d। lk/kkj.k cg|er l। l”kk/ku **(Ammendment by Parliament through Simple Majority)** – संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद उसी प्रकार से सं”ाोधन कर सकती है जिस प्रकार उसके द्वारा साधारण कानून पास किए जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला (Flexible) है। पहली श्रेणी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

(i) नए राज्यों का निर्माण तथा उन्हें भारतीय संघ में शामिल करना।

(ii) वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना – उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना।

(iii) भारत की नागरिकता सम्बन्धी विषय।

(iv) राज्य की विधानसभा की सिफारि”ा पर उस राज्य में विधान–परिषद् की स्थापना करना अथवा उसे समाप्त करना।

(v) राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विषय।

(vi) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना तथा न्यायाधी”ाों की संख्या नि”चत करना।

(vii) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ नि”चत करना।

2- d|N vu|PN|n l।ln d। nkuk। lnuk। d। nk&frgkb। cg|er l। l”kkf/kr fd, tk ldr। g। **(Some provisions can be changed by two-third majority of both houses of the Parliament)** – दूसरी श्रेणी में वे अनुच्छेद हैं जिनमें सं”ाोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के अधिकां”ा अनुच्छेदों में सं”ाोधन इसी ढंग से किया जा सकता है। इस ढंग के अनुसार संविधान के अनुच्छेदों में सं”ाोधन संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। यहाँ यह बता देना आव”यक है कि संविधान के भाग III तथा IV में भी सं”ाोधन इसी ढंग से किए जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में सं”ाोधन नहीं कर सकती है।

3- d|N vu|PN|n l।ln d। nkuk। lnuk। e। nk&frgkb। cg|er rFkk vk/k। jkT;k। dh fo/kkuikfydkvk। d। leFkZu l। gh cny। tk ldr। g। **(The provisions**

which can be changed by two-third majority of both houses of Parliament and ratification by atleast half of State Legislatures) – तीसरी श्रेणी में संविधान के वे अनुच्छेद आते हैं, जिनमें सं”ोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में अत्यन्त कठोर ढंग का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सं”ोधन के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग से समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है तथा बाद में इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

4-3-2- l”kk/ku ifØ;k dh lkekU; fo”**शताएँ (General Features of the Revision Process)** ½& संविधान सं”ोधन प्रक्रिया की सामान्य वि”ोषताओं को निम्नानुसार वि”लेषित किया जा सकता है –

1- **संसद को व्यापक भाक्तियों (Enormous powers of Parliament)** – भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित कर उसे शक्ति–संपन्न स्वरूप प्रदान किया गया है। अतः संविधान में सं”ोधन करने की व्यापक शक्तियाँ संसद में ही निहित है।

2- vuPNn 368 e l”kk/ku dk lln dk vf/kdkj **(Parliament having right to Amend the Provision No. 368)** – संसद को इतना सक्षम बनाया गया है कि वह न केवल संविधान के अन्य अनुच्छेदों को बल्कि सं”ोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 को भी सं”ोधित कर सकती है।

3- **राश्ट्रपति की स्वीकृति आव”**;d **(The Consent of the Prime Minister Essential)** – संविधान सं”ोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी सं”ोधन विधेयक पर अनुमति देने से इन्कार नहीं कर सकता। यह संविधान के 24वें सं”ोधन में स्पष्ट कर दिया गया है। यह व्यवस्था अमेरिकन संविधान से इस दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं कि वहाँ सं”ोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की आव”यकता नहीं है। वहाँ संविधान में राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका ही है।

4- vk/k jkT; fo/kkueMyk dk vuleFku **(Follow-up of half of State Legislatures)** – भारत में कतिपय संविधान सं”ोधनों को पारित किए जाने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना आव”यक है। इस प्रकार राज्य तो संसद द्वारा

पारित सं”ाोधन विधेयक का अनुसमर्थन ही कर सकते हैं। उन्हें संविधान सं”ाोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

5- l?kkRed 0;oLFkk dh lqn<rk dk /;ku **(Attention towards solid Council Arrangement)** – सं”ाोधन प्रक्रिया का निर्धारण करते समय ‘संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता’ को ध्यान में रखा गया है जिससे संघीय इकाइयों को असन्तोष न हो। संघात्मक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सं”ाोधन करने के लिए राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति का प्रावधान रखकर संविधान–निर्माताओं ने दे”ा की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का भागीरथ प्रयास किया है।

6- uE;rk vkj vuE;rk dk feJ.k **(Mixture of Politeness and Impoliteness)** – सं”ाोधन प्रक्रिया न एकदम लचीली है और न एकदम कठोर है। इसमें नम्यता और अनम्यता का सुंदर सम्मिश्रण है जैसा कि ,e-oh- ik;yh का मानना है, ^^,:Ik dkbl vU; l?kkRed lfo/kku ugh g tk uE; rFkk vuE; nkuk gh i:dkj dh l”kk/ku ifØ;k dk i:;kx djA ;g fo”**ोशता केवल भारतीय संविधान में ही** gA**

7- tuer lxg dh 0;oLFkk ugh **(No need of public opinion)** – भारत में संविधान–सं”ाोधन के लिए जनमत–संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जेसा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में विद्यमान है।

8- l:ln }kjk lfo/kku d: ey Lo:Ik e: ifjorlu ugh **(Parliament having no power to change the basic structure of constitution)** – भारत में यद्यपि संविधान में सं”ाोधन करने में संसद को महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ असीमित (Unlimited) नहीं हैं। के”ावानन्द भारती विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद संविधान में सं”ाोधन तो कर सकती है, परन्तु वह संविधान के मूलस्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय संसद की असीमित शक्तियों को नियंत्रित करता है।

4-3-3- l”kk/ku ifØ;k dh vkykpuk **(Criticism of the Procedure of Amendment)** – यद्यपि संविधान निर्माताओं ने एक आद”ी सं”ाोधन पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी वर्तमान सं”ाोधन पद्धति की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है–

1- **राज्य विधानमण्डलों से पुश्टि के लिए समय–सीमा निर्धारित नहीं (No Fixed Time limit for the Approval of State Assembly)** – सं”ाोधन पद्धति की पहली आलोचना इस आधार पर की गई है कि जब सं”ाोधन संसद द्वारा पारित होने के बाद राज्यों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्य स्वीकृति देने के लिए कितना समय लेंगे, यह नि”चत नहीं किया गया है। राज्य विधानमण्डल अनाव”यक देरी–मार्ग अपनाकर सं”ाोधन के कार्य में बाधक बन सकते हैं।

2- erHkn nij djui dh 0;oLFkk ugh **(No Provision for Resolving Dead Lock)** – साधारण विधेयक पर कहीं संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवे”ान बुलाकर मतभेद को दूर करवा सकता है लेकिन सं”ाोधन विधेयक पर मतभेद के बारे में संयुक्त अधिवे”ान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे राज्य सभा कई बार लोक सभा द्वारा पारित संविधान सं”ाोधन को रद्द कर देती है। जैसे सन् 1970 में राज्य सभा ने 'प्रिवी पर्स उन्मूलन' सं”ाोधन की अस्वीकार कर दिया था। ऐसे ही राज्य सभा ने सन् 1989 में पंचायती राज से सम्बन्धित 64वें संवैधानिक सं”ाोधन को रद्द कर दिया था।

3- **राज्यों के पास पहल करने की भाक्ति नहीं (States have no Power to Initiate the Amendment)** – संघात्मक व्यवस्था में साधारणतः राज्यों को संविधान में सं”ाोधन प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होता है लेकिन भारतीय संविधान में राज्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास पुष्टि के लिए सभी सं”ाोधन नहीं आते। ऐसी धाराओं की संख्या बहुत कम है जिन पर कम–से–कम आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। इस प्रकार संविधान के एक बहुत बड़े भाग में राज्यों की स्वीकृति के बिना ही सं”ाोधन हो जाता है। आलोचकों ने यह कहकर आलोचना की है कि सं”ाोधन करना तो केवल केन्द्र का ही अधिकार बन गया है।

4- tuer lxg dk u gkuk **(No Provision for Referendum)** – भारत में संविधान सं”ाोधन की विधि ऐसी है जिसमें जनता की अवहेलना हो सकती है, क्योंकि इसमें जनता की राय जानने की कोई व्यवस्था नहीं है। 44वें सं”ाोधन बिल के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान की मूल वि”ाषताओं को जनमत संग्रह द्वारा ही बदला जा सकता है। इस सं”ाोधन को लोक सभा ने तो पास कर दिया, परन्तु राज्य सभा ने इस सं”ाोधन बिल को जनमत संग्रह के अनुच्छेद को पास नहीं किया। राज्य सभा का यह

विचार है कि भारत जैसे वि”ााल दे”ा के लिए जनमत संग्रह करवाना बहुत कठिन है और यह खर्चे का मामला है।

5- **अस्पश्ट (Not Clear)** – संविधान में दी गई सं”ाोधन प्रक्रिया को इस बात के आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि संसद द्वारा पास किए गए सं”ाोधन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। यद्यपि संविधान के 24वें सं”ाोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। यद्यपि संविधान के 24वें सं”ाोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु यह बात अब भी स्पष्ट नहीं है कि उसे अपनी स्वीकृति कितने समय में दे देनी चाहिए।

6- dBkj i.fØ;k **(Rigid Procedure)** – कई विषयों में सं”ाोधन की प्रक्रिया अति कठोर है। पहले तो इसके बारे में संसद के दोहरे बहुमत की आव”यकता होती है। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके प”चात् उसे कम–से–कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। यह प्रक्रिया उस समय वास्तविक कठिनाई उत्पन्न कर सकती है जब केन्द्र में एक दल की तथा अधिकतर राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हों।

7- l?kkRed i.kkyh d fo#) **(Against Federalism)** – भारतीय संविधान की अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य–सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यह संघीय सरकार के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसी प्रकार संसद किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगठन द्वारा किए गए निर्णय को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वह राज्य–सूची में हो। यह व्यवस्था भी अनुचित है क्योंकि राज्य–सूची में परिवर्तन करने के लिए वि”ाेष प्रक्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए।

8- v/kk/kq/k l”kk/ku **(Blind Amendment)** – स्वतंत्रता के प”चात् दे”ा में किए गए संविधान सं”ाोधनो के अंधाधुंध क्रम ने सं”ाोधन पद्धति की असफलता को उजागर

कर दिया है। आलोचकों का यहाँ तक कहना कि इन व्यापक संविधान सं”ाोधनों के कारण 'मूल संविधान' तो समाप्त हो गया है, केवल सं”ाोधन बाकी रह गए हैं।

4-4- ikB d vkx dk e[; Hkkx (Further main body of the text)

4-4-1- fo/kku lHkk dk lxBu (Composition of Legislative Assembly) – संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या नि”चत नहीं की गई है। अनुच्छेद 170 में केवल इतना कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं होगी। प्रत्येक जनगणना के प”चात् राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर नि”चत की जाती है। इस कारण से यह संख्या भिन्न–भिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न है। संविधान के 42वें सं”ाोधन द्वारा यह व्यवस्था की ई है कि सन् 2000 के प”चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव–क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आँकड़े लिए जाएँगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार नि”चत तथा प्रका”ात हो चुके हैं। 31 अगस्त, 2000 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत महत्वपूर्ण निर्णय एवं संसद द्वारा अगस्त 2001 में पास किए संवैधानिक सं”ाोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सन् 2026 तक बढ़ाए बिना उनका परिसीमन किया जाएगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओ और प्रतिनिधियों के अनुपात में समानता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का आबादी के आधार पर पुनर्निर्धारण करने का निर्णय भी हुआ जो 1991 की जनसंख्या के आधार पर लागू होगा।

4-2-2- pquko (Election) – राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव राजय के मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर निर्वाचन–क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम–से–कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित एवं आदिम जातियों के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे गए हैं। यदि एंग्लो–इण्डियन समुदाय को विधानसभा में चुनाव के आधार पर कोई स्थान प्राप्त न हो सके, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक

सदस्य को राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2019 में पारित 104वें संवैधानिक सं”ोधन द्वारा एंग्लो–इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

4-2-3- राज्य विधानमण्डल की भाक्तियाँ तथा अधिकार (Powers and Functions of State Legislature) –

1- dkuu lEcU/kh vf/kdkj **(Legislative Powers)** – राज्य विधानमण्डल को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य–सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानपालिका के बनाए कानूनों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है।

2- foÙk lEcU/kh vf/kdkj **(Financial Powers)** – राज्य विधानपालिका को राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर पूरा–पूरा नियन्त्रण प्राप्त है। वहीं राज्य का बजट पास करती है। उसकी स्वीकृति के बिना सरकार न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही एक पैसा खर्च कर सकती है परन्तु विधानपालिका के इस अधिकार की भी कुछ सीमाएँ हैं। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि वित्त बिल केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान–परिषद् उसे अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है। यदि वह 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती तो बिल पारित समझा जाता है।

3- dk;Zikfydk lEcU/kh vf/kdkj **(Executive Powers)** – राज्यों में संसदीय शासन–प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अनुसार एक मन्त्रि–परिषद् की व्यवस्था की गई है। यह मन्त्रि–परिषद् अपने शासन सम्बन्धी कार्यों के लिए विधानमण्डल के निचले सदन अर्थात् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

(i) प्र”न और अनुपूरक प्र”न पूछकर।

(ii) काम रोको प्रस्ताव पास करके।

(iii) मन्त्रियों द्वारा पे”ा किए बिल को अस्वीकार करके।

(iv) मन्त्रियों के विरुद्ध अवि”वास का प्रस्ताव पास करके।

4- lo/kkfud vf/kdkj (Constitutional Powers) – राज्य विधानमण्डल को कुछ संवैधानिक अधिकार या शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संविधान की कुछ धाराओं में सं”ाोधन के लिए राज्य विधानपालिकाओं की स्वीकृति अनिवार्य हैं। उनकी स्वीकृति के बिना वे संविधान में सं”ाधन नहीं कर सकते अर्थात् सं”ाोधन करने के लिए राज्य विधानमण्डलों के कम–से–कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों की अनुमति मिलनी अनिवार्य है।

5- pquko lEcU/kh vf/kdkj (Electoral Powers) –

(i) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं।

(ii) राज्य की विधान–परिषद् के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

(iii) विधानसभा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करने पर संसद कानून पास करके किसी राज्य में विधान–परिषद् को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी स्थापना कर सकती है।

4-2-4- विधान–परिशद् की रचना (Composition of Legislative Council) – भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान–परिषद् की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधान–परिषद् के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं हो सकती। यहां यह उल्लेखनीय है कि जम्मू–क”मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के द्वारा जम्मू–क”मीर को 8वें एवं लद्दाख को 9वें केन्द्र–”ाासिन प्रदे”ा बनाए जाने के बाद जम्मू–क”मीर केन्द्र शासित प्रदे”ा को विधानसभा वाला केन्द्र–”ाासित प्रदे”ा बनाने की घोषणा भी की गई। यद्यपि यहां यह उल्लेखनीय है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर इन्हें एक ही केन्द्र”ाासित क्षेत्र के रूप में रूपान्तरित करने के लिए दादरा नगर हवेली और दमन–दीप (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पास करने के उपरान्त 9 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के प”चात् 26 जनवरी, 2020 को यह विलय प्रभावी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र शासित प्रदे”ाों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है।

;kX;rk,i **(Qualifications)** – विधान–परिषद् का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ नि"चत की गई हैं –

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(3) वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो।

(4) उसमें वे सब योग्यताएँ होनी चाहिएं जो संसद के कानून द्वारा नि"चत की गई हैं।

(5) उसमें कोई ऐसी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, जो कानून द्वारा नि"चत की गई हो।

dk;ldky **(Tenure)** – विधान–परिषद् एक स्थायी सदन है जो पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के प"चात् अवका"ा ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अवका"ा ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं।

inkf/kdkjh **(Officers)** – विधान–परिषद् का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव विधान–परिषद् के सदस्य अपने में से करते हैं। अध्यक्ष विधान–परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उनमें अनु"ाासन बनाए रखता है। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन दोनों अधिकारियों को सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना आव"यक है।

vf/kos"ku **(Session)** – विधान–परिषद् का अधिवे"ान राज्यपाल द्वारा ही बुलाया जाता है, लेकिन एक वर्ष में दो बार अधिवे"ान होने अनिवार्य हैं। दो अधिवे"ानों के बीच का अन्तर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए।

lnL;ks ds fo"**ोशाधिकार** **(Privileges of the Members)** – विधान–परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित वि"ोषाधिकार प्राप्त हैं –

(1) विधान–परिषद् के सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूरी स्वतन्त्रता है।

(2) सदन में दिए गए भाषण के आधार पर सदस्यों के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला जा सकता।

(3) सदस्यों को अधिवे”ान शुरू होने से 40 दिन पहले और अधिवे”ान समाप्त होने के 40 दिन बाद तक के बीच के समय में दीवानी मुकदमों के लिए बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

4-5- viuh i xfr tkp **(Check your progress)**

नीचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :–

(i) भारतीय संविधान में सं”ाोधन की विधि का वर्णन करो।

(ii) संवैधानिक सं”ाोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें।

(iii) भारतीय संविधान के 42वें सं”ाोधन की मुख्य वि”ोषताओं का उल्लेख कीजिए।

(iv) भारतीय संविधान के 44वें सं”ाोधन की मुख्य धाराओं की व्याख्या करो।

(v) भारतीय संविधान के 52वें सं”ाोधन पर संक्षिप्त नोट लिखें।

(vi) संवैधानिक सं”ाोधनों के सामाजिक–राजनीतिक प्रभावों का वर्णन करें।

4-6- lkjk’’k (Summary) – ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो इंग्लैण्ड के संविधान की भांति लचीला है और न ही अमेरिकन संविधान की तरह कठोर है। यद्यपि यह संविधान पूर्ण रूप से लचीला संविधान नहीं है, परन्तु फिर भी यह दे”ा की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला है। सन् 1963 में कानून मन्त्री श्री ए.के. सेन ने संसद में एक सं”ाोधन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, ''संविधान लोगों के लिए होते हैं, लोग संविधानों के लिए नहीं।''

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि 44वां सं”ाोधन बहुत ही महत्वपूर्ण सं”ाोधन है, जिसके द्वारा संकटकालीन स्थिति में 42वें सं”ाोधन द्वारा लाई गई गलतियों को सुधारा गया है तथा 44वें सं”ाोधन के द्वारा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री संकटकालीन धाराओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की केवल लिखित सलाह पर ही धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर राष्ट्रपति उचित समझे, तो वह मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को दोबारा विचार करने के लिए भी कह सकता है। अब कार्यपालिका को धारा 20 तथा 21 को स्थगित करने का अधिकार नहीं रहा। अब इस सं”ाोधन के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के उच्च न्यायालयों के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता तथा संकटकालीन स्थिति में संसद की कार्यवाही प्रका”ात

करने का अधिकार भी निलम्बित नहीं किया जा सकता। अंत में, 44वें सं”ाोधन द्वारा काफी हद तक वह स्थिति स्थापित हो गई है, जो कि 42वें सं”ाोधन से पूर्व की स्थिति थी।

कानून निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में अपनाई गई कानून निर्माण प्रक्रिया केन्द्रीय कानून निर्माण प्रक्रिया से मिलती–जुलती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर विधानमण्डल के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। समितियाँ अपनी रिपोर्ट द्वारा वि”ोष विचार प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि विरोधी दलों को भीं अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है।

4-7- सूचक भाब्द (Key Words)

संविधान सं”ाोधन की प्रक्रिया, मन्त्रि परिषद् मंत्रीमण्डल, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयता

lfo/kku l”kk/ku dh ifØ;k &

भारतीय संविधान सं”ाोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के पुराने कानूनों में बदलाव लाने की प्रक्रिया को संविधान सं”ाोधन कहा जाता है।

मंत्री परिशद –

मंत्री परिषद में विधान सभा के सभी चुने गए मन्त्रियों को शामिल किया जाता है।

e=h e.My &

मन्त्रिमण्डल में सरकार के उन सभी मन्त्रियों को शामिल किया जाता है जो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं।

foÙk fo/k;d &

वित्त विधेयक से हमारा अभिप्राय उस विधेयक से है जिसके आधार पर सरकार को कानून के दायरे में रहते हुए बजट मे से पैसे को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है।

fofu;kx fo/k;d &

विनियोग विधेयक हमारा अभिप्राय उस विधेयक है जिसके आधार पर सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है।

4-8- Lo;l eY;kdu gr i”u (Self Assessment Questions)

1. भारतीय संविधान में सं”ोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में किया गया है।
2. 2021 तक भारतीय संविधान में कितने संवैधानिक सं”ोधन हो चुके है।
3. किस सं”ोधन द्वारा लोकसभा की अवधी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई।
4. भारत के संविधान के किस सं”ोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है।
5. भारतीय संविधान में सं”ोधन करने का अधिकार किसके पास है।

4-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

(i) 368

(ii) 105

(iii) 42वां सं”ोधन

(iv) 35वें

(v) भारत के राष्ट्रपति के पास

4-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf'kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ाासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।

<table>
<tr><td colspan="2">Subject : jktuhfrd foKku</td></tr>
<tr><td>Course Code : BA101</td><td>Author : Dr. Deepak</td></tr>
<tr><td>Lesson No. : 5</td><td>Vetter :</td></tr>
<tr><td colspan="2">iapk;rh jkt laLFkk % bfrgkl] ewyHkwr fo"ोशताएं, 73वां और 74oka lafo/kku la"kks/ku</td></tr>
</table>

v/;k; & 5 iapk;rh jkt laLFkk % bfrgkl] ewyHkwr fo"ोशताएं, 73oka vkSj 74oka lafo/kku la"kks/ku

5-1 vf/kxe mn~ns"; **(Learning Objectives)**

5-2- izLrkouk **(Introduction)**

5-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

5-3-1- 73osa lafo/kku la"kks/ku ds mn~ns"; **(Objectives of the 73rd Constitutional Amendment)**

5-3-2- 73osa lafo/kku la"kks/ku vf/kfu;e dh izeq[k fo"ोशताएं **(Salient Features of the 73rd Constitutional Amendment Act)**

5-3-3- 73osa lafo/kku la"kks/ku dk egRo **(Significance of 73rd Constitutional Amendment)**

5-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

5-4-1- 74oka lafo/kku la"kks/ku vf/kfu;e **(74th Constitutional Amendment Act)**

5-4-2- 74osa lafo/kku la"kks/ku ds mn~ns"; **(Objectives of the 74th Constitutional Amendment)**

5-4-3- 74osa lafo/kku la"kks/ku dh izeq[k fo"ोशताएँ **(Salient Features of the 74th Constitutional Amendment)**

5-4-4- 74osa lafo/kku la"kks/ku dk egRo **(Significance of 74th Constitutional Amendment)**

5-4-5- jkT; fo/kkueaMy **(State Legislature)**

5-4-6- fo/kku ifj"kn dk xBu **(Constitution of Legislative Council)**

5-5- viuh izxfr tkaps **(Check your progress)**

5-6- lkjka"k **(Summary)**

5-7- **सूचक भाब्द (Key Words)**

5-8- Lo;a eWY;kadu gsrq iz"u **(Self Assessment Questions)**

5-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer to check your progress)**

5-10- lUnHk xUFk@funf”kr iLrd (References/Suggested Reading)

5-1 vf/kxe mnns”; (Learning Objectives)

हम इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे :–

- 73वें संविधान सं”ोधन
- 74वां संविधान सं”ोधन अधिनियम

5-2- iLrkouk (Introduction)

स्वतन्त्रता प”चात दे”ा को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे नीति निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह संविधान सं”ोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो क कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्नजीवित करने के लिये संविधान में सं”ोधन किये गये। ये सं”ोधन तिहत्तरवां व चौहत्तरवां सं”ोधन अधिनियम कहलाये। तिहत्तरवें संविधान सं”ोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्व”ाासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आव”यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहां स्थानीय स्व”ाासन को प्रमुखता दी गई है व सक्रिय किये जाने के निर्दे”ा है वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनि”िचत करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान सं”ोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायतीय पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संविधान की बाध्यता के अधीन है, अतः राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव होना निर्भर करेगा।

73वां सं”ोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) के प्रावधानों को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

1. अनिवार्य
2. स्वैच्छिक

कानून के अनिवार्य नियम में सम्मिलित है – नई पंचायतीराज पद्धति, दूसरे भाग में स्वैच्छिक प्रावधान को राज्यों के निर्दे”ानुसार सम्मिलित किया जाता है, अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य के नई पंचायतीराज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक और प्र”ासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनि”चत करता है, अर्थात् भारत की संघीय पद्धति में केंद्र और राज्यों के संतुलन को कानून प्रभावित नहीं करता, फिर भी यह राज्य (स्थानीय सरकार) मुद्दे पर केन्द्रीय कानून है, कानून राज्य के अधिकार – क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करता जिसे पंचायतों को ध्यान में रखकर पर्याप्त स्वैच्छिक शक्तियाँ दी गई हैं। यह कानून दे”ा में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की उन्नति में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र (Representative Democracy) और भागीदारी लोकतंत्र (Participative Democracy) में बदलता है। यह दे”ा में लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर पर तैयार करने की एक युगान्तकारी और क्रांतिकारी सोच है।

5-3- v/;;u dk eq[; fcUnq (Main Points of Text)

5-3-1- 73oa lafo/kku la”kks/ku dk mn~ns”; (Objectives of the 73rd Constitutional Amendment) %

- पंचायतों को मजबूत, अधिकार सम्पन्न व स्थानीय स्व”ासन की इकाई के रूप में स्थापित करना।
- विकेन्द्रीकृत करना तथा स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना।
- स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, विकास कार्यों व शासन में लोगों की भागीदारी सुनि”चत करना।

- ग्राम विकास प्रक्रिया के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में गांव के लोगों की सहभागिता सुनि"चत करना व उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराना।
- लम्बे समय से हासिये पर रहने वाले तबकों जैसे महिला, दलित एवं पिछड़ों को ग्राम विकास व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
- स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ाना व लोगों को अधिकार देना।

5-3-2- 73o lfo/kku l”kk/ku vf/kfu;e dh ieq[k fo”ेशताएँ **(Salient Features of the 73rd Constitutional Amendment Act)** %

1- ipk;rh jkt lLFkkvk dk lo/kkfud Lrj & 73वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। अधिनियम का प्रस्ताव संसद के समक्ष 1991 में 72वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम के रूप में किया गया था किन्तु पारित होते–होते यह 73वां संविधान सं”ाोधन अधिनियम, इस प्रकार यह संविधान सं”ाोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपत्र में 24 अप्रैल, 1993 को प्रका"ात और प्रवर्तित हुआ। इस संविधान सं”ाोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के प”चात् एक नया हिस्सा भाग 9 'पंचायत' शीर्षक से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए दे”ा में पंचायती राज संस्था से सम्बन्धित आव”यक तत्वों का न केवल समावे”ा किया गया है अपितु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गई है। पूर्व में केवल अनुच्छेद 40 के माध्यम से नीति निदे”ाक तत्वों में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया था किन्तु अब उपर्युक्त व्यवस्था हो जाने के प”चात् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है।

2- xke lHkk dk iko/kku & संविधान सं”ाोधन अधिनियम यह उपबंध करता है कि ग्राम स्तर पर ग्रामसभा ऐसी शक्तियों का संव्यवहार और कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधान मंडल अधिनियम द्वारा नि"चत करें।

3- f=Lrjh; iapk;rh jkt & प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाए जाने का सामान्य निर्दे”ा किया गया है। इन्हीं प्रावधानों में 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायती राज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है। सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन के संबंध में अधिनियम बनाकर प्रावधान करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते समय राज्यों को यह सुनि”चत करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर गठित की जाने वाली पंचायती राज इकाई की जनसंख्या समूचे राज्य में यथासंभव समान रहनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में 73वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम की धारा 243 सी (2) (3) (4) (5) में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से यह अधिकार राज्य के विधान मंडलों को दिया गया है कि वे विधि द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों – ग्राम पंचायतों, मध्य स्तरीय इकाइयों और जिला इकाइयों के अध्यक्ष / सभापति के संबंध में तथा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए आव”यक उपबंध कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के सभापति/सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधान करने का दायित्व संविधान सं”ाोधन द्वारा सम्बन्धित विधान मंडल पर छोड़ा गया है, किन्तु पंचायती राज की मध्यवर्ती व जिला स्तरीय इकाइयों के सभापति अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस सं”ाोधन में यह प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित इकाइयों के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक का सभापति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन कर सकेंगे।

4- pqukoksa esa vkj{k.k &

¼d½ vuqlfpr tkfr tutkfr d s fy, vkj{K.k & संविधान सं”ाोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों के आरक्षण की इस प्रक्रिया का बारी–बारी से आवर्तन (रोटे”ान) पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में किया जाता रहेगा। इन वर्गों के लिए उपर्युक्त

रीति से आरक्षित की गई कुल सीटों से कम से कम एक – तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

¼[k½ efgykvk d fy, vkj{k.k & इस संविधान सं”ाोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायती राज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इसमें संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक – तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी–बारी से किया जाता रहेगा।

¼x½ lHkkifr v/;{k d fy, vkj{k.k & इस संदर्भ में संविधान सं”ाोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायती राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों या सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे। इस प्रावधान के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज इकाइयों के अध्यक्ष सभापति के पदों के लिए आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सभापति व अध्यक्ष के एक–तिहाई पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार के आरक्षण के आवर्तन का निर्दे”ा भी संविधान सं”ाोधन में सन्निहित है। इस प्रकार की सीटों का आरक्षण (महिलाओं के स्थानों के अतिरिक्त) संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए किए गए आरक्षण के समाप्त होने पर स्वतः निरस्त हो जाएगा।

¼?k½ fiNM oxk d fy, vkj{k.k & संविधान सं”ाोधन अधिनियम यह उपबंध भी करता है कि राज्य विधान मंडल, समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान, अधिनियम बनाकर कर सकेंगे। राजस्थान में आरम्भ में इस संबंध में 15 प्रति”ात किन्तु 4 अक्टूबर, 1999 के प”चात् यह आरक्षण 21 प्रति”ात कर दिया गया है।

5- **dk;Zdky ls lEcfU/kr izko/kku** & शासन के इस तीसरे सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केन्द्र व राज्य सरकार की भांति समान करने के लिए सं”ाोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल, यदि वह राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो, 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं। इसी सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान के इस सं”ाोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष घोषित किया गया है तथा शब्द इससे अधिक नहीं पर वि”ोष बल दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान सं”ाोधन के f”kल्पी यह चाहते हैं कि पंचायती राज इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा अब तक लम्बे समय तक अधिक्रमित रखे जाने की प्रवृत्ति पर संविधान के माध्यम से एक निर्णायक अंकु”ा लगाया जाए। इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराए जाने होंगे। इस सन्दर्भ में सं”ाोधित अधिनियम यह उपबन्ध भी करता है कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसे चुनाव कराए जाने आव”यक नहीं होंगे। भंग किए जाने के प”चात् नई चुनी हुई पंचायती राज इकाई, उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वह इकाई कार्य करती, यदि वह भंग नहीं की गई होती।

6- **v;kX;rkvksa ds lEcU/k esa izko/kku** & पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की अनर्हताओं या अयोग्यताओं के विषय में सं”ाोधन अधिनियम में कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य में चुनावों की अनर्हताओं से सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस संबंध में उठे हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया का संबंधित राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे।

7- **पंचायती राज संस्थाओं की भाक्तियों और दायित्व** – विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति के संदर्भ में सं”ाोधन अधिनियम में कहा गया है कि संविधान के

प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधान मंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आव"यक शक्तियाँ और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून इन संस्थाओं को, वि"ोष रूप से लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित मामलों सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में वि"ाष्टतः प्रावधान कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद (243) जी में इसी सं"ाोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गये हैं जो इस प्रकार –

1. कृषि (कृषि विस्तार सहित) भूमि सुधार,
2. कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ,
3. भूमि सुधार क्रियान्वयन,
4. चकबन्दी एवं मृदा संरक्षण लघु सिंचाई,
5. जल प्रबंध तथा जल संभरण विकास प"ाुपालन
6. डेयरी विकास तथा मुर्गीपालन मत्स्य उद्योग सामाजिक वानिकी
7. लघु वन उत्पाद लघु उद्योग (इसमें खाद्य प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) खादी
8. लौका जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
9. ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास
10. पेयजल
11. पुस्तकालय
12. ईंधन एवं चारा
13. सड़क, पुलिया
14. ग्रामीण विद्युतीकरण (इसमें विद्युत वितरण भी सम्मिलित है)
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. ि"ाक्षा (इसमें प्राथमिक तथा सैकेण्डरी ि"ाक्षा सम्मिलित है)
18. तकनीकी प्रि"ाक्षण तथा व्यावसायिक ि"ाक्षा

19. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक ि"ाक्षा
20. सांस्कृतिक कार्यकलाप
21. बाजार एवं मेले
22. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रबंध (इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय सम्मिलित हैं)
23. परिवार कल्याण
24. महिला एवं बाल विकास
25. समाज कल्याण (इसमें विकलांग, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति सम्मिलित)
26. कमजोर वर्गों का कल्याण (वि”ोषतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण)
27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
28. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

vfuok;l vkj ,fPNd mic/k %

d- vfuok;l ;k ck/; iko/kku %

1. एक ग्राम या ग्रामसमुह व ग्रामसभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. पंचायतों में मतदान के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम आयु होना।
6. सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सदस्यों और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थानों (सदस्यों एवं अध्यक्षों दोनों का आरक्षण)
8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पाँच वर्षों का निि"चत कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर ताजा चुनाव।
9. पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना।

10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन।

[k- ,fPNd i{ko/kku %

1. संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण (सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए) प्रदान करना।

3. पंचायतों को शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्र”ाासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।

4. पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अन्तरण करना ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार कर सकें और 11वीं अनुसूची में उल्लिखत 29 कार्यों में से सभी या कुछ कार्यों को निष्पादित कर सकें।

5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर प्र”ाुल्क, चुंगी इत्यादि वसूलने और उद्गृहीत करने का प्राधिकार सौंपना।

73वें संविधान सं”ाोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कोष निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए इन संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले करों के संबंध में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल, विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। राज्य का विधान मंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान कर सकेगा। इस प्रकार संविधान सं”ाोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करारोपण के संबंध में आव”यक प्रावधान करने का अधिकार पुनः राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है। सं”ाोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायती राज इकाइयों के

मध्य वितरण किया जा सकेगा और जो कर पंचायती राज संस्थाएँ आरोपित करेंगी उन्हें वे न केवल एकत्र कर सकेंगी अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर ही कर सकेंगी।

8- foÙk vk;kx dk xBu dk izko/kku & संविधान सं”ाोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल, 73वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम के प्रवर्तन के एक वर्ष की अवधि में और उसके प”चात प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, और राज्य सरकार द्वारा लगाये गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को चिन्हित करने, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धान्तों का निर्धारण और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों तथा वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौंपे गए किन्हीं भी अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राजस्थान में 1995 में प्रथम वित्त आयोग ने के. के. यल की अध्यक्षता, द्वितीय आयोग ने हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता और तृतीय वित्त आयोग ने माणक चन्द सुराणा की अध्यक्षता में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

9- iapk;rh jkt laLFkkvksa dk ys[kk o vads{k.k dk lca/k esa izko/kku &संविधान सं”ाोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले लेखा व उसके अंकेक्षण के संबंध में, राज्य विधान मंडल विधि बनाकर आव”यक प्रावधान कर सकेंगे।

10- iapk;rh jkt laLFkkvksa ds pqukoksa ls lEcfU/kr izko/kku & अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन और पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निदे”ान और नियंत्रण द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा”ार्तों का निर्धारण राज्यपाल, विधान मंडल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेंगे। इस प्रावधान के परंतु क में यह कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारणों से और उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिन कारणों और जिस रीति से उच्च न्यायालय

के एक न्यायाधी”ा को हटाया जाता है तथा कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा”ार्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसके लिए विनिर्”चत कृत्यों के निर्वाह में सहायता देने के लिए राज्य का राज्यपाल आव”यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। इस संविधान सं”ाोधन को नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा प”चमी बंगाल के दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में प्रवर्तित होने से मुक्त रखा गया है। इस संविधान सं”ाोधन के माध्यम से किए गए प्रावधानों को केन्द्र”ाासित प्रदे”ाों के लिए भी प्रभावित माना जाता है।

11- fo|eku dkuuks vkj ipk;rks dk tkjh jguk & इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक पंचायतों से सम्बन्धित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे अर्थात् राज्यों को 24 अप्रैल, 1993 के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली अपनानी होगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी। ब”ार्ते कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए। फलस्वरूप, अधिकां”ा राज्यों ने पंचायती राज्य अधिनियम को वर्ष 1993 और 1994 में पारित कर दिया तथा संविधान के 73वें (सं”ाोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार नई प्रणाली को अपना लिया।

इस प्रकार दे”ा में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कमियों और न्यूनताओं जिनमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अीााव, इनके अनियमित चुनाव, लम्बे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय आर्थिक द”ाा, उन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों के अभाव, अनुसूचति जाति व जनजाति तथा महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा इन संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थितियां प्रमुख थीं, के निवारण के लिए 73 वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम के माध्यम से सटीक प्रयत्न किया गया है।

5-3-3- 73oka lafo/kku la”kks/ku dk egRo (Significance of 73rd Constitutional Amendment) &

- इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।

- पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1.3 स्थान महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किया गया।
- ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं, इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आई अर्थात राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हुई।
- यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है।
- यह अधिनियम दे"ा में सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दि"ाा में महत्वपूर्ण उपलब्धि का द्योतक है।
- इसके फलस्वरूप प्रतिनिधिपरक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता पर आधारित जनतंत्र ने ले लिया।
- यह दे"ा में सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा है।

5-4- ikB dk vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

5-4-1- 74ok lafo/kku la"kks/ku vf/kfu;e **(74th Constitutional Amendment Act)**

& सत्ता विकेन्द्रीकरण की दि"ाा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान सं"ाोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। 74वां संविधान सं"ाोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है। भारत वि"व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस लोक तंत्र का सबसे रोचक महत्वपूर्ण पक्ष है सत्ता व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अर्थात् केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर गांव इकाई तक सत्ता व शक्ति का बंटवारा ही विकेन्द्रीकरण कहलाता है। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। राजा – महाराजाओं के समय भी सभा, परिषद, समितियां सूबे आदि के माध्यम से शासन चलाया जाता था। लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्णयों में हमे"ाा महत्वपूर्ण सहभागी माना जाता था। लेकिन जैसे–जैसे समय

बीतता गया लोगों की शासन व लोक विकास में भागेदारी से अलग कर दिया गया तथा उनके अपने हित व विकास के लिए बनाई जाने वाले कार्यक्रम, नीतियों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण बनता गया। भारत में स्थानीय संस्थाएँ ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार की होती है। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को स”ाक्त बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए जैसा प्रयास 73वें संविधान सं”ाोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74वें संविधान सं”ाोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74वें संविधान सं”ाोधन के माध्यम से किया गया भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से दे”ा में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक संस्तर प्रदान किया गया है।

5-4-2- 74oka lafo/kku la”kks/ku ds mn~ns”; (Objectives of the 74th Constitutional Amendment) &

1. दे”ा में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।
2. नागरिक कार्यकलापों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।
3. नियमित समयान्तराल में प्रादे”ाक निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सके व कोई भी निर्वाचित नगर प्र”ाासन छः माह से अधिक समयावधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जनप्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनि”चत हो सके।
4. समाज की कमजोर जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनि”चत करने के लिये (संविधान सं”ाोधन अधिनियम में प्राविधानित/निर्दिष्ट) प्रति”ातता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व महिलाओं को तथा राज्य (प्रादे”ाक) विधान मण्डल के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को नगर प्र”ाासन में आरक्षण मिलें।

5. प्रत्येक प्रदे”ा में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये एक राज्य (प्रादे”ाक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तान्तरण के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।

6. सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्”िाता रहे।

74वें संविधान सं”ाोधन की आव”यकता पूर्व की नगरीय स्थानीय स्व”ाासन व्यवस्था लोकतंत्र की मं”ाा के अनुरूप नहीं थी। सबसे पहली कमी इसमें यह थी कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण था। जिसके कारण धीरे–धीरे नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों व उन्हें सौंपे गये कार्यों में कमी होने लगी। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बरखास्ती या नगर निकायों वर्गों (महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इन कमियों कों देखते हुए संविधान के 74वें सं”ाोधन अधिनियम में स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों, और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्रावधान किया गया।

5-4-3- 74o: lfo/kku l”kk/ku dh ie[k fo”ोशताएँ **(Salient Features of the 74th Constitutional Amendment)**&

1. तीन प्रकार के नगरीय निकाय : उपर्युक्त संविधान सं”ाोधन दे”ा भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है :

(अ) नगर पंचायत : ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है, उनमें नगर पंचायत का गठन किया जाएगा।

(ब) नगर परिषद (म्यूनिसिपल कौंसिल) : नगर परिषद् का गठन छोटे नगरों में किया जाएगा और

(स) नगर निगम : नगर निगम का गठन बड़े नगरों में किया जाएगा।

2. इस प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपर्युक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकता है।

3. इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा व उसमें जनसंख्या, घनत्व व आय इत्यादि के विषय में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

4. नगर निकायों का गठन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगर निकाय में स्थानों की पूर्ति उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे।

5. अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि राज्य का विधान मंडल अधिनियम बनाकर नगर निकायों में

   - ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नगरीय प्र"ाासन का वि"ाष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हों।
   - लोकसभा व राज्य की विधान सभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिनिधयों के लिए।
   - नगर निकाय के क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्यों के लिए।
   - संविधान सं"ाोधन अधिनियम की धारा 243 एस की उपधारा 5 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्षों के लिए। प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था कर सकता है।

6. अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि नगरीय प्र"ाासन के वि"ाष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यदि नगरीय निकाय से संयोजित किया जाता है तो उन्हें नगर परिषद की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

7. वार्ड समितियों का गठन में संविधान सं"ोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार गठित की जाने वाली समितियों के संबंध में आव"यक प्रावधान करने की शक्तियाँ राज्य विधान मंडल पर छोड़ी गई है। राज्य विधान मंडल यह विनि"चत कर सकेंगे की वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार और उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी? वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले वार्ड सदस्य उस समिति के सदस्य होंगे। संविधान द्वारा नगर निकायों में परिव्याप्त इन वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के माध्यम से अन्य समितियों का गठन किया जाना संभव हो सकेगा।

8. सीटों का आरक्षण में संविधान सं"ोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर निकाय या नगरपालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या की अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी–बारी से आवर्तन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के एक–तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों से कम से कम एक–तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का भी बारी–बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन किया जाता रहेगा।

9. अधिनियम यह व्यवस्था भा करता है कि नगर निकायों में अध्यक्ष सभापति के पदों पर भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 334 में दिए गए सामान्य आरक्षण के जारी रहने तक प्रभावी रहेगी।

संविधान सं"ाोधन अधिनियम राज्य विधान मंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि अधिनियम बनाकर वे निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे।

10. कार्यकाल संबंधी प्रावधान में संविधान सं"ाोधन अधिनियम के माध्यम से दे"ा भर में नगर निकायों का कार्यकाल उनकी पहली मीटिंग की तिथि से, यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती है तो, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे अधिक नहीं। इस में यह कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय को भंग किए जाने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्पन्न कराए जाएंगे और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह से कम की अवधि रह गई है तो अंतरिम चुनाव कराए जाने आव"यक नहीं होंगे। अंतरिम रूप से चुनाव कराए जाने पर उस नगर निकाय का कार्यकाल उतना होगा जितना वह भंग नहीं किए जाने की स्थिति में कार्य"ाील रहती। नगर निकायों की बैठकें व उनकी कार्यवाहियों आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष के निर्दे"ा पर अन्य बैठकें भी कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जा सकती है। यदि नगर निकाय के पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है तो अध्यक्ष बैठक आयोजित करेगा। आव"यकता पड़ने पर किसी भी दिन या समय पर नोटिस देने के बाद अध्यक्ष द्वारा आपातकालीन बैठक बुलायी जा सकती है। आपातकालीन बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों हेतु नोटिस को कम से कम 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेजा जाना अनिवार्य होगा। नोटिस की अवधि 3 दिन से अधिक भी हो सकती है। आपातकालीन बैठकों के मामले में यह अवधि कम से कम 24 घंटे की होनी चाहिए। बैठक हेतु प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख आव"यक है। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी तथा तय की गई तिथि को बैठक आयोजित की जाएगी। जिसकी सूचना आयोजन के कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक की

कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा जिस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कार्यवाही की प्रतियों को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्दे”ात प्रधिकारी को तुरन्त भेज दी जाएगी। परिस्थितियों की अनुकूलता के आधार पर अधिषासी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को बैठक से सम्बन्धित अभिलेख, पत्राचार जो उस बैठक में विचार किये जायेंगे, दिखाये जायेंगे जब तक कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्दे”ात किया गया हो। किसी सदस्य द्वारा बैठक में कोई प्रस्ताव लाना यदि कोई सदस्य, बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे कम से कम एक सप्ताह पूर्व अध्यक्ष को अपने इस विचार से लिखित रूप में अवगत कराना होगा। कोई भी सदस्य सभा में व्यवस्था के प्र”न को अध्यक्ष के समक्ष उठा सकता है लेकिन उस पर तब तक कोई चर्चा नहीं की जायेगी जब तक की उपस्थित सदस्यों की राय जानने हेतु अध्यक्ष उपयुक्त न समझे। किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रस्तावित सं”ोधन पर विचार–विम”ा से पूर्व अध्यक्ष सदस्यों से उस प्रस्ताव के समर्थन की मांग कर सकता है। प्रत्येक सदस्य सभासद अपने स्थान से अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए ही प्र”न पूछ सकता है, एवं उस पर चर्चा कर सकता है। प्रस्तुतकर्ता के अतिरिक्त कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव या सं”ोधन पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना दो बार नहीं बोलेगा। बैठक की कार्य सूची/कार्यवाही से सम्बन्धित सभी प्र”न किसी/एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य से अध्यक्ष के माध्यम से ही पूछे अथवा प्रस्तुत किये जाएंगे।

अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही कार्यसंचालन निम्न क्रम से की जायेगी –

1. सर्वप्रथम गत बैठक का कार्यवृत पढ़ा जाएगा।
2. यदि प्रथम बैठक है, तो गत माह का लेखा बोर्ड के विचार्थ तथा आदे”ार्थ प्रस्तुत होगा।
3. स्थानीय शासन तथा उनके अधिकारियों से प्राप्त पत्रों/सूचनाओं को पढ़ा जाएगा।
4. समितियों तथा सदस्यों के प्रतिवेदन यथा आव”यक आदे”ार्थ तथा स्वीकृतार्थ विचार किये जाएंगे।

5. निर्धारित प्रक्रियानुसार सूचित किये गये प्रस्तावों पर चर्चा व मतदान कराया जायेगा।
6. अगली बैठक में लाये जाने वाले प्रस्तावों का नोटिस सूचना दी जाएगी।
7. समितियों, अधिकारियों आदि के आदे"ाों की अपीलों का निस्तारण किया जाएगा।

11. नगर निकायों की शक्तियाँ और दायित्व नगर निकायो द्वारा निष्पादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में इस सं"ाोधन में यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल कानून बना कर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आव"यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए दायित्वों का आरोपण कर सकेंगे।

12. भारत में स्थानीय प्र"ाासन के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर सकेगा। राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय का यह दायित्व उसी आयोग को सौंप यह आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, डयूटी, टोल टैक्स एवं फीस आदि से हुई आय का राज्य सरकार एवं नगर निकायों के मध्य नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल टैक्स आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना व सड़क व पुल, घरेलू उद्योग एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय व लोक स्वास्थ्य, सफाई आदि अग्नि"ामन सेवाएं, नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण व कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण (मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांगो सहित) गंदी बस्तियों का विकास एवं उत्थान, निर्धनता निवारण, बाग, उद्यान, खेल के मैदान आदि की सुविधाएं जुटाना सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान, दाह गृहों, विद्युत दाह–गृहों आदि का निर्माण, काँजी घर एवं प"ाुओं के प्रति निर्दयता का निवारण, जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रकरण, सड़कों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टॉप आदि का

निर्माण एवं संधारण तथा बूचड़खानों का विनियमन। मामलों के लिए सिद्धान्तों का निर्धारण कर सकेगा।

13. नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ सं"ाोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए विनियमन करने का दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर नगर निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। वित्त आयोग का गठन संविधान सं"ाोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अंतर्गत गठित वित्त आयोग दे सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है।

नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन 74वें संविधान सं"ाोधन के उपरान्त अब नगर निकायों के आय के स्रोत है।

1. राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनरा"ा।
2. नगर निकायों द्वारा वसूले गये करों से प्राप्त धनरा"ा।
3. राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनरा"ा।

1. राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में समय–समय पर अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल करों में नगरीय स्थानीय निकायों के अं"ा का निर्धारण किया गया।
2. स्थानीय निकायों को दी जाने वाली रा"ा के वितरण का आधार 80 प्रति"ात जनसंख्या एवं 20 प्रति"ात क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्रीय वित्त आयोग प्रतिवर्ष शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित करता है।
4. आयोग के निर्दे"ाानुसार केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई रा"ा का उपयोग वेतन, मजदूरी में नहीं किया जाएगा बल्कि यह सामान्य सुविधाएं

जैसे जल निकासी, कूड़ा निकासी, शौचालयों की सफाई, मार्ग–प्रका"ा इत्यादि में ही इसका उपयोग किया जाएगा।

5. 74वें संविधान सं"ाोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत जो 18 कार्य/दायित्व शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं राज्य सरकार को उन उद्दे"यों की पूर्ति हेतु नगर निकायों आव"यक रा"ा दी जायेगी।

6. नगरपालिका के आय का एक मुख्य स्रोत इसके द्वारा लगाये गये विभिन्न कर एवं शुल्क भी है। नगर निकायों में बजट की आव"यकता व महत्ता प्रबन्धन के लिए आय–व्यय अनुमान/ आगणन अर्थात बजट तैयार करना अत्यन्त आव"यक है। बजट आय तथा व्यय का एक अनुमान है जो कि अपने संसाधनों के उपयोग के लिए एक प्रकार से मार्ग द"ाक, नीतियों के निर्धारण, व्यय संबंधी निर्णय लेने के लिए मार्ग द"ाक, वित्तीय नियोजन का एक यंत्र तथा सप्रेंषण का एक माध्यम है। बजट वित्तीय प्रबन्धक का एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसे मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए। नगर निकायों में बजट एक विधिक आव"यकता है, क्यों कि जब तक वित्तीय वर्ष का बजट बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खर्चा नहीं किया जा सकता है। बजट तैयार कर लेने से लक्ष्यों व उद्दे"यों के निर्धारण तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बजट के द्वारा वास्तविकता आधारित कार्य नियोजन आसानी से किया जा सकता है अर्थात् योजनाओं व कार्यक्रम की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे कार्य कलापों पर वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सकता है और धन का अपव्यय भी रोका जा सकता है। अगर नगर निकाय आय–व्यय का विधिवत व उचित दस्तावेजीकरण करते हैं व उसको आधार मानकर अपना बजट बनाते है तो अं"ादान, अनुदान सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बजट आव"यकता आधारित होना चाहिएव इस हेतु ''जीरो बेस बजटिंग'' ("ाून्य आधारित बजट) प्रक्रिया को अपनाना चाहिए न कि पिछले आय व्यय अनुमान पर कुछ प्रति"ात बढोतरी या घटोतरी करें। अगले वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात मार्च की 15 तारीख तक बोर्ड द्वारा

विचारोपरान्त पारित कर लिया जाना चाहिए। अतः बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक द”ाा में अंतिम तिमाही के पूर्वाद्ध में ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए व इस पर बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए जिससे कि नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण तथा जनता के हित में उचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें। चूंकि बोर्ड सभासदों से ही बना है, अतः बजट के माध्यम से सभासदों के बहुमत निर्णय से नीतियों व रणनीतियों का निर्धारण होता है।

uxjh; fudk;ksa esa yxk;s tkus okys dj

1. भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर।
2. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत व्यापार पर कर जिन्हें नगर पालिका की सेवाओं से वि”ोष लाभ मिलता है।
3. व्यापार, पे”ाों तथा व्यवसायों पर कर जिसमें सभी रोजगार जिनके लिये वेतन या शुल्क मिलता है व सम्मिलित है।
4. मनोरंजन कर।
5. नगरपालिका के अंदर भाडे पर चलने वाली गाड़ियों या उसमें रखी गई गाड़ियों पर कर।
6. नगरपालिका के अन्दर रखे कुत्तों पर कर।
7. नगर पालिका के अन्दर रखे सवारी, चालन या बोझे के प”ाुओं पर कर।
8. व्यक्तियों पर सम्पत्तियों या परिस्थितियों के आधार पर कर।
9. भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर।
10. भवन के वार्षिक मूल्य पर उर्तक मूल्य पर उत्प्रवाह कर।
11. सफाई कर।
12. शोचालयों, मूत्रालयों तथा गड्ढों से उत्प्रवाह तथा प्रदूषित जल के एकत्रीकरण, हटाने तथा खात्मा करने के लिए कर।
13. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर।
14. संविधान के अन्तर्गत कोई अन्य कर जो राज्य विधायिका द्वारा राज्य में लागू किया जा सके।

i:ko/kku %

1.3 व 8 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।

2.10 व 12 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।

3.13 के अन्तर्गत नगर पालिका के अन्तर्गत अचल सम्पति के हस्तांतरण पर कर नहीं लगाया जा सकता है। (यदि वह सम्पति नजूल की हो)

4.5 का कर मोटर गाड़ी, पर नहीं लगाया जा सकता है। मूल्यांकन, छूट व वसूली भवन या भूमि दोनों पर कर लगाने के लिए नगर निकाय एक मूल्यांकन सूची तैयार कर एक सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्"ात कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को आपत्ति हो वह एक महीने के अन्दर दाखिला कर सकें। जब आपत्तियों का निवारण हो जाता है तब मूल्यांकन सूची को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित मूल्यांकन सूची नगर निकाय कार्यालय में जमा कर दी जाती है तथा उसे जनता द्वारा निरीक्षण के लिये खुला घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः नई मूल्यांकन सूची पाँच वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। नगर निकाय किसी समय मूल्यांकन सूची को बदल सकते हैं या उसमें सं"ाोधन कर सकते हैं। यदि कोई भवन या भूमि वर्ष में 90 या अधिक दिनों तक लगातार खाली रहती है तो नगर पालिका उस अवधि में कर छूट देती है। उस भवन या भूमि के पुनः कब्जे के लिए उस सम्पत्ति के मालिक को 15 दिनों के अंदर नगरपालिका को सूचना देनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह दंड का भागी होता है। दण्ड की रा"ा वास्तविक कर की दुगुनी रा"ा से दस गुना रा"ा से भी अधिक हो सकती है। नगर पालिका करों से सम्बन्धित अपीलें नगर पालिका कार्यालय में दायर की जा सकती है।साथ ही साथ इसकी एक प्रति जिलाधिकारी के यहाँ भी जाती है। सामान्यतः किसी भी अवधि के लिए देय कर या शुल्क का भुगतान उसकी अवधि के शुरू होने से पूर्व करना होता हैं जब व्यक्ति कर का भुगतान समय पर नहीं करता तो उसके विरूद्ध नगरपालिका द्वारा वारंट जारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अहाते के सम्पत्ति को जब्त कर उसे नीलामी द्वारा बेचा जा सकता तथा बकायों कीवसूली की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी कर का बकायेदार हो तो नगरपालिका कलेक्टर से प्रार्थना कर सकती है कि वह ऐसे धन को भू—राजस्व की भांति वसूल करें, जिसमें

कार्यवाही का खर्च शामिल नहीं होगा। कलेक्टर जब बकाया धन से संतुष्ट हो जाता है तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करता है।

5-4-4 74o lafo/kku la”kks/ku dk egRo (Significance of 74th Constitutional Amendment) & 1992 में सरकार के 74वें संविधान सं”ाोधन के माध्यम से पुनः नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभाव”ााली सहभागिता बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान का 74वां सं”ाोधन में नगर निकायों नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। इस सं”ाोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई उनके हित व विकास सम्बन्धी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। अब नगरों व शहर के ऐसे लोग जो शहरी मुद्दों की स्पष्ट सोच रखते हैं व नगरों, कस्बों व उनमें निवास करने वाले लोगों की नागरिक सुविधाओं के प्रति संवेदन”ाील है, निर्णय लेने की स्थिति में आगे आ गये है। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए वि”ाेष आरक्षण व्यवस्था ने हमे”ाा से पीछे रहे व हाि”ाये पर खड़े लोगों को भी बराबरी पर खड़े होने व निर्णय प्रक्रिया को प्रीाावित करने का अवसर दिया है। 74वें सं”ाोधन ने सरकार के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता स्थानीय स्व”ाासन में सुनि”िचत की है। हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावी, पारद”ीि व समुदाय के प्रति संवेदन”ाील हो जाती है। बहुत समय पहले नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यक्रमों को चलाने वाले अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के लिये योजनायें बनायी जाती थीं। इसलिए योजना को बनाने की प्रक्रिया पूर्व में उपर से नीचे की ओर थी। परन्तु यह प्रक्रिया जनता की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती थी, विकास गतिविधियों को चलाने में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित नहीं करती थी एवं लोगों को भी यह नहीं लगता था कि लागू की जा रही योजना अथवा कार्यक्रम उनका अपना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि लोगों को कार्य योजनायें स्वयं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी आव”यकताओं का पता होता है कि किस प्रकार वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं एवं वे अपने विकास में सहभागी बन सकते हैं। अतः यह महसूस किया गया कि लोगों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नीचे से उपर की ओर होनी चाहिये क्योंकि लोगों को अपनी जरूरतों की पहचान होती है जिससे वे योजनाओं को वरीयता क्रम

निर्धारित करते हुए योजना बना सकते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले कार्मिक जनता समुदाय की योजनाओं को समेकित कर सकते हैं।

1. संविधान के 74वें सं”ाोधन अधिनियम द्वारा नगर–प्र”ाासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
2. इस सं”ाोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है।
3. नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनि"चत की गई है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है।
4. समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रति”ातता के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनि"चत कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
5. 74वें सं”ाोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्व”ाासन को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये हैं।
6. इस संविधान की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारद"िता व लोगों की आवाज पहुंचाना सुनि"चत करना है।

5-4-5- jkT; foèkkueMy **(State Legislature)**

प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 168 द्वारा राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल है। इसी अनुच्छेद के अनुसार, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल है और शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। जिन राज्यों में दो सदन है–एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद कहते है। जिन राज्यों में एक सदन है उसका नाम विधानसभा है।

foèkku lHkk

- संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा के अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते है । उत्तर प्रदेश में विधान सभा

सदस्यों की संख्या 425 है । जबकि सिक्किम में सदस्यों की संख्या केवल 32 है। राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है । निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन के समय इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अलग–अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निश्चित करते समय जनसंख्या के वे आंकड़े लिए जाते है जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किये गये थे ।भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् होती है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है । यह आयोग जनसंख्या के नये आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नये रूप से विभाजन करता है ¼vuqPNsn 170 ½ l h½½ ।

- भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2000 के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रमाणिक होंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रमाणिक होंगे। इसी प्रकार विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए भी 2000 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक वही आंकड़े लिए जाएंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रकाशित हो चुके है। हाल ही में संसद के पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के अनुसार सन् 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, उनकी जनसंख्या तथा उनके आरक्षण से संबंधित उपबंध 1971 की जनगणना के अनुसार ही लागू होंगे।
- यदि किसी राज्य के चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मोनोनीत कर सकता है। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य मोनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लोकसभा में अधिक–से–अधिक एंग्लो–इंडियन के दो सदस्य मोनोनीत किये जा सकते है, परंतु राज्य के राज्यपाल को केवल एक ही सदस्य मोनोनीत करने का अधिकार है।

5-4-6- foèkku ifj"kn dk xBu **(Constitution of Legislative Council)**

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती । भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है ।

jkT; foèkku ifj"kn d dy lnL;k e l&

- 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते है । इन स्थानीय संस्थाओं में, नगरपालिका, जिला बोर्ड और राज्य की अन्य संस्थाएं सम्मिलित हैं जो संसद कानून द्वारा निश्चित करती है।
- 1/12 सदस्य राज्य के हायर सेकेण्डरी या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किये जाते है, जो गत तीन वर्षों से वहां पढ़ा रहें हो ।
- 1/12 सदस्य ऐसे राज्य के ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते है जिनको भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम–से–कम तीन वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो।
- 1/3 सदस्य सम्बंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में निर्वाचित किये जाते है जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
- शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिनको विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

dk;ldky

- संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, राज्य विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। इस निश्चित समय से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में, संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक–से–अधिक एक समय में एक वर्ष बढ़ा सकता है। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात यह बढ़ायी हुई अवधि केवल 6 मास तक लागू रह सकती है।

- विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, और राज्यपाल इसको भंग नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, विधान परिषद का चुनाव एक ही समय नहीं होता, बल्कि हर दो वर्ष पश्चात इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते है ।और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते है। अतः विधान परिषद का हर सदस्य छः साल तक अपने पद पर आसीन रहता है।

lnL;kas dh ;kX;rk,a

संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई है–

- प्रत्याशी भारत का नागरिक हो।
- विधानसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तथा विधान परिषद के लिए उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो।
- वह संसद द्वारा निश्चित सभी योग्यताएं रखता हो।
- वह भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
- वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो।
- वह दिवालिया न हो तथा
- वह संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून के अनुसार विधान सभा के लिए अयोग्य न हो।

इन योग्यताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता और नही एक से अधिक राज्यों की विधान मंडलों का सदस्य बन सकता है। चुनाव के पश्चात कोई भी सदस्य की अनुमति के विना लगातार 60 दिन सदन के अधिवेशन से अनुपस्थित नहीं रह सकता।

साथ ही विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि सम्बद्ध व्यक्ति 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' की शर्तो को पूरा करता हो। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और ऐसी व्यवस्था की गयी कि आतंकवादी गतिविधियों, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी खाद्य–पदार्थो, तथा दवाओं में मिलावट करने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव में भाग लेने से वर्जित कर दिया जाता है।

संविधान के vuPNn 191 में अधिकथित विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हताएं उसी प्रकार की है, जैसे संसद के किसी सदन की सदस्यता के संबंध में अनुच्छेद 102 में दी गयी है।

vuPNn 192 में यह अधिकथित है कि यदि प्रश्न उपस्थित होता है किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है तो यह प्रश्न राज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जा सकेगा।

foèkku lHkk dk vfèkdkjh

संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, विधान सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा अन्य को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लेते है । इन दोनों पदों में जब कोई पद रिक्त हो जाता है तो विधान सभा के किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुन लेते है, विधानसभा अध्यक्ष वही कार्य करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष करता है।

dk;dky

अध्यक्ष को विधानसभा के कार्यकाल तक अर्थात 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है विधान सभा भंग होने पर उसे अपना पद त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि वह नव–निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 179) । परंतु इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भी उसे निम्नलिखित कारणों के आधार पर अपदस्थ किया जा सकता है–

- यदि अध्यक्ष, विधान सभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा।
- वह स्वेच्छापूर्वक अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है, तथा
- विधान सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्तावों द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरूद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। परंतु अध्यक्ष को उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहस में भाग लेने तथा मत देने का पूर्ण अधिकार होता है।

- सामान्यतः अध्यक्ष, विधानसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है परंतु जब किसी कारण के अध्यक्ष उपस्थिति न हो तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर होता है, उस समय उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती है, अनुच्छेद 182 से 185 विधान परिषद के सभापति और उप–सभापति से संबंधित है।

oru vkj HkÙk

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का, विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक उसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संदाय किया जायेगा (अनुच्छेद 186)।

dk;l lpkyu

- राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा (अनुच्छेद 188)।
- राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, अध्यक्ष या सभापति, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
- जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।
- यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गण पूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गण पूर्ति नहीं हो जाती है।

foèkk;h çfØ;k

द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्यों की विधायी प्रक्रिया मुख्य रूप से संसद के समान है। कुछ बातों में अंतर है–

èku foèk;d

इसके बारे में स्थिति वही है विधान परिषद को केवल यह शक्ति है कि वह विधान सभा को संशोधनों की सिफारिश करे यो विधेयक के प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के लिए विधेयक को अपने पास रोक रखे। प्रत्येक दशा में विधान सभा की इच्छा अभिभावी होगी । विधान सभा, विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है । इसका अर्थ हुआ कि धन विधेयकों के बारे में दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं हो सकता।

lkèkkj.k foèk;d

धन विधेयक के भिन्न विधेयकों के बारे में परिषद को एक मात्र यह शक्ति है कि वह कुछ अवधि तक विधेयक के पारित होने को विलंम्बित कर दे (तीन मास)। यह अवधि धन विधेयकों के सम्बन्ध में अवधि से लम्बी है। इस प्रकार राज्य की विधान परिषद पुनरीक्षण करने वाला सदन नही बल्कि सलाह देने वाला या विलम्ब करने वाला सदन है। यदि वह किसी विधेयक से असहमत है तो विधेयक विधान परिषद से विधान सभा की यात्रा पुनः करेगा, किंतु अंत में विधान सभा का मत ही अभिभावी होगा। और दूसरी यात्रा में विधान परिषद को एक मास से अधिक समय के लिए विधेयक को रोके रखने की शक्ति नहीं होगा।

dk;l ,o 'kfä;k

dk;likfydk 'kfä;k

केंद्र की तरह राज्य में संसदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गयी है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद का विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होना विधान सभा के कार्यपालिका पर नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विधानसभा निम्नलिखित साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है–

ç'u

विधान सभा के अधिवेशन के समय प्रतिदिन एक घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि पूर्व सूचना देकर किसी मंत्री से नियमानुसार उसके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे।

okn fookn

विधान सभा के सदस्य कुशल वाद–विवाद द्वारा कार्यपालिका की नीतियों और कार्यो की प्रशंसा तथा आलोचना करते है। यह विवाद समाचार पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचता है, और जनता सरकार के प्रति विरोध या प्रशंसा की धारणा बनाती है।

LFkxu çLrko

विधान सभा के सत्र के कोई भी सदस्य सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर वाद–विवाद के लिए प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि विधान सभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सदन के सदस्य उस प्रस्ताव पर विचार करते है।

è;kukd"k.k çLrko

यदि विधान सभा के सत्र के समय कोई सदस्य सदन का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किये जाते है।

उपर्युक्त साधनों द्वारा राज्य विधान सभा मंत्रियों के कार्य कलाप की प्रशंसा अथवा आलोचना करती है सरकार की नीतियों पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित साधनों द्वारा विधान सभा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने पर विवश करक सकती है–

vfoÜokl çLrko

राज्य विधान सभा सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास पास करके उसे पद से हटा सकती है।

fuUnk çLrko

यदि विधान सभा किसी विशेष कार्य के लिए किसी मंत्री के विरूद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित कर दे तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

विधान सभा वित्तीय विधेयक को रद्द करके या मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके या मंत्रियों के वेतन व भत्तों में कटौती का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है।

puko dk;Z

राज्य विधान सभा के सदस्य निम्नलिखित अधिकारियों के चुनाव में भाग ले सकते है–

- राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते है:
- राज्य विधान सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते है।
- राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों को विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करते है।
- राज्य सभा में भेजे जाने वाले सदस्य संबंधित राज्य विधान सभा सदस्यों द्वारा चुने जाते है।

U;kf;d 'kfä;k

विधान सभा को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। विधान सभा के एक संस्था के रूप में कुछ विशेष अधिकार है। इन विशेष अधिकारों की अवहेलना करने वाले अथवा सदन का अपमान करने वाले व्यक्ति को विधान सभा दण्ड दे सकती है।

vU; 'kfä;k

- राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई मत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त करने के लिए भारतीय संसद से प्रार्थना कर सकती है।
- राज्य विधान सभा कानून बनाकर राज्य लोकसेवा आयोग की शक्तियों में बृद्धि कर सकती है।
- राज्य विधान सभा राज्य का आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है। राज्य के आकस्मिक कोष पर राज्यपाल का अधिकार होता है, और वह आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इस कोष में से धन दे सकता है। ऐसे व्यय की स्वीकृति विधान मंडल से लेनी अनिवार्य है।

  अतः राज्य प्रशासन में विधान सभा का अति महत्वपूर्ण स्थान है

xfrjkèk nj djus ds fy, micaèk

- संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति का निपटारा संयुक्त बैठक से होता है। किंतु राज्य की विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच मतभेद को निपटाने के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है।
- राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के मध्य असहमति की दशा में विधान सभा की इच्छा ही अंत में अभिभावी होती है। परिषद को केवल इतनी ही शक्ति है कि वह जिस विधेयक से असहमत है, उसे पारित करने में कुछ विलंब कर दे।

jkT;iky dh ohVks 'kfä

जब कोई विधेयक राज्यपाल को विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है–

- वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह तुरंत विधि बन जायेगा।
- वह यह घोषित कर सकता है कि वह विधेयक को अनुमति देना विधारित करता है। ऐसी दशा में वह विधि नहीं बनेगा।
- धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक की दशा में वह संदेश के साथ विधेयक को लौटा सकता है।
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। एक दशा में आरक्षण अनिवार्य है अर्थात जहां प्रश्नगत विधि, संविधान के आधीन उच्च न्यायालय की शक्ति के अल्पीकरण में होगी।
- इस प्रकार आरक्षित धन विधेयक की दशा में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने या विधारित करने की घोषणा कर सकेगा। किंतु धन विधेयक के भिन्न विधेयक की दशा में राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने या अस्वीकार करने की घोषणा करने के स्थान पर राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधान

मंडल को वापस कर दे। ऐसे लौटाये जाने पर विधानमंडल छः माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि वह पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जायेगा किंतु इस पर भी, राष्ट्रपति के लिए उसे अनुमति देना अनिवार्य नहीं है ¼vuPNn 201½।

- ➢ यह स्पष्ट है कि कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। किंतु संविधान ने राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने या विधारित किए जाने की कोई समय सीमा अधिरोपित नहीं की है। परिणामस्वरूप राष्ट्रपति चाहे तो राज्य विधान मंडल के विधेयक को विना अपना मत व्यक्त किये अनिश्चित काल तक लम्बित रख सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के पास एक तीसरा अनुकल्प भी है, जिसका केवल शिक्षा विधेयक के बारे में, प्रयोग किया गया था। अर्थात जब आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के मस्तिष्क में कोई विधेयक की सांविधानिकता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वह यह विनिश्चय करने के लिए कि उस विधेयक को अनुमति दे, या उसे लौटा दे उच्चतम न्यायालय को vuPNn 143 के अधीन उसकी राय जानने के लिए भेज सकता है।

5-5- viuh izxfr tkp (Check your progress)

- 73वां संविधान सं”ोधन अधिनियम 1993 को प्रका”ित और प्रवर्तित हुआ।
- 73वां संविधान सं”ोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के प”चात् एक नया हिस्सा भाग शीर्षक से जोड़ा गया है।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज के 1, 2 और 3 स्तर है।
- संविधान के 74वें सं”ोधन अधिनियम द्वारा .... को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

5-6- lkjk”k (Summary)

स्थानीय लोग स्थानीय विकास के संदर्भ में वर्ष 1882 को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की। उल्लेखनीय है कि उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड

कहा जाता था। जिसके बाद भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई और यह सिलसिला 1935 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी जारी रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर काफी जोर दिया था, उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। जब संविधान तैयार किया गया था तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया। साथ ही इसे राज्य के नीति निर्दे"ाक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया। 1987 के बाद स्थानीय सरकार संस्थानों के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू की गई और 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारि"ा की। अंततः वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक सं"ाोधन पारित किये गए। 73वां संवैधानिक सं"ाोधन – 73वां संविधान सं"ाोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संवैधानिक सं"ाोधन – 74वां संविधान सं"ाोधन शहरी सथानीय सरकार से सम्बन्धित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान सं"ाोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभाव हुआ। 24 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान सं"ाोधन अधिनियम लागू हुआ था, अतः 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान अधिनियम द्वारा संविधान में भाग–9 जोड़ा गया था। 73वें संविधान सं"ाोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों कीसूची की व्यवस्था की गई। 73वें संवैधानिक सं"ाोधन से हुए मुख्य बदलाव इस सं"ाोधन के प"चात् सभी प्रदे"ाों में पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि–स्तरीय हो गया, जिसमें सबसे नीचे यानी पहले स्थान पर ग्राम पंचायतें आती हैं, बीच में मंडल आते हैं जिन्हें खंड या तालुका भी कहते हैं और अंत में सबसे ऊपर जिला पंचायतों का स्थान आता है। सं"ाोधन से पूर्व कई स्थानों पर चुनावों की कोई भी प्रत्यक्ष एवं औपचारिक प्रणाली नहीं थी, परन्तु इस 73वें संवैधानिक सं"ाोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अभी स्तरों पर चुनाव सीधे जनता करेगी और प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि 5 वर्षों की होगी। सभी पंचायती संस्थानों में एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की गई और साथ ही सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें, इन आयुक्तों को राज्य में सभी स्तरों पर पंचायती संस्थानों

के चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय संविधान में 74वें संविधान सं”ाोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस सं”ाोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 में नगरपालिकाओं से सम्बन्धित उपबंध किये गए हैं। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 फ में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध है नगर पंचायत – ऐसे संक्रमण”ाील क्षेत्रों में गठित की जाती है, जो गाँव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगरपालिका परिषद – इसे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम – बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित की जाती है। इसी सं”ाोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। 74वें संविधान सं”ाोधन में भी 73वें संविधान सं”ाोधन के प्रमुख प्रावधान जैसे – प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण आदि शामिल है।

5-7- सूचक भाब्द (Key Words)

- पंचायत पंचायत का आ”ाय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व”ाासन की संस्था उसका नाम जो भी हो।
- ग्राम का आ”ाय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है।
- मध्यवर्ती स्तर मध्यवर्ती स्तर का आ”ाय उस स्तर से है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया है।
- जिला का आ”ाय राज्य के किसी जिले से है।

5-8- Lo;a eY;kdu gsrq iz”u (Self Assessment Questions)

1. 73वें संविधान सं”ाोधन की व्याख्या कीजिए।
2. 74वें संविधान सं”ाोधन की व्याख्या कीजिए।
3. पंचायत के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
4. नगर निगम के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

5-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj (Answer check your progress)

- 24 अप्रैल
- 9 पंचायत
- 1 ग्राम स्तर, 3 जिला, 2 मध्यवर्ती
- नगर–प्र”ाासन

5-10- lUnHk xUFk@funf”kr iLrd (References/Suggested Readings)

1. एस.आर. माहे”वरी, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1998।
2. वी.एम. सिन्हा, भारत में नगरीय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1986।
3. भारत का संविधान, राज्य अनुसूची की पांचवी प्रविष्टि।
4. बी.वेंकटराव, ए हन्ड्रेड ईयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेन्ट इन आसाम, बनि प्रका”ा मण्डल, गौहाटी, 1965।
5. एम. वेंकटरमैया तथा एम. पट्टाभिराम एम.ए. मुतालिब एवं खान, थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, नई दिल्ली, स्टर्लिंग, 1983।
6. भारत में स्थानीय प्र”ाासन प्रो. अ”ाोक शर्मा आर.बी.एस.ए. पब्लि”ार्स 340, चौड़ा रास्ता जयपुर 302003।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code : **BA101**	Author : **Dr. Deepak**
Lesson No. : **6**	Vetter :
संघ की कार्यकारिणी : राश्ट्रपति, उप राश्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिशद	

v/;k; & 6 संघ की कार्यकारिणी : राश्ट्रपति, उप राश्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिशद

6-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

6-2- iLrkouk **(Introduction)**

6-3- v/;;u dk eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

6-3-1- राश्ट्रपति **(The President)**

6-4- ikB dk vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

6-4-1- iz/kkueU=h **(The Prime Minister)**

6-4-2- मंत्रिपरिशद् **(Council of Ministers)**

6-5- viuh izxfr tkap **(Check your progress)**

6-6- lkjka”k **(Summary)**

6-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

6-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

6-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

6-10- lUnHkZ xzUFk@funsf”kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

6-1 vf/kxe mnn”; **(Learning Objectives)**

हम इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे :–

- राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया तथा शक्तियों की विस्तृत जानकारी।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का संक्षिप्त विवरण।
- प्रधानमन्त्री के कार्यों का अध्ययन।
- मन्त्री–परिषद की भूमिका का विस्तृत विवरण।
- प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन।

6-2- iLrkouk **(Introduction)**

भारतीय संघीय शासन व्यवस्था अपनाने वाला दे”ा है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र या संघ सरकार तथा राज्यों में राज्य सरकारें कार्यरत हैं। दोनों ही स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र तथा शक्ति–पृथक्करण के सिद्धान्तों को स्वीकारा गया है। शासन के तीनों अंगों, यथा – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका (विधायिका) तथा न्यायपालिका के मध्य 'नियन्त्रण तथा संतुलन' का नियम प्रवर्तित है अर्थात् शासन या सरकार के तीनों अंग जहाँ एक–दूसरे में स्वतन्त्र है वहीं परस्पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका भी निर्वाहित करते हैं। चूँकि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रिपरीषद्), व्यवस्थापिका का अभिन्न हिस्सा होती है। अतः सरकार की वास्तविक शक्तियाँ जिनमें विधि–निर्माण भी सम्मिलित है, कार्यपालिका के नियंत्रण में दिखायी देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि – ''भारत में व्यस्थापिका की शक्तियों तथा भूमिका का ह्रास हो रहा है और कार्यपालिका के निरंकु”ा शासन का दायरा विस्तृत होता जा रहा है।'' यद्यपि भारत में अमेरिका की भांति पूर्णतया '”ाक्ति–पृथक्करण' का सिद्धान्त लागू नहीं होता है तथापि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का पर्याप्त नियंत्रण व्याप्त है।

6-3- v/;;u d e[; fcUn **(Main Points of Text)**

6-3-1- राश्ट्रपति **(The President)**

भारत के संविधान का अनुच्छेद – 52 यह प्रावधान करता है कि – ''भारत का एक राष्ट्रपति होगा।'' संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भांति केवल 'संवैधानिक अध्यक्ष' के समान है। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति–पद वं”ाानुगत नहीं बल्कि निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं

अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। चूंकि संविधान का अनुच्छेद – 74 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सहायता तथा पराम”र्ा के आधार पर करेगा। अतः राष्ट्रपति का पद वास्तविक रूप से अधिकारसम्पन्न नहीं है।''

राश्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ – संविधान का अनुच्छेद – 58 राष्ट्रपति–पद हेतु निम्नांकित प्रावधान करता है –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो (अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मण्डल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किन्हीं कारणों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित न हो)।
4. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उक्त सरकारो के अधीन किसी संस्था में लाभ का पदधारण किया हुआ न हो।

5 जून, 1997 को जारी एक अध्यादे”ा के प”चात् राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक व्यक्तियों की आव”यकता होती है तथा 15,000 रूप्ये जमानत रा"ा के जमा कराने पड़ते हैं।

राश्ट्रपति का निर्वाचन – राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के निम्नांकित सदस्यों द्वारा किया जाता है –

1. लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

संसद तथा राज्य विधानपरिषदों में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभा भंग हो या कोई स्थान रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति चुनाव होता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा सम्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (System of Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्याभार निर्धारित करने से है। यह मतभार सन् 1971

की जनसंख्या के आधार पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, तत्प”चात् संसद–सदस्यों की संख्या पर निर्धारित किया गया था। राज्य विधानसभा के सदस्य के मत का भार या मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है –

$$\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1000 \text{ (आधार वर्ष = सन् 1971)}$$

उदाहरण के लिए सन् 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 तथा राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200 होने के कारण एक सदस्य का मतमूल्य या भार 129 तथा सभी सदस्यों के मतों का भार 25,800 हुआ। इस विधि से सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मतभार निकाल लिया जाता है।

egkfHk;kx i:fØ;k (Impeachment Process) – भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग 'संविधान के अतिक्रमण' के लिए लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद–61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरोप एक संकल्प (Resolution) के रूप में हो, जिस पर कम–से–कम एक चौथाई सदस्यों (उस सदन में) के हस्ताक्षर हों, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाए तथा यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जाँच स्वयं करेगा अथवा किसी न्यायालय के न्यायाधिकरण के द्वारा करवाएगा। राष्ट्रपति इस जाँच में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। जाँच के प”चात् यदि दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से लगाए गए महाभियोग (Impeachment) को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी समय पद छोड़ना पड़ता है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। सन् 1970 में उत्तर प्रदे”ा में राष्ट्रपति शासन के विवाद में राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि के विरूद्ध विपक्षी नेता मधु लिमये ने महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास अव”य किया था।

राश्टपति की भाक्तियाँ या कार्य (Powers or Functions of the President) – भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है जिन्हें अग्रांकित शीर्षकों के माध्यम से वर्णित किया जा रहा है –

1. कार्यपालिका शक्तियाँ
2. सैनिक शक्तियाँ

3. कूटनीतिक शक्तियाँ
4. विधायी शक्तियाँ
5. न्यायिक शक्तियाँ
6. आपातकालीन शक्तियाँ

1- **कार्यपालिका भाक्तियाँ** – संवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से या उनकी ओर से निष्पादित होते हैं क्योंकि वह राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति तथा सर्वोच्च पदधारक है।

vuPNsn & 240 संघ राज्य क्षेत्रों में विनिमय बनाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित करता है। वस्तुतः राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिपरिषद् के पराम"र्श पर करता है अर्थात् वास्तविक रूप से शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित न होकर मंत्रिपरिषद् में समाहित हैं। अनुच्छेद–77 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएँगी। इसी के अन्तर्गत कार्य आवण्टन नियम बनते हैं। अनुच्छेद–78 के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को सूचनाएँ एवं सरकार के निर्णय अवगत कराता है।

2- **सैनिक भाक्तियाँ** – राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, यथा–थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने या बन्द करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन ऐसा वह मंत्रिपरिषद् के पराम"र्श तथा संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही करता है।

3- **कूटनीतिक भाक्तिया** & राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण राष्ट्रपति विदे"ाी प्रतिनिधि मण्डलों, शासनाध्यक्षों तथा ि"ाष्टमण्डलों के साथ नीतियों, संधियों या आपसी करारों या समझौतों इत्यादि से सम्बन्धित विषयों पर संक्षिप्त वार्ता करता है तथा सरकार द्वारा समस्त समझौते राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। विदे"ा यात्राओं के समय भी राष्ट्रपति भारत सरकार का रूख स्पष्ट करता है। भारत सरकार की ओर से विदे"ाों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि या ि"ाष्टमण्डलों तथा राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, किन्तु यह सब मंत्रिपरिषद् की इच्छा पर निर्भर करता है।

4- **विधायी भाक्तियाँ** – लोकसभा तथा राज्यसभा के अतिरिक्त संसद का तीसरा अंग, राष्ट्रपति होता है। चूंकि संसद का मुख्य कार्य विधि–निर्माण का है। अतः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ संसद के कार्यों का विस्तार है।

1. राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है तथा सत्रावसान भी करता है किन्तु दो सत्रों के मध्य छः माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।
2. लोकसभा चुनावों के प"चात् गठित सरकार तथा प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है जो सम्बन्धित सरकार की नीतियों का दर्पण होता है।
3. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को सन्दे"ा भेज सकता है।

5- **न्यायिक भाक्तियाँ** – संविधान का अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, प्रकृति परिवर्तित करने या निलम्बित करने इत्यादि का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्नांकित प्रकरणों में प्राप्त है –

1. यदि दण्ड या दण्डादे"ा सेना न्यायालय (कोर्ट मा"र्ल) ने दिया हो।
2. यदि दण्ड या दण्डादे"ा ऐसे विषय से सम्बन्धित विधि के विरूद्ध अपराध है, जिस विषय पर संघ कार्यपालिका की शक्ति विस्तारित है।
3. उन सभी मामलों में जिनमें दण्डादे"ा, 'मृत्यु दण्डादे"ा' है।

6- **आपातकालीन भाक्तियाँ** – भारत का संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार की परिस्थितियों में आपातकाल (Emergency) लगाने की शक्तियाँ प्रदान करता हैं। यद्यपि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर है तथापि इस प्रकार का निर्णय प्रधानमन्त्री की इच्छा से प्रेरित होता है।

1- ;|) ;k vkUrfjd v"kkfr & अनुच्छेद–352 के अनुसार यदि बाह्य आक्रमण (युद्ध) की सम्भावना हो या युद्ध छिड़ गया हो अथवा दे"ा में आन्तरिक अ"ाांति (स"ास्त्र विद्रोह या Armed Rebellion) के हालात पैदा हो गए हों तो राष्ट्रपति, सम्पूर्ण दे"ा में या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। शुरू में यह दो माह के लिए लगाया जाता है तथा संसद की स्वीकृति के प"चात् छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बंटवारा तथा राज्य सूची पर केन्द्र द्वारा विधान निर्माण इत्यादि के क्रम में भी राष्ट्रपति आदे"ा जारी कर सकता है।

2- jkT; e| l|o/kkfud r|= d| foQyrk & संविधान के अनुच्छेद–356 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक विफलता दिखाई दे तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति "ाासन (President's Rule) की अनु"ांसा कर

सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद् का विघटन, मौलिक अधिकारों का निलम्बन, संसद द्वारा राज्य का बजट एवं विधि–निर्माण तथा राज्य विधानसभा का विघटन इत्यादि कदम उठाए जा सकते हैं। अनुच्छेद–356 के अधीन आरोपित राष्ट्रपति शासन शुरू में दो माह के लिए होता हे जिसे संसद का अनुमोदन आव"यक है। भारत में इस अनुच्छेद का प्रायः राजनीतिक कारणों से दुरूपयोग किया गया है तथा सन् 2002 तक 108 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था।

3- foÙkh; LFkkf;Ro ;k lk[k dk [krjk & यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि भारत की वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह अनुच्छेद – 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय प्र"ाासन से सम्बन्धित निर्दे"ा भेज सकता है, लोक सेवकों के वेतन–भत्ते कम कर सकता है तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित प्रत्येक धन विधेयक को अपने पास मंगवा सकता है। यह आपातकाल भी शुरू में दो माह के लिए होता है जो संसद की सिफारि"ा पर बढ़ाया जा सकता है। भारत में अभी तक इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है।

6-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

6-4-1- iz/kkueU=h **(The Prime Minister)**

संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। इसी कारण उसकी पदस्थिति सर्वाधिक शक्ति"ााली मानी जाती है। भारत में भी प्रधानमन्त्री की पदस्थिति अत्यन्त सम्मानित, शक्तिसम्पन्न तथा गरिमायुक्त है। प्रधानमन्त्री पद हेतु निम्नांकित योग्यताएँ हैं :–

1- वह लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य हो और यदि पदग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो पदग्रहण से 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करे।

2. उसे बहुमत वाले दल का समर्थन प्राप्त हो अर्थात् लोकसभा में प्रधानमन्त्री को वि"वास मत प्राप्त हो क्योंकि यह सरकार संचालन के लिए स्वाभावित आव"यकता है।

प्रधानमन्त्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद – 75(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तत्प"चात् प्रधानमन्त्री अपने अन्य सहयोगी मंत्रियों का चयन का मंत्रिपरियषद् का निर्माण करता है जो वास्तविक कार्यपालिका होती है।

dk;l ¼dÙk0;½ & संविधान के अनुच्छेद – 78 में प्रधानमन्त्री के निम्नांकित कर्तव्य बताए गए हैं –

1. राष्ट्रपति को संघयी सरकार के समस्त प्र”ाासनिक निर्णयों तथा प्रस्तावों से अवगत कराएगा जो कि मंत्रिपरिषद् ने लिए हैं।
2. किसी एक मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखवाएगा।
3. राष्ट्रपति द्वारा चाही गई सूचना या पराम”र्ा उपलब्ध कराएगा।

वस्तुतः प्रधानमन्त्री का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सहायता एवं पराम”र्ा प्रदान करना है लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमन्त्री स्वयं तथा अपने मंत्रियों के माध्य से प्रयोग में लाता है। राष्ट्रपति तो केवल हस्ताक्षर अंकित करने की औपचारिकताएँ निर्वाहित करते हैं।

i/kkueU=h d okLrfod dk;l & शासन सत्ता के f”ाखर पर आसीन प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ तथा कृत्य बहुआयामी हैं जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है –

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण, परिवर्तन तथा विभागों का बंटवारा करना एंव मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के बीच समन्वय एवं सौहार्द बनाए रखना।
2. राष्ट्रपति को अपनी सरकार तथा प्र”ाासन के निर्णयों से अवगत कराना तथा गम्भीर मुद्दों पर विचार–विम”र्ा करना।
3. नियमित अन्तराल पर मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित करवाना तथा आव”यक निर्णय लेना।
4. सभी प्रमुख नीतियों (रक्षा, विदे”ा तथा औद्योगिक इत्यादि) का निरूपण तथा इनका क्रियान्वयन कराना।
5. संघ सूची के विषयों पर कानून तथा कार्यक्रम निर्माण करना।
6. संसद में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना तथा उठायी गई आपत्तियों का निवारण करना।
7. दे”ा की आन्तरिक एवं बाह्य शांति व्यवस्था सुनिf”चत करना तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना।
8. राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के प्रति सार्थक कदम उठाना।
9. अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण मंचों पर भारत की नीतियाँ स्पष्ट करना।

10. दे"ा के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्र"ास्त करना।

11. विभिन्न गम्भीर मुद्‌दों पर राजनीतिक दलों में तालमेल स्थापित करना।

12. सार्वजनिक सभा–समारोह तथा अन्य अवसरों पर अपनी सरकार के कार्यक्रमों तथा दृष्टिकोणो से अवगत कराना।

13. समाज के सभी वर्गों वि"ोषतः पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों तथा निर्योग्यताग्रस्त लोगों का उत्थान कराना।

14. लोक प्र"ासन में सच्चरित्रता की स्थापना तथा नौकर"ाही पर अंकु"ा स्थापित कराना।

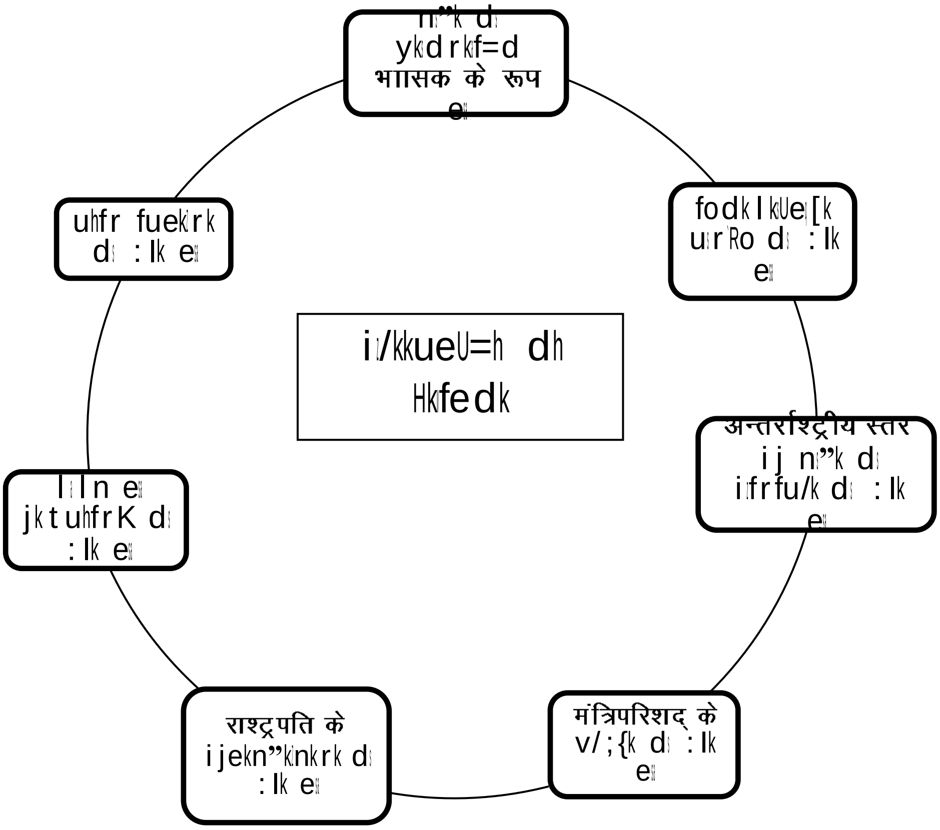

i/kkueU=h dh Hkfedk (Role of Prime Minister)

वास्तविक तथा राजनीतिक प्रकृति की कार्यपालिका के रूप में पदस्थापित भारत का प्रधानमन्त्री दे"ा की जनता की आकांक्षाओं, विपक्ष की आलोचनाओं तथा शासन–सत्ता की

असीम शक्तियों का केन्द्र बिन्दु होता है। प्रधानमन्त्री के पद पर रहते हुए उसे अनेक प्रकार की भूमिकाएँ (Roles) निर्वाहित करनी पड़ती है, यथा –

1- **n"ा के लोकतांत्रिक भासक के रूप में** – भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाला कल्याणकारी राज्य है जहाँ संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली प्रवर्तित है। यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च प्रतीत होती है तथापि दे"ा का वास्तविक शासन प्रधानमन्त्री होता है। दे"ा में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना, जनसाधारण के कष्टों का निवारण तथा संवैधानिक निर्दे"ाों की अनुपालना मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों की कार्य"ौली से प्रभावित होती है। अधिसंख्य मामलों में प्रधानमन्त्री जनता–जनार्दन द्वारा समर्थन प्राप्त राजनीतिक तथा प्र"ाासनिक लक्ष्यों की पूर्ति कराता है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की छवि तथा प्रधानमन्त्री की कार्य"ौली एक–दूसरे को प्रभावित करती हैं। आम जनता भी अधिकां"ा मामलों में प्रधानमन्त्री की भूमिका को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है क्योंकि प्रधानमन्त्री जनाकांक्षाओं की पूर्ति का स्वाभाविक स्रोत है प्रधानमन्त्री की राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं से लड़ने की क्षमता जनसाधारण को प्रत्यक्षः प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्रधानमन्त्री की विफलता सत्तारूढ़ दल के पतन का कारण बन जाती है। एच.आर.सी. ग्रीव्ज कहते हैं – ''सरकार सम्पूर्ण दे"ा की मास्टर है किन्तु प्रधानमन्त्री सरकार का मास्टर है।''

2- uhfr fuekZrk d : Ik esa & संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमन्त्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका या विधायिका का एक भाग होते हैं। इस प्रकार प्रधानमन्त्री कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों में प्रभावी भूमिका निभाता है। प्रधानमन्त्री ही वह व्यक्ति है जो राष्ट्रीय समस्याओं, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आधारभूत नीतियाँ बनाता है। यद्यपि यह नीतियाँ उस दल की मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित होती हैं जिस दल का प्रधानमन्त्री सदस्य होता है तथापि नीति–निरूपण में प्रधानमन्त्री की भूमिका सर्वोपरि तथा निर्णायक होता है।

3- fodkl kUe[k urRo d : Ik esa & भारत उन दे"ाों में सम्मिलित है जहाँ सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्य नियोजन प्रणाली के माध्य से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमन्त्री का विकास के क्रम में दृष्टिकोण तथा पहल करने की क्षमता राष्ट्र के समग्र विकास में नि"चत रूप से निर्णायक भूमिका निर्वाहित करती है। राष्ट्र की समस्याओं,

जनाकांक्षाओं, उपलब्ध संसाधनों तथा कु”ाल प्र”ाासनिक तंत्र के साथ दूरदर्”ातापूर्वक समन्वय स्थापित करने वाला प्रधानमन्त्री ही विकास को नए आयाम दे सकता है। इसलिए मुनरो ने प्रधानमन्त्री को ‘राज्यरूपी जहाज का कप्तान’ कहा है।

4- **l:ln e: jktuhfrK d: :lk e: &** सामान्यतः प्रधानमन्त्री लोकसभा का सदस्य होता है। बहुमत वाले दली का सर्वसम्मत नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक दलों अर्थात् विपक्ष के नेताओं के साथ राजनीतिक एवं वैचारिक भिन्नता तथा प्रधानमन्त्री होने के कारण स्वाभाविक दबावों का सामना करना पड़ता है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक, प्रस्ताव तथा आम बजट एवं रेल बजट में प्रधानमन्त्री की कार्य”ौली स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार प्र”नकाल, वि”वास मत प्रस्ताव या अवि”वास प्रस्ताव इत्यादि के समय प्रधानमन्त्री को सत्तारूढ़ दल तथा दे”ा की वास्तविक कार्यपालिका दोनों दृष्टियों से बहस में उत्तर देना पड़ता है।

5- **अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर दे”k d: i:frfu/k d: :lk e: &** तेजी से भागती दुनिया में हो रहे ध्रुवीकरणों के कारण किसी भी दे”ा की छवि उसके गुटों से भी प्रभावित होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमण्डल तथा सार्क के माध्यम से भारत की छवि न्यूनाधिक मात्रा में निष्पक्ष तथा शांतिप्रिय राष्ट्र की है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों की विचारधारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सार्थक उपस्थिति महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र की सभाओं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के क्रम में भारत के पक्ष को स्पष्ट करने में प्रधानमन्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

6- **मंत्रिपरिशद् के अध्यक्ष के रूप में** – प्रधानमन्त्री का चयन बहुमत वाले दल के सांसद करते हैं जबकि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का चयन स्वयं प्रधानमन्त्री पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर करता है। किस मंत्री को कौन–सा विभाग तथा स्तर प्रदान किया जाना है और मंत्रिपरिषद् का कब विस्तार करना है इत्यादि का निर्णय प्रधानमन्त्री ही करता है। समय–समय पर होने वाली केबिनेट मीटिंग तथा उसके एजेण्डा का निर्धारण भी प्रधानमन्त्री करता है। केबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमन्त्री अन्य सहयोगी मंत्रियों के पराम”र्ा पर सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मॉर्ले प्रधानमन्त्री को ‘समकक्षों में प्रथम’ का नाम देते हैं।

7- **राश्ट्रपति के परमाद”knkrk d: :lk e: &** सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति दे”ा की सर्वोच्च कार्यपालिका होता है लेकिन व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति का

प्रत्येक कृत्य प्रधानमन्त्री के पराम”र्ा से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने, मंत्रिपरिषद् का विस्तार या किसी मंत्री को हटाने, महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल की घोषणा तथा लोकसभा को भंग करने इत्यादि मामलों में प्रधानमन्त्री ही राष्ट्रपति का सहायक तथा पराम”र्ादाता होता है। यद्यपि अधिकां”ा परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री या मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है किन्तु संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं भी पहल कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जबकि राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री के पराम”र्ा के बिना या उसके विरूद्ध निर्णय करना पड़े तो निस्संदेह दोष प्रधानमन्त्री का ही होगी।

6-4-2- मंत्रिपरिशद् (Council of Ministers)

संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् मे सम्मिलित मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री में निहित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद – 74(1) यह प्रावधान करता है कि–''राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन करने में सहायता तथा पराम”र्ा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होगा।'' आम बोलचाल की भाषा में सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद् से ही होता है।

fu;fDr & मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री के पराम”र्ा पर होती है (अनुच्छेद – 75 (1))। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों या मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमन्त्री सैद्धान्तिक दृ”िट से स्वतंत्र दिखाई देता है लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रधानमन्त्री कई प्रकार की बाध्यताओं से घिरा होता है। मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या संविधान द्वारा नि”चत नहीं की गई है बल्कि यह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्वतन्त्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद् में 14 सदस्य सम्मिलित थे जबकि सन् 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 60 सदस्य मंत्रिपरिषद् में शामिल किए थे क्योंकि राव सरकार के पास पूर्ण बहुमत का अभाव था, अतः कई व्यक्तियों को मंत्रिपद देना पड़ा था। वाजपेयी मंत्रिपरिषद् में सन् 2003 में किए गए 13वें विस्तार के प”चात् 81 मंत्रि थे जो एक रिकॉर्ड हैं। प्र”ाासनिक सुधार आयोग (प्रथम) का मानना था कि मंत्रिपरिषद् का आकार 40–45 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके एक तिहाई सदस्य केबिनेट स्तर के हों। सन् 2003 में किए गए संविधान सं”ाोधन (91वाँ सं”ाोधन) के प”चात् अब मंत्रियों की संख्या 15 प्रति”ात सांसदों तक सीमित कर दी गई है अर्थात् केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में अधिकतम 79

(लोकसभा की संख्यानुसार) मंत्रि ही हो सकते हैं। यह कानून राज्यों की मंत्रिपरिषद् पर भी लागू है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य अधिकां"ातः लोकसभा में निर्वाचित सांसद होते हैं तथापि राज्यसभा के सांसद या ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो उसे नियमानुसार छः माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के मंत्री की मूलभूत योग्यताएँ वही हैं जो किसी सांसद के लिए आव"यक है।

मंत्रिपरिषद् में चार प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं जो शक्तियों तथा स्तर के अनुसार क्रम"ाः निम्नांकित हैं –

1. केबिनेट मंत्री
2. राज्य मंत्री
3. उप मंत्री
4. संसदीय सचिव

भापथ – संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमन्त्री तथा अन्य मंत्रियों को लेनी होती है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् को शपथ ग्रहण करवाता है।

1- **मंत्री–पद की भापथ** – ''मैं अमुक, ई"वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।''

2- **मंत्री के लिए गोपनीयता की भापथ** – ''मैं अमुक, ई"वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि संघ में मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।''

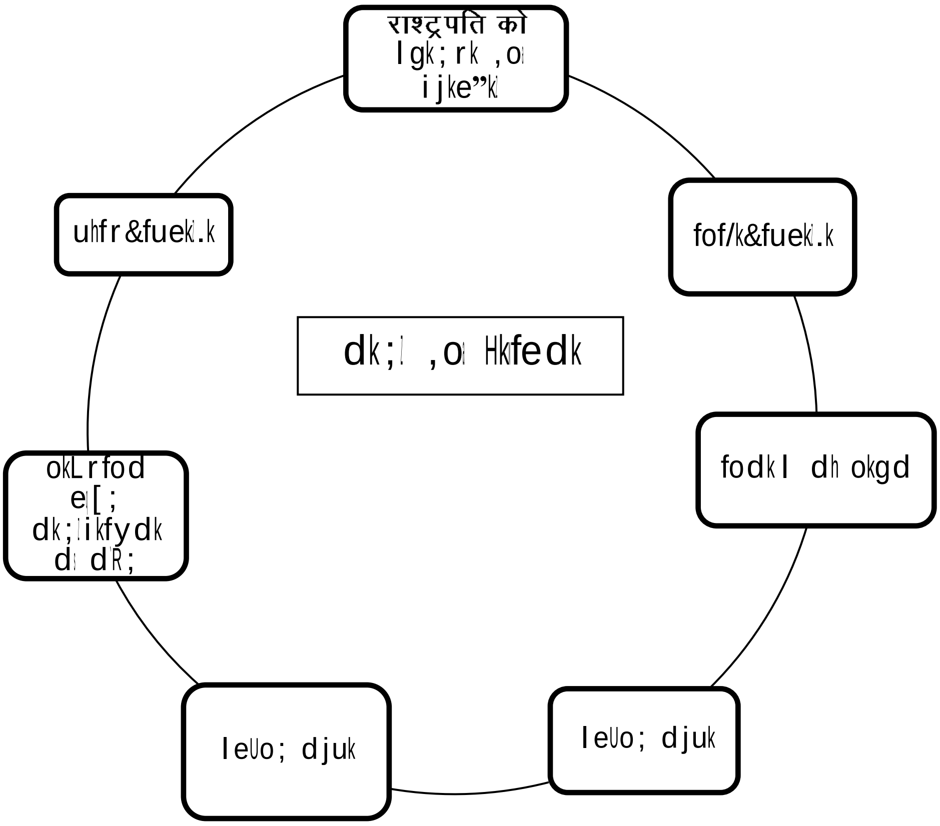

dk;Z ,oa Hkwfedk & मंत्रिपरिषद् का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सहायता एवं परमा"र्f प्रदान करना, नीति एवं कार्यक्रम बनाना तथा दे"ा का शासन–संचालन करना है जो व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री द्वारा विभाग पर नियंत्रण–निर्दे"ान और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा संचालित होता है। मंत्रिपरिषद् के अधिकां"ा नीतिगत तथा उच्चस्तरीय कार्य प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिमण्डल द्वारा निष्पादित होते हैं जबकि दैनन्दिन कार्य विभिन्न प्रकार के मंत्री अपने–अपने विभागों में पूरे करते हैं। मंत्रिपरिषद् के कार्यों को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है –

1- **राश्ट्रपति को सहायता एवं पराम"kZ** & संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को पराम"र्f तथा सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद् का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि किसी सरकार के पतन के प"चात् भी वह मंत्रिपरिषद् तक तक कार्य करती रहती है जब तक कि नयी सरकार गठित न हो जाए। मत्रिपरिषद् द्वारा विभिन्न मामलों में लिए गए निर्णयों से प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। वस्तुतः राष्ट्रपति वही कार्य करता है

जैसा उसे प्रधानमन्त्री द्वारा पराम”ा प्रदान किया जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की प्रत्येक मंत्रणा को स्वीकार करने को बाध्य है ? लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह अनेक बार स्पष्ट हो चुका है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् का पराम”ा करने से न्यूनाधिक मात्रा में बाध्य अव”य है।

2- uhfr&fuekZ.k & नीति वह दस्तावेज या विचारधारा सिद्ध होती है जो किसी तंत्र को उसे लक्ष्यों की प्राप्ति में न केवल मार्गद”ान प्रदान करती है बल्कि सरकार की मं”ाा को भी स्पष्ट करती है। मंत्रिपरिषद् ही सर्वोच्च नीति निर्मात्री संस्था है जो किसी दे”ा की रक्षा, विदे”ा, गृह, ि”ाक्षा, उद्योग तथा विकास इत्यादि की नीतियाँ निर्धारित करती है। ये नितियाँ सम्बन्धित दे”ा के इतिहास, सामाजिक–आर्थिक परिवे”ा, संवैधानिक मूल्यों तथा जनाकांक्षाओं से अभिप्रेरित अव”य होती हैं तथापि इनमें सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी की छवि स्पष्ट नजर आती है।

3- fof/k&fuekZ.k & यद्यपि विधि–निर्माण का प्रमुख कार्य संसद का है तथापि संसद का एक अभिन्न अंग होने के कारण मंत्रिपरिषद् की विधि–निर्माण में महत्ती भूमिका रहती है। विभिन्न प्रकार के नए विधेयकों का प्रारूप निर्माण, प्रवर्तित कानूनों में सं”ाोधन तथा सुधार का कार्य लोक सेवकों की सहायता से सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद् ही निर्धारित करती है। संसद में बहुमत रखने के कारण अधिकां”ा विधेयक मंत्रिपरिषद् द्वारा ही प्रस्तुत कि ए जाते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादे”ा जारी करने का पराम”ा तथा प्रारूप भी मंत्रिपरिषद् ही देती है।

4- okLrfod eq[; dk;Zikfydk dk dR; & मंत्रिपरिषद् वास्तविक सत्ता प्राप्त सर्वोच्च शक्तिसम्पन्न निकाय है जो सम्पूर्ण शासन तंत्र को निर्दे”ित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने का कार्य करती है। प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का शीर्षस्थ पद मंत्री के रूप में एक राजनेता द्वारा धारण किया जाता है जो मंत्रिपरिषद् का सदस्य भी कहलाता है। सम्बन्धित विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, बजट तथा लक्ष्यों की पूर्ति के क्रम में मंत्री द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मंत्री के अधीन कार्यरत सचिव तथा अन्य प्र”ाासनिक कर्मचारी केवल उसके सहायक होते हैं। वास्तविक तथा अन्तिम उत्तरदायित्व मंत्री का होता है। इसलिए यह आव”यक है कि शासन संचालन से सम्बन्धित कारगर रणनीति सम्बन्धित मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार की जाए।

5- fodkl dh okgd & आधुनिक राज्य कल्याणकारी तथा लोकतंत्रात्मक हैं जहाँ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की स्पष्ट भूमिका बनी रहती है क्योंकि समस्त राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिपरिषद् प्रमुख स्रोत हैं। पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों तथा प्राकृतिक रूप से विपन्नताग्रस्त सुदूर अंचलों में जीवन की मूलभूत सुविधाएँ, यथा – ि”ाक्षा, पेयजल, यातायात, खाद्यान्न, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य इत्यादि उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

6- leUo; djuk & लोक प्र”ाासन में प्र”ाासनिक संगठनों या संस्थाओं का वि”ााल एवं जटिल तंत्र कार्यरत है। एकाधिक संगठनों या व्यक्तियों में प्र”ाासनिक कृत्यों को लेकर उठने वाले विवादों को निबटाने में मंत्रिपरिषद् अहम् भूमिका निभाती है। एक ही मंत्रालय के विभिन्न मंत्रियों या अलग–अलग मंत्रालयों में मंत्रियों तथा सचिवों के मध्य कार्यक्षेत्र को लेकर उठने वाले विवादों का निवारण मंत्रिमण्डल करता है। समन्वय की यह समस्या अन्तरविभागीय ही नहीं बल्कि अन्तरराज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। निस्संदेह सामंजस्य तथा समन्वय की स्थापना मंत्रिपरिषद् ही करवा सकती है।

7- ykd f”kdk;r fuokj.k rFkk tuer fuek.k & शासन–सत्ता के शीर्ष पर स्थापित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रतिदिन हजारों जनि”ाकायतें पहुँचती हैं। इन ि”ाकायतों तथा जन समस्याओं का निराकरण कराना मंत्रिपरिषद् का एक प्रमुख दायित्व है। इस क्रम में अनेक जाँच अभिकरण तथा नियंत्रणकारी संगठन कार्यरत हैं जिनके माध्यम से ि”ाकायत निराकरण सम्भव है। इसी तरह मंत्रिगण आकस्मिक दौरा करके भी प्र”ाासन को सजग रख सकते हैं।

6-5- viuh izxfr tkp (Check your progress)

निचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनका आपने उत्तर देना है :–

(i) भारत में कौन–सी शासन प्रणाली अपनाई गई है ?

(ii) राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा किया जाता है ?

(iii) राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम–से–कम कितनी आयु होनी चाहिए ?

(iv) राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है ?

(v) मन्त्रिपरिषद में कितने प्रकार के मन्त्री होते हैं ?

(vi) मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है ?

(vii) मन्त्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है ?

6-6- lkjk”k (Summary)

इस अध्याय में विषयों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में राजनीति तथा प्र”ाासन की प्रक्रिया को कई स्तरों में बांटा गया है। भारत में प्र”ाासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया है क्योंकि कोई भी निर्वाचित व्यक्ति या राष्ट्रपति ताना”ााही ना कर सके। जहां पर भी सारी कार्यपालिका शक्तियों का केन्द्र राष्ट्रपति है, वहीं पर राष्ट्रपति पर 44वें संविधान सं”ाोधन के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति में कुछ आपातकालीन शक्तियां भी निहित है जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा से कर सकता है परन्तु कुछ विषयों पर उनमें भी राष्ट्रपति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

भारत में राजनीतिक सारी शक्तियां तथा कार्यपत्रिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग तो प्रधानमन्त्री ही करता है, राष्ट्रपति तो केवल नाममात्र का कार्यपालक है वास्तविकता में कार्यपालन तो प्रधानमन्त्री ही है। प्रधानमन्त्री का चुनाव हमारे दे”ा की जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की सहायता से दे”ा का शासन चलाता है तथा नितियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद होती है जो उनके कार्यों में सहयोग देती है दे”ा का विकास तथा विना”ा मन्त्रिमण्डल पर ही निर्भर होता है यदि सही दि”ाा में कार्य किया जाए तो विकास तथा विपरीत दि”ाा में कार्य किया जाए तो विना”ा अंत में ये ही कह सकते हैं कि भारत दे”ा प्र”ाासनिक तथा राजनीतिक रूप से वि”व में सभी दे”ाों से अलग है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन कई स्तरों पर किया गया है जिससे कोई भी ताना”ााही नहीं कर सकता।

6-7- सूचक भाब्द (Key Words)

राश्ट्रपति & दे”ा का सर्वोपरि, नागरिक जिसमें सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित है।

i/kkueU=h & मन्त्रिमण्डल का प्रधान, जिसे मन्त्रिमण्डल में सर्वोपरि दर्जा प्राप्त हो, प्रधानमन्त्री कहलाता है।

मन्त्रिपरिशद & मन्त्रियों का समूह जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है।

egkfHk;kx & वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति यह गैर संवैधानिक कार्यों के लिए आरोप सिद्ध करके पद से हटाया जाता है।

rkuk”kkgh & वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी कार्यपालक अपनी मर्जी से सभी निर्णय ले तथा नितियां बनाएं।

6-8- Lo; eY;kdu gr i”u **(Self Assessment Questions)**

Q.1. राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करो।

Q.2. राष्ट्रपति की आपातकालिन शक्तियों का संक्षिप्त विवरण दें।

Q.3. प्रधानमन्त्री की चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ?

Q.4. मन्त्रिमण्डल की भूमिका का वर्णन करें।

Q.5. प्रधानमन्त्री के कार्यों का विवरण दें।

6-9- viuh ixfr dh tkp dju d fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

(i) संसदीय शासन प्रणाली

(ii) एकल–संक्रमणीय मत–प्रणाली द्वारा

(iii) 35 वर्ष

(iv) महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा

(v) 3 प्रकार के

(vi) राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रि की सिफारिस पर

(vii) राष्ट्रपति को सलाह और परम”र्ा देना

6-10- lUnHk xUFk@funf”kr iLrd **(References/Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ाासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code **: BA101**	Author **: Dr. Deepak**
Lesson No. **: 7**	Vetter **:**
jkT; dk;Zdkfj.kh % jkT;iky] eq[;eU=h, मंत्रिपरिशद	

v/;k; & 7 राज्य कार्यकारिणी : राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मंत्रिपरिशद

7-1- vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

7-2- iLrkouk **(Introduction)**

7-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

7-3-1- jkT;iky dh fu;qfDr **(Appointment of Governor)**

7-3-2- jkT;iky की भाक्तियाँ तथा कार्य **(Powers and Functions of Governor)**

7-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

7-4-1- मुख्यमन्त्री की भाक्तियाँ और कार्य **(Powers and Functions of Chief Minister)**

7-4-2- eq[;eU=h dh fLFkfr **(Position of the Chief Minister)**

7-5- viuh izxfr tkpsa **(Check your progress)**

7-6- lkjk”k **(Summary)**

7-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

7-8- Lo;a eWY;kadu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

7-9- viuh izxfr dh tkp djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

7-10- lUnHkZ xzUFk@funsZ”kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

7-1- vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे :–

- केन्द्रिय सचिवालय तथा राज्य सचिवालय का संक्षिप्त विवरण।
- राज्यपाल की भूमिका तथा कार्यों का अध्ययन।
- मुख्यमन्त्री के कार्यों तथा शक्तियों का विवरण।
- राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया।
- मुख्यमन्त्री के चुनाव की प्रक्रिया।

7-2- i`Lrkouk **(Introduction)**

भारत में संघीय शासन–प्रणाली होने के कारण दोहरी शासन व्यवस्था है – एक संघ की तथा दूसरी संघ की इकाइयों (राज्यों) की। संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन–प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार, राज्यपाल राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष होता है और उसको पराम”ा देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था है, जिसका मुखिया मुख्यमन्त्री होता है। वास्तव में मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि–परिषद् ही राज्य के शासन का संचालन करते हैं। अतः राज्य में राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका वैसी ही है जैसी कि केन्द्र में राष्ट्रपति की है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद सम्बन्धी नियुक्ति, शक्तियों तथा कार्यों करा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 में किया गया है। इनका इस अध्याय में हम विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ''प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, परन्तु एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है।''

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of the Governor) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, ''राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।'' पिछले कई वर्षों से राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्रचलित हैं जिनका प्रायः पालन किया जाता है।

7-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

7-3-1- jkT;iky dh fu;fDr **(Appointment of Governor)**

संविधान सभा में, जब राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में वाद–विवाद चल रहा था, तब उस समय राज्यपाल के चुनाव की भी चर्चा हुई। राज्यपाल के पद के सम्बन्ध में

संविधान सभा की 'प्रान्तीय संविधान समिति' (Provincial Constitution Committee) ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। यह विचार उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक–से–अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इस सुझाव के अतिरिक्त संविधान सभा में दो अन्य सुझाव भी दिए गए। प्रथम राज्य विधानमण्डल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए। द्वितीय राज्य विधानमण्डल के निम्न सदन विधानसभा द्वारा चार नामों सहित सुझाव दिया जाए जिनमें से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी एक को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने अन्त में यह निर्णय लिया कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी नियुक्ति ही होनी चाहिए। राज्यपाल के चुनाव के विपक्ष में,जो तर्क दिए गए वे इस प्रकार है –

1. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल, संसदीय प्रणाली से मेल नहीं खाता। इससे मन्त्रिमण्डल और राज्यपाल में शक्ति के लिए संघर्ष होगा।

2. यदि राज्यपाल, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो तो वह राजनीतिक रूप से उनका ऋणी होता हुआ सदैव उनके हाथों में कठपुतली बना रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी न होते हुए केवल कुछ वर्षों के लिए होगा, इसलिए वह पुनर्निवाचन की आ"ाा में मण्डल के बहुसंख्यक दलों को प्रसन्न करने यत्न करता रहेगा।

3. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल, अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व तो करेगा, परन्तु केन्द्रीय सरकार का नहीं। इस दि"ाा में एक निर्वाचित राज्यपाल, संघ तथा राज्य सरकारों में, किसी बात पर मतभेद अथवा वाद–विवाद हो जाने पर केन्द्रीय सरकार का पक्ष नहीं कर सकेगा, न ही उसके हित का रक्षा कर सकेगा।

;kX;rk,¡ **(Qualifications)** – अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ नि"चत की गई हैं :–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. पागल व दिवालिया न हो।
4. उस पर कोई न्यायिक कार्यवाही न हो।

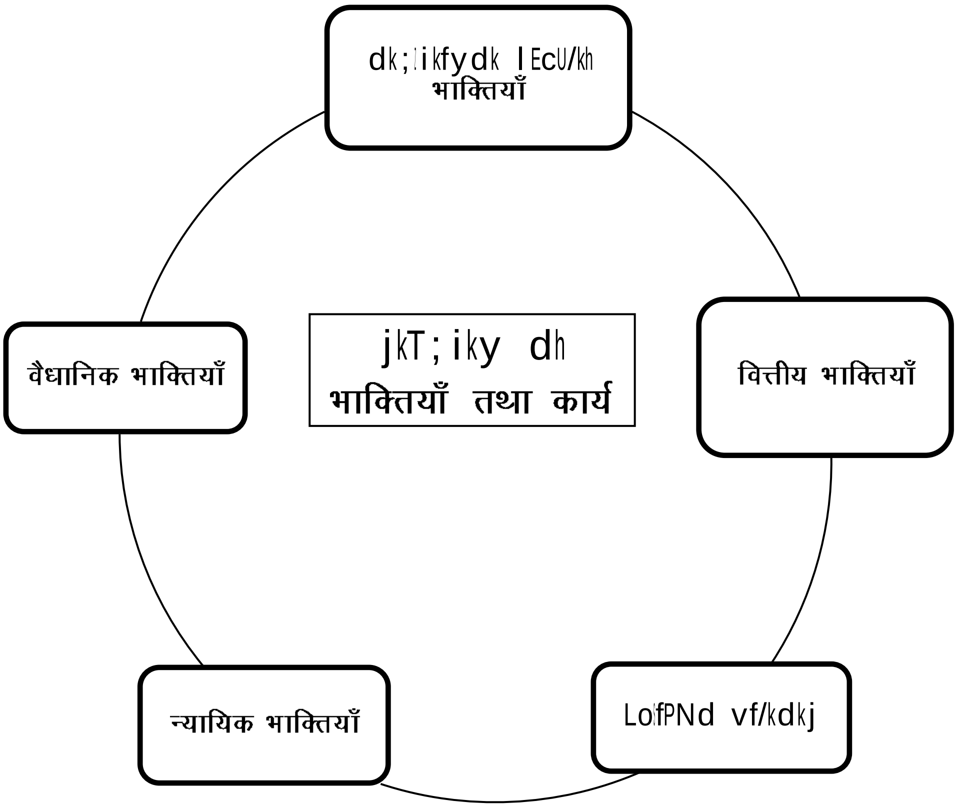

7-3-2- राज्यपाल की भाक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Governor)

भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं, जो कि केन्द्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अतः दोनों की शक्तियों को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। संविधान वि”ोषज्ञ Mh-Mh- cl| **(D.D. Basu)** के शब्दों में, ‘‘राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।’’ राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन एवं वि”लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

1- dk;ikfydk lEcU/kh **भाक्तियाँ (Executive Powers)** – भारतीय संविधा के अनुच्छेद 154 के अनुसार, ‘‘राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा गवर्नर को प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है।’’ संविधान के अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि

राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे। अतः राज्यपाल ही राजय की काय्रपालिका का प्रधान होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। अतः वह उन समस्त विषयों पर शासन का संचालन करता है जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है।

2- **वैधानिक भाक्तियाँ (Legislative Powers)** – राज्यपाल की वैधानिक शक्तियाँ निम्नलिखित हैं –

d- विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, परन्तु राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग (2) के अन्तर्गत उसे पाँच वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। राज्यपाल के लिए यह आव"यक है कि वह वर्ष में कम–से–कम एक अधिवे"ान अव"य बुलाए। राज्यपाल को विधानसभा के एक अधिवे"ान की समाप्ति के दिन से छह मास के अन्दर–अन्दर दूसरा अधिवे"ान अव"य बुलाना चाहिए।

[k- राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधानपालिका का अधिवे"ान बुलाए और उसके सामने नीति तथा भावी कार्यक्रम का वर्णन करें। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष विधानमण्डल के प्रथम अधिवे"ान में ऐसा भाषण देने का अधिकार है।

x- राज्य विधानमण्डल जो बिल पास करता है, वह राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस अनुमति के प"चात् वह एक्ट बनता है तथा कानून के रूप में लागू किया जाता है। राज्यपाल करिसी भी बिल को अपनी सिफारि"ा के साथ विधानमण्डल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परन्तु दूसरी बार विधानमण्डल जिस भी रूप में उसे स्वीकार करके राज्यपाल के पास भेज दे तो उसे अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेज सकता है। लेकिन विधानपालिका द्वारा पास बिल जो प्रान्तीय उच्च न्यायालय की शक्तियों से सम्बन्धित हो। धन बिल जिस भी रूप में विधानमण्डल द्वारा पास किए जाते हैं, उसी रूप में राज्यपाल उनको अनुमति देता है। वह उन्हें पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा नहीं सकता।

?k- जिन राज्यों में द्वि–सदनात्मक विधानपालिका है, वहाँ ऊपरी सदन (विधान–परिषद्) के कुछ सदस्यों को राज्यपाल सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के

आधार पर मनोनीत करता है। अनुच्छेद 171 (5) के अनुसार यदि राज्य में ऐंग्लो–इण्डियन को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका हो, तो उनके कुछ व्यक्तियों को राज्यपाल विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है।

M- जब राज्य के विधानमण्डल का अधिवे"ान न हो रहा हो, तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादे"ा जारी कर सकता है। इस अध्यादे"ा की वही स्थिति होती है जो कि विधानमण्डल द्वारा पास किए हुए कानूनों की होती है, परन्तु इसकी अवधि केवल छः मास होती है। किसी अध्यादे"ा के लागू किए जाने के प"चात् जब विधानमण्डल का अधिवे"ान हो तो इस अध्यादे"ा को विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाता है। अगर छः सप्ताह के अन्दर विधानमण्डल उसकी पुष्टि न करे, तो वह अध्यादे"ा समाप्त हो जाता है। राज्यपाल साधारण समय में अपने इस अधिकार का प्रयोग मन्त्रि–परिषद् की सलाह से करता है। अतः विधानमण्डल में उसको प्रायः स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि वहाँ मन्त्रि–परिषद् को बहुमत प्राप्त होता है।

3- **वित्तीय भाक्तियाँ (Financial Powers)** – राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं –

d- राज्यपाल की सिफारि"ा के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पे"ा नहीं किया जा सकता अर्थात् विधानसभा से धन की माँग राज्यपाल की सिफारि"ा पर ही की जा सकती है।

ख. वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मन्त्री द्वारा विधानसभा में पे"ा करवाता है। कोई भी अनुदान की माँग (demand for grant) बजट में बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं हो सकती।

ग. राज्य की आकस्मिक निधि (contingency fund of the state) पर राज्यपाल का ही नियन्त्रण है। यदि संकट के समय आव"यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें से आव"यकतानुसार व्यय कर लेता है तथा उनके प"चात् राज्य विधानमण्डल से उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है।

4- **न्यायिक भाक्तियाँ (Judicial Powers)** – राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं –

d- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा तथा अन्य न्यायधी"ाों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।

ख. जिला न्यायधी”ाों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है।

ग. राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है, यदि है, तो वह आव”यकतानुसार अधिक न्यायधी”ाों को नियुक्त करता है।

घ. राज्यपाल उस अपराधी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य के कानून के विरूद्ध अपराध करने पर दण्ड मिला हो। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं :–

1- {kek **(Pardon)** – किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया गया दण्ड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा वह व्यक्ति सभी दण्ड तथा आरोपों से मुक्त हो जाता है।

2- y?kdj.k **(Commuting)** – इसमें एक प्रकार के दिए गए दण्ड के स्थान पर उससे हल्के दण्ड दिया जाता है; जैसे यदि मृत्यु–दण्ड का निर्वासन, निर्वासन को कठोर कारावास, कठोर कारावास को साधारण कारावास तथा साधारण कारावास को जुर्माने में लघुकरण किया जा सकता है।

3- ifjgkj **(Remission)** – इसके अन्तर्गत दण्डादे”ा की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है; जैसे कारावास को ही कम समय का कारावास कर दिया जाए। उदाहरण के लिए 10 वर्ष के कारावास को एक वर्ष का कारावास कर दिया जाए।

4- jkgr **(Respite)** – इसके अन्तर्गत किसी वि”ोष परिस्थिति को देखते हुए दण्ड की किसी कार्रवाई को समाप्त कर देना अथवा कम कड़े दण्ड का आदे”ा देना। उदाहरण के लिए अपराधी गर्भवती स्त्री का दण्ड कम करना।

5- ifr yEcu **(Reprieve)** – इसका अर्थ है – किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दण्ड को पालन करने से रोकना। यह केवल दण्ड के पालन करने में विलम्ब करने के लिए किया जाता है। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार की न्यायपालिका के अधीन हो।

5- LofPNd vf/kdkj **(Discretionary Powers)** – कुछ राज्यों के राज्यपालों को स्वैच्छिक अधिकार भी दिए गए हैं; जैसे –

d- आसाम के राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का अधिकार है।

ख. सिक्किम के राज्यपाल को सिक्किम राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं समस्त वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वि”ोष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ग. संघीय सरकार समय – समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के निर्दे”ा भेजती रहती है। इनका पालन न करने पर राज्यपाल राज्य सरकार के विरूद्ध रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकता है।

घ. राज्यपाल समय–समय पर अपने मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रि–परिषद् को पराम”र्ा, प्रोत्साहन एवं चेतावनी दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उसे किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती।

ङ. राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। इस शक्ति का प्रयोग भी वह स्वेच्छा से करता है।

च. यदि कोई निर्णय एक मन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री ने अपने–आप से लिया हो तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के सामने रखने के लिए मुख्यमन्त्री को कह सकता है।

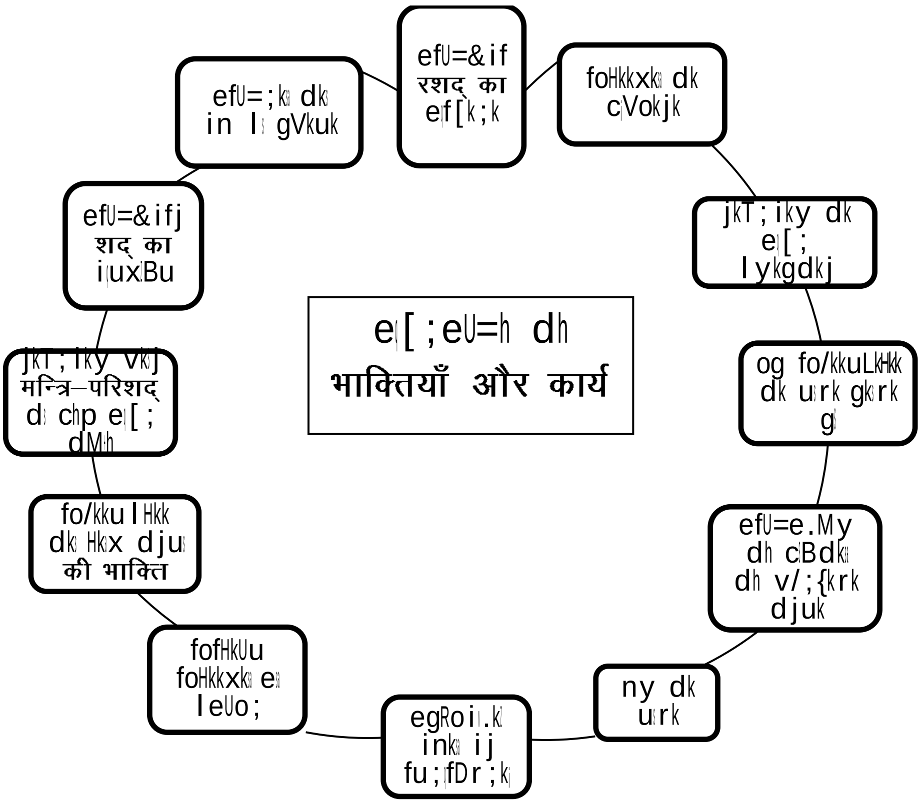

7-4- ikB d: vkx: dk e|[; Hkkx (Further main body of the text)

7-4-1- मुख्यमन्त्री की भाक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of Chief Minister)

मुख्यमन्त्री के कार्य बहुत विस्तृत हैं, उसकी शक्तियाँ भी बहुत विस्तृत हैं और इसी कारण उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी स्थिति लगभग वैसी ही होती है, जैसी कि प्रधानमन्त्री की केन्द्र में। मुख्यमन्त्री राज्य में लगभग सर्वेसर्वा ही होता है। यद्यपि बहुत कुछ मुख्यमन्त्री के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर है, अर्थात् वह कितना बड़ा नेता है, उसकी पार्टी का बहुमत कितना है, पार्टी के अन्दर उसका कैसा स्थान है, पार्टी में कितना संगठन तथा अनु"ाासन है, इन सब बातों का उसकी स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है, तथापि मुख्यमन्त्री के पद में भी इतनी महानता कि कोई भी व्यक्ति जो इस पद को ग्रहण करता है, महान् प्रभाव और शक्तियों का अधिकारी बन जाता है और इस पर यदि उसका व्यक्तित्व भी प्रभाव"ााली हो तो सोने पर सुहागे का कार्य करता है।

1- **मन्त्रि–परिशद् का मुखिया** (Head of the Council of Ministers) – मुख्यमन्त्री अपनी मन्त्रि–परिषद् का नेता होता है और मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी की सिफारि"ा पर करता है। वही उनमें शासन के विभागों का बँटवारा करता है। अनुच्छे 163 (1) तथा 164 (1) में इसके इन कार्यों का स्पष्ट वर्णन है। वह जब चाहे उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। यदि कोई मन्त्री उसे सहयोग न दे तो वह उससे त्याग–पत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से सिफारि"ा करके उसे अपदस्थ करवा सकता है। वह मन्त्रि–परिषद् की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। प्रान्तीय मन्त्रि–परिषद् की रचना, संगठन एवं कार्य कु"ालता मुख्यमन्त्री पर ही निर्भर करती है।

2- efU=;k dk in l gVkuk (Removal of Ministers) – संविधान के अनुसार मन्त्री राज्यपाल की इच्छा–पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं, परन्तु व्यवहार में वे उतने समय तक पद पर रहते हैं जब तक वे मुख्यमन्त्री के वि"वास–पात्र रहते हैं। मुख्यमन्त्री तथा किसी अन्य मन्त्री के बीच मतभेद होने पर मन्त्री को अपना त्याग–पत्र देना पड़ता है। यदि कोई मन्त्री अपना त्याग–पत्र देने से इन्कार करता है तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल से कहकर उसको पद से हटवा सकता है। उदाहरणस्वरूप, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सरदार प्रताप सिंह 'कौरों' ने राव वीरेन्द्र सिंह को राज्यपाल से कहकर मन्त्री–पद से हटवाया था। जून, 1983 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल ने दो

मन्त्रियों श्री लछमन सिंह तथा श्री फूलचन्द को राज्यपाल से कहकर पदच्युत (Dismiss) करवाया था। इसी तरह 17 मई, 2003 को उत्तर प्रदे"ा की तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने राज्य–मन्त्री अमरमणि त्रिपाठी को बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के कारण मन्त्रिमण्डल से बर्खास्त कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे विषयों पर मुख्यमन्त्री का संकेत ही काफी होता है।

3- foHkkxksa dk c¡Vokjk (Distribution of Portfolios) – मुख्यमन्त्री ही मन्त्रि–परिषद् के सदस्यों में विभागों का बँटवारा करता है। इस काम में कई बार मुख्यमन्त्री को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही समय में कई मन्त्री एक ही विभाग को लेना चाहते हैं। य़द्यपि अन्तिम रूप में होता वही है, जो मुख्यमन्त्री चाहता है, अतः ऐसी स्थिति में मुख्यमन्त्री को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है कि कहीं उसके दल में फूट न पड़े।

4- **मन्त्रि–परिशद् का पुनर्गठन** (Re-organization of the Council of Ministers) – मुख्यमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए प्र"ाासन के संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए मुख्यमन्त्री मन्त्रि–परिषद् में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई मन्त्री मुख्यमन्त्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमन्त्री उसको त्याग–पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि कोई मन्त्री त्याग–पत्र देने से इन्कार करता है तो मुख्यमन्त्री उसको राज्यपाल द्वारा अपदस्थ (Dismiss) करवा सकता है।

5- jkT;iky dk eq[; lykgdkj (Chief Advisor to the Governor) – मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है और वह प्र"ाासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन सलाह देता है। राज्यपाल साधारणतः मुख्यमन्त्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। यदि राज्यपाल ऐसा न करे तो मुख्यमन्त्री त्याग–पत्र दे सकता है, जिसके प"चात् राज्यपाल को बहुमत वाला मन्त्रिमण्डल बनाना कठिन हो जाता है।

6- **राज्यपाल और मन्त्रि–परिशद् के बीच मुख्य कड़ी** (Main link between Council of Ministers and the Governor) – मन्त्रि–परिषद् तथा राज्यपाल के मध्य मुख्यमन्त्री प्रमुख कड़ी है। वह ही राज्यपाल को मन्त्रि–परिषद् के निर्णयों के बारे में सूचित करता है और राज्यपाल के विचार मन्त्रि–परिषद् के सामने रखता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई मन्त्री राज्यपाल को अपने विभाग सम्बन्धी कार्य के लिए नहीं मिल सकता।

7- og fo/kkuLkHkk dk urk gkrk g (He is the Leader of the Legislatvie Assembly) – द्वि सदनीय विधानमण्डल वाले राज्यों में भी विधानमण्डल की सारी शक्ति वास्तव में विधानसभा में केन्द्रित होती है ओर उसमें बहुमत का नेता होने के नाते मुख्यमन्त्री सदन का भी नेता माना जाता है। दूसरे सदन अर्थात् विधान–परिषद् के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। अतः मुख्यमन्त्री अपने प्रभाव से जो भी चाहे विधानमण्डल से पास करवा लेता है। वह सरकार की मुख्य नीति की घोषणा करता है और उसके पराम”ा से विधानमण्डल का अधिवे”ान बुलाया जाता है ओर उसका कार्यक्रम नि”चत किया जाता है।

8- fo/kkulHkk **को भंग करने की भाक्ति** (The Power to get the state legislative assembly dissolved) – प्रान्तीय विधानसभा को कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्यपाल को प्राप्त है, परन्तु राज्यपाल साधारणतः अपनी इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमन्त्री की सलाह से ही करता है। मुख्यमन्त्री स्वयं त्याग–पत्र देकर भी राज्यपाल को विधानसभा भंग अथवा स्थगित करने पर बाध्य कर सकता है।

9- efU=e.My dh cBdk dh v/;{krk djuk (To Preside over the meetings of the Cabinet) – मुख्यमन्त्री को ही मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुलाने, उनका कार्यक्रम तैयार करने तथा उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार है। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में निर्णय भी प्रायः उसी की इच्छानुसार होते हैं। जनता तथा विधानसभा के सामने इन निर्णयों की घोषणा मुख्यमन्त्री ही करता है।

10- fofHkUu foHkkxk e leUo; (Co-ordination among different Departments) – शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल होना आव”यक है, क्योंकि एक विभाग की नीतियों का दूसरे विभाग पर अव”य प्रभाव पड़ता है। यह तालमेल मुख्यमन्त्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है। मुख्यमन्त्री विभिन्न विभागों की देखभाल करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का किसी दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े।

11- ny dk urk (Leader of the Party) – मुख्यमन्त्री राज्य में अपनी पार्टी का नेता होता है। पार्टी की लोकप्रियता एवं चुनावों में सफलता मुख्यमन्त्री द्वारा अपनाई गई नीतियों पर निर्भर करती है। चुनाव के समय पार्टी की टिकटों को बाँटने में मुख्यमन्त्री की

भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाषण देता है तथा पार्टी प्रचार के साधन अपनाता है।

12- egRoi.k ink ij fu;fDr;k (Appointment to Important posts) – राज्य में महत्वपूर्ण पदों–लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, महाधिकरणों आदि पदों पर नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। वह इन पदों पर नियुक्तियाँ मुख्यमन्त्री की सिफारि”ा पर ही करता है। अतः इन नियुक्तियों के मामले में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है।

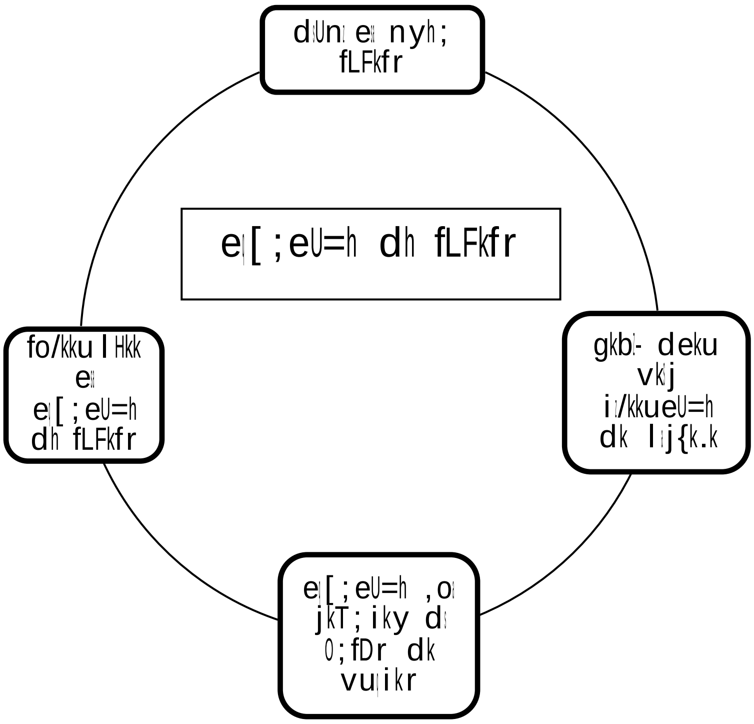

7-4-2- e[;eU=h dh fLFkfr **(Position of the Chief Minister)**

मुख्यमन्त्री की शक्तियों व अधिकारों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसको राज्य के प्र”ाासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। वह मन्त्रि–परिषद् का निर्माण करता है तथा अपनी इच्छानुसार जिस मन्त्री को चाहे हटा सकता है। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है। वह राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमन्त्री के त्याग–पत्र देने का अर्थ समस्त मन्त्रि–परिषद् का त्याग–पत्र होता है। वह राज्य विधानसभा का नेता भी होता है तथा विधानसभा को जब चाहे भंग करवा सकता है। परन्तु

इतना होते हुए भी उसकी वास्तविक स्थिति काफी हद तक परिस्थितियों तथा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है।

वास्तव में मुख्यमन्त्री की स्थिति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं :–

1- dUnz esa nyh; fLFkfr (Party Position in Centre) – केन्द्र में यदि शासक दल वही है जो प्रान्त में है तो मुख्यमन्त्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि केन्द्र में शासक दल की स्थिति क्या है ? जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रथम बार प्रधानमन्त्री बनीं, तो मुख्यमन्त्रियों ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्रधानमन्त्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी कारण मुख्यमन्त्रियों को 'किंग मेकर्स' कहा जाने लगा, परन्तु 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी को भारी बहुमत प्राप्त होने के कारण मुख्यमन्त्रियों की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। मई 1991 में श्री राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस (आई) हाई कमान की स्थिति मजबूत हो गई थी।

2- fo/kkulHkk esa eq[;eU=h dh fLFkfr (Position of Chief Minister in Legislative Assembly) – यदि मुख्यमन्त्री उस दल का नेता है, जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तब उसकी स्थिति उस मुख्यमन्त्री की स्थिति से शक्ति"ाली होगी, जो कि मिले–जुले दलों के मन्त्रिमण्डल का नेता है।

3- gkbZ- deku vkSj iz/kkueU=h dk laj{k.k (Protection from High Command and Chief Minister) – जिस मुख्यमन्त्री को हाई. कमान और प्रधानमन्त्री का संरक्षण प्राप्त हो, उस मुख्यमन्त्री की स्थिति शक्ति"ाली होती है और वह विधानसभा में गुटबन्दी उत्पन्न नहीं होने देता।

4- eq[;eU=h ,oa jkT;iky ds O;fDrRo dk vuqikr (Personality proportion of Chief Minister and Governor) – मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व तथा राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यदि राज्यपाल कमजोर व्यक्तित्व वाला है, तो मुख्यमन्त्रियों की स्थिति मजबूत हो जाती है, परन्तु इसके विपरीत यदि राज्यपाल का व्यक्तित्व प्रभाव"ाली है तब वह अवसर मिलते ही मुख्यमन्त्री को नीचा दिखा सकता है।

7-5- viuh izxfr tkapsa (Check your progress)

नीचे कुछ प्र"न दिए गए हैं, आपने उनका उत्तर देना है :–

(i) राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है ?

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?

(iii) मुख्यन्त्रि की नियुक्ति कौन करता है ?

(iv) राज्य में वास्तविक कार्यपालक कौन है ?

(v) मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है ?

(vi) राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए ?

7-6- lkjk”k (Summary)

ऊपर दिए गए अध्याय का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्य का प्र”ाासन राज्य सचिवालय के द्वारा चलाया जाता है। परन्तु नितियों का निर्माण विधानपालिका के द्वारा किया जाता है और इन नीतियों को लागू करने का कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सचिवालय तथा विधायिका एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

राज्य में राज्यपाल तो केवल नाममात्र का कार्यपाल होता है, वास्तविकता में कार्यपालक तो राज्य में मुख्यमन्त्रि तथा उसकी मन्त्रि परिषद् होती है क्योंकि कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तविकता में मुख्यमन्त्री के द्वारा ही किया जाता है अधिनियमों या प्रस्तावों को पास करके विधायिका राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजती है और उस प्रस्ताव पर राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी आव”यक होती है। राज्यपाल प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए विधायिका को भेज सकता है, परन्तु जब विधायिका उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों भे दे तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ती है इसलिए हम मुख्यमन्त्री तथा उसकी मन्त्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं।

मुख्यमन्त्री अपने सारे कार्य मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर करता है, मुख्यमन्त्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसी विधानपालिका में बहुमत प्राप्त हो यदि मुख्यमन्त्री के पास अपने विधायकों का बहुमत नहीं है तो उसे अपनी विधानसभा भंग करनी पड़ती है। राज्य प्र”ाासन में सभी विकास कार्य और नितियों को राज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एक प्र”ाासन राज्यपाल है और मुख्यमन्त्रि के सहयोग से चलता है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं इनमें से दोनों अलग–अलग विचारधारा से कार्य नहीं कर सकते। सभी कार्य और प्रस्तावों को पास करने के लिए दोनों का आपसी सहयोग अनिवार्य है।

7-7- सूचक भाब्द (Key Words)

dfUnz; lfpoky; & केन्द्रिय सचिवालय, अधिनियम, विधेयक, आयातकाल, संवैधानिक मुखिया, वास्तविक कार्यपालक

vf/kfu;e & जब भी कोई प्रस्ताव संसद या विधायिका में वाद–विवाद के लिए रखा जाता है तो और उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है तो उसे अधीनियम कहते हैं।

fo/ks;d & जब कोई प्रस्ताव विधायिका में वाद–विवाद के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं।

vkikrdky & दे”ा में ऐसी स्थिति जिसमें दे”ा का प्र”ाासन तथा राजनीति गड़बड़ा जाए तो उसे आपातकाल कहते हैं।

laoS/kkfud eqf[k;k & संवैधानिक के अनुसार जिसे दे”ा का प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिसके नाम पर सभी कार्य होते हैं उसे संवैधानिक मुख्या कहा जाता है।

okLrfod dk;Zikyd & वह व्यक्ति जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है उसे वास्तविक कार्यपालक कहा जाता है।

7-8- Lo;a eY;kadu gsrq iz”u (Self Assessment Questions)

Q.1. केन्द्रिय सचिवालय तथा राज्य सचिवालय में अंतर द”ाािएं।

Q.2. राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यों की चर्चा करें।

Q.3. मुख्यमन्त्री के निर्वाचन व कार्यों का विवरण।

Q.4. मुख्यमन्त्री की स्थिति की चर्चा करें।

Q.5. मुख्यमन्त्री की शक्तियों की व्याख्या करें।

7-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj (Answer check your progress)

(i) अनुच्छेद 153 में   (ii) प्रधामन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति

(iii) राज्यपाल   (iv) मुख्यमन्त्रि

(v) राज्यपाल मुख्यन्त्रि की सलाह पर

(vi) राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु सिमा होनी चाहिए

7-10- lUnHkZ xzUFk@funsZ"kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र"ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके"ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू"ान।

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code : **BA101**	Author : **Dr. Deepak**
Lesson No. : **8**	Vetter :
U;k;ikfydk & lokZPp U;k;ky;] mPp U;k;ky; vkSj U;kf;d lfØ;rk	

v/;k; & 8 U;k;ikfydk & lokZPp U;k;ky;] mPp U;k;ky; vkSj U;kf;d lfØ;rk

8-1 vf/kxe mn~ns”; **(Learning Objectives)**

8-2- izLrkouk **(Introduction)**

8-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

8-3-1- lokZPp U;k;ky; dh jpuk **(Composition of the Supreme Court)**

8-3-2- U;k;k/kh”kksa dh fu;qfDr **(Appointment of Judges)**

8-3-3- jkT; esa lokZPp U;k;ky; dk egÙo **(Importance of Supreme Court in a Federal State)**

8-3-4- lokZPp U;k;ky; dk {ks=kf/kdkj ,oa Hkwfedk **(Role and Jurisdiction of the Supreme Court)**

8-3-5- mPp U;k;ky; **(High Court)**

8-3-6- उच्च न्यायालय की भाक्तियाँ **(Powers of the High Court)**

8-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

8-4-1 Hkkjr esa U;kf;d iqufuZjh{k.k **(Judicial Review in India)** d

8-4-2- Hkkjr esa U;kf;d iqufuZjh{k.k dk vk/kkj **(Basis of Judicial Review in India)**

8-4-3- U;kf;d iqufuZjh{k.k dh mi;ksfxrk **(Utility of Judical Review)**

8-4-4 ykdiky vkSj ykdk;qDr vf/kfu;e ¼2013½ dh eq[; fo”ेशताएं **(The Salient Features of the Lokpal and Lokayuktas Act (2013)**

8-4-5- lqizhe dksVZ vkSj bldh lajpuk **(Supreme Court and its Composition)**

8-5- viuh izxfr tkapsa **(Check your progress)**

8-6- lkjka”k **(Summary)**

8-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

8-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz”u **(Self Assessment Questions)**

8-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

8-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf”kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

8-1 vf/kxe mnn”; (Learning Objectives)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयो का अध्ययन करेंगे :–

- सर्वोच्च न्यायालय की रचना का अध्ययन
- सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का अध्ययन
- उच्च न्यायालयों की रचना का अध्ययन
- उच्च न्यायालयों के कार्यों का अध्ययन
- न्यायिक पुनर्निरिक्षण का अध्ययन

8-2- iLrkouk (Introduction)

लोकतान्त्रिक राज्य में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालय का अत्याधिक महत्व होता है। भारत में संघीय शासन–प्रणाली होने के कारण न्यायपालिका का महत्व और भी अधिक है। ऐसी शासन–प्रणाली के अधीन शासन की शक्तियों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनके सम्बन्ध में कानून बनाने तथा प्र”ाासन चलाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथों में होता है और स्थानीय विषयों का प्रबन्ध संघ की इकाइयों (राज्यों) के हाथों में सौंप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संविधान की व्याख्या तथा केन्द्र व राज्यों के सम्बन्ध में झगड़े की सम्भावना बनी रहती हैं, जिनका निपटारा करने के लिए एक निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का होना आव”यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, जिनकी रक्षा करने अर्थात् उन्हें किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा अतिक्रमण से बचाने के लिए भी न्यायपालिका की स्थपना आव”यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई है। जी. आस्टिन के शब्दों में, ''उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः 'सामाजिक क्रान्ति के संरक्षक' (Guardian of the Revolution) का भार सौंप गया है। यह सामाजिक तथा व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। यह

दे”ा का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे दे”ा की साधारण विधियों की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल और फौजदारी के मुकद्दमों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

8-3- v/;;u d e[; fcUn (Main Points of Text)

8-3-1- lokPp U;k;ky; dh jpuk (Composition of the Supreme Court)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ में एक मुख्य न्यायाधी”ा और 7 अन्य न्यायाधी”ा होते थे। 1957 में संसद में एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधी”ा को छोड़कर बाकी न्यायाधी”ाों की संख्या 7 से 10 कर दी गई। सन् 1960 में संसद ने अन्य न्यायाधी”ाों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी, परन्तु दिसम्बर, 1977 में संसद ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधी”ाों की अधिकतम संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी”ाों की संख्या 17 से 25 कर दी गई। 21 फरवरी, 2008 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के निर्णयानुसार उच्चतम न्यायालय (न्यायधी”ाों की संख्या) अधिनियम, 1956 में सं”ाोधन कर न्यायाधी”ाों की संख्या की 25 से 30 कर दी गई। इस प्रकार अब एक मुख्य न्यायाधी”ा एवं 30 अन्य न्यायाधी”ाों के साथ कुल न्यायाधी”ाों की संख्या 31 हो गई है। वर्तमान में श्री दीपक मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”ा हैं जिन्होंने श्री जगदी”ा सिंह खेहर के 27 अगस्त, 2017 को सेवानिवृत्त होने के प”चात् 28 अगस्त, 2017 को 45वें मुख्य न्यायाधी”ा के रूप में अपना कार्यभार संभाला। मुख्य न्यायाधी”ा के रूप में न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्तूबर, 2018 तक रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में काम की अधिकता होने पर तदर्थ न्यायाधी”ाों (Adhoc Judges) की नियुक्ति भी की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधी”ाों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधी”ा द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधी”ा के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधी”ा पद पर नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। तदर्थ न्यायाधी”ाों (Adhoc Judges) को भी वही वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो अन्य न्यायाधी”ाों को मिलते हैं। आव”यकता पड़ने पर किसी सेवा–निवृत्त (Retired) न्यायाधी”ा को काम करने के लिए भी कहा जा सकता है।

8-3-2- U;k;k/kh”kk dh fu;fDr (Appointment of Judges)

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा और अन्य न्यायाधी"ाों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परन्तु ऐसा करते समय राष्ट्रपति केवल स्वेच्छा से काम नहीं लेता। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायधी"ाों और उच्च न्यायालयों के न्यायधी"ाों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधी"ा से पराम"ा अव"य लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधी"ा के पराम"ा को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक सन्दर्भ जुलाई, 1998 में उच्चतम न्यायालय को भेजा गया। इस सन्दर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 अक्तूबर, 1998 को दिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधी"ाों की नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधी"ा से प्राप्त पराम"ा के आधार पर होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा द्वारा इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को पराम"ा देने से पूर्व 'चार वरिष्ठतम न्यायधी"ाों के समूह' से पराम"ा किया जाएगा और इसी पराम"ा के आधार पर मुख्य न्यायधी"ा राष्ट्रपति को पराम"ा देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि, ''वरिष्ठतम न्यायधी"ाों के समूह को एक मत से सिफारि"ा करनी चाहिए। जब तक न्यायधी"ाों के समूह की राय मुख्य न्यायधी"ा के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायधी"ा द्वारा राष्ट्रपति को कोई सिफारि"ा नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायधी"ा द्वारा न्यायधी"ाों से सिफारि"ा लिखित रूप में ली जानी चाहिए।''

U;k;/kh"kk dh ;kX;rk,¡ (Qualification of the judges) – संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में न्यायधी"ा के रूप में नियुक्ति की योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी"ा के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह निम्नलिखित योग्यताएँ पूर्ण करेगा –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायधी"ा रह चुका हो।

   अथवा

   वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा

वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई प्रसिद्ध विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

U;k;/kh”kksa dh vof/k **(Tenure of the judges)** – उच्चतम न्यायालय के न्यायधी”ा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष की आयु के प”चात् उन्हें पद से अवका”ा दिया जाता है। संसद न्यायधी”ाों की अवका”ा–प्राप्ति की आयु बढ़ा भी सकती है। रिटायर होने के प”चात् उन्हें पें”ान (Pension) दी जाती है। इससे पहले भी वे स्वयं त्याग–पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी”ाों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु या नि”चत पदावधि निर्धारित नहीं की गई है।

U;k;/kh”kksa dks gVk;k tkuk (Removal of Judges) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (4) तथा न्यायधी”ा जाँच अधिनियम, 1968 के संयुक्त प्रभाव के अनुसार न्यायधी”ा को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार न्यायधी”ा को दो आधारों – साबित कदाचारएवं अयोग्यता / असमर्थता (Proved Misbehaviour or Incapacity) के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसके अनुसार लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को सम्बन्धित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव की जाँच–पड़ताल तीन व्यक्तियों की समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में दो उच्चतम न्यायालय के न्यायधी”ा एवं एक अन्य प्रसिद्ध विधिवेता होता है। यदि यह समिति न्यायधी”ा के विरुद्ध लगाए गए दोषों को सही मानती है तो इस समिति के प्रतिवेदन के साथ सम्बन्धित सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। यदि ऐसा प्रस्ताव प्रत्येक सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में उस सदन की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की दो–तिहाई बहुमत संख्या से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तत्प”चात् राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति या आदे”ा करने से न्यायधी”ा को पद से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद द्वारा किसी न्यायधी”ा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए बिना राष्ट्रपति किसी न्यायधी”ा को पद से हटाने सम्बन्धी आदे”ा जारी नहीं कर सकता। आज तक स्वतन्त्र भारत के इतिहास में न्यायधी”ा जी0 रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव (10 व 11 मई, 1992) लाया गया था जो संसद में

आव"यक बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी"ाों को हटाने का इतना कठिन तरीका इसलिए अपनाया गया है ताकि न्यायधी"ा निष्पक्षता से और निडर होकर कार्य कर सकें।

oru ,o HkÙk (Salary and Allowances) – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधी"ा को 2,80,000 रुपए मासिक तथा अन्य न्यायधी"ाों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उन्हें रहने के लिए नि:"ुल्क मकान मिलता है तथा कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी"ाों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से मिलते हैं जो संसद के मतदान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उनके कार्यकाल में उनके वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती, परन्तु अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत वित्तीय संकट की घोषणा के बाद राष्ट्रपति उनके वेतन में कमी करने का आदे"ा दे सकता है।

lok&fuoÙk gku ij odkyr ij ifrcU/k (Prohibition of practice after retirement) – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी"ाों पर रिटायर होने के बाद वकालत करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि वे बाद में वकालत करते समय अपने सहयोगी न्यायधी"ाों को प्रभावित न कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिटायर न्यायधी"ाों से कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। उन्हें वि"ोष कार्य सौंपा जा सकता है। जैसे किसी आयोग में नियुक्ति की जा सकती है या फिर किसी दे"ा में राजदूत बनाकर भेज जा सकता है या और किसी पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

iFkd LFkkiuk 0;oLFkk (Separate Establishment) – संविधान के अनुच्छेद 146 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अलग व्यवस्था है। उसके अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा–व्यवस्था से सम्बन्धित नियम तथा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधी"ा नि"चत करता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के प्र"ाासकीय खर्चे दे"ा की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संसद अथवा किसी अन्य संस्था के नियंत्रण से मुक्त है और इसकी स्वतन्त्रता सुरक्षित है।

पद और गोपनीयता की भापथ (Oath and Secrecy of Office) – प्रत्येक वह व्यक्ति, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा अथवा अन्य न्यायाधी"ाों के पद पर नियुक्त किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार अपना पद ग्रहण

करने के समय राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने शपथ लेता है, जो इस प्रकार है – ''मैं ……… (नाम) …… जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधी"ा (अथवा न्यायधी"ा) नियुक्त हुआ हूँ, ई"वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मकैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा हर प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।''

lokPp U;k;ky; d fu.k; (Decisions of the Supreme Court) – किसी विषय से सम्बन्धित राष्ट्रपति को कानूनी पराम"र् देने के लिए 5 न्यायधी"ाों की खण्डपीठ (मुकदद्मे की सुनवाई करने वाला न्यायालय) होना अनिवार्य है। शेष मुकद्दमों में अपील सुनने के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार कम से कम न्यायधी"ाों का होना आव"यक है। सभी मुकद्दमों का निर्णय मुकद्दमा सुनने वाले न्यायधी"ाों के बहुमत से किया जाता है। जो न्यायधी"ा बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते, वे अपनी असहमति तथा उसके कारण, निर्णय के साथ लिखवा सकते हैं।

U;k;/kh"kk dh Lor=rk,i (Immunities of Judges) – न्यायधी"ाों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए न्यायधी"ाों के सभी न्याय–सम्बन्धी कार्यों तथा निर्णयों को आलोचना से मुक्त रखा गया है। संसद भी किसी न्यायधी"ा को हटाने के प्रस्ताव पर वाद–विवाद नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायधी"ा बिना किसी भय के अपना कर्त्तव्य निभा सकें। न्यायालय के सम्मान तथा अधिकार को बनाए रखने के लिए तथा इसको आलोचना से मुक्त रखने के लिए, न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय का अपमान करने के लिए उचित कार्यवाही करने का अधिकारी (Proceeding of Contempt of Court) है।

lokPp U;k;ky; dk LFkku (Place of the Supreme Court) – सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली रखा गया है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार मुख्य न्यायधी"ा राष्ट्रपति के पराम"र् पर इसकी बैठक अन्य किसी भी स्थान पर करने का निर्णय कर सकता है।

8-3-3- jkT; e: lokPp U;k;ky; dk egÙo **(Importance of Supreme Court in a Federal State)**

वर्तमान में यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जब तक एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका नहीं होगी तब तक नागरिकों की स्वतन्त्र सुरक्षित नहीं रह सकती है और अच्छा–से–अच्छा प्र”ाासन भी सफल नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में बेकन ने ठीक ही कहा है कि विधि की क्रूरता से अधिक क्रूर और कुछ नहीं हो सकता। विधि के इस क्रूरता से नागरिकों की रक्षा करने हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायालय की स्थापना अत्यन्त आव”यक है। चान्सलर केंट ने भी लिखा है, ‘‘जहाँ कोई न्यायिक विभाग विधियों की व्याख्या करने एवं नागरिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए नहीं होता, वहाँ सरकार अपनी मूर्खता से ही समाप्त हो जाती है।’’

भारत में संघीय न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय की आव”यकता / महत्ता निम्नलिखित कारणों से हैं –

1. सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम संघीय न्यायालय (Federal Court) भी कह सकते हैं, संघात्मक सरकार का एक आव”यक अंग है। इसका एक मात्र कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा संघ और इकाइयों के मध्य अधिकार–संबंधी झगड़ों का समाधान करना है।

2. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय प्र”ाासन के तीनों विभागों पर निगरानी रखता है, ताकि एक विभाग दूसरे विभाग की सीमा का अतिक्रमण न कर सके और अपना–अपना कार्य संविधान के अनुरूप करें।

3. संघात्मक शासन के परिणामस्व भारत में सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, यदि यह अंग संविधान के विपरीत कोई आदे”ा देने का कार्य करता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है।

5. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को भी संवैधानिक मामलों में पराम”र्ा देने का कार्य करता है।

6. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जनतन्त्र का प्रहरी है। यह संविधान के लिखित स्वरूप की व्याख्या कर नागरिक–स्वतन्त्रता का मार्ग प्र”ास्त करता है।

8-4- ikB dk vkxs dk eq[; Hkkx (Further main body of the text)

8-4-1- lokZPp U;k;ky; dk {ks=kf/kdkj ,oa Hkwfedk (Role and Jurisdiction of the Supreme Court)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही विस्तृत है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (Alladi Krishna Swami Ayyar) के अनुसार, ‘‘भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वि”व के सभी संघीय न्यायालयों यहाँ तक कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक विस्तृत अधिकार दिए गए हैं।’’ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है –

1- izkjfEHkd {ks=kf/kdkj (Original Jurisdiction) & प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है – वे मुकद्दमे जो उच्चतम न्यायालय के पास सीधे ही लाए जा सकते हैं; उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आव”यकता नहीं। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को भी निम्नलिखित दो उपभागों में विभाजित किया जाता है –

d- izkjfEHkd ,dekso {ks=kf/kdkj (Origingal Exclusive Jurisdiction) – इसके अन्तर्गत वे विषय सम्मिलित हैं, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का ही एकमात्र क्षेत्राधिकार है और दे”ा के किसी भी अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को उन विषयों पर अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्याय–योग्य विवादों के निर्णय का प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है।

[k- leorhZ izkjfEHkd {ks=kf/kdkj (Concurrent Original Jurisdictioon) – इस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे विषय आते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। जैसे भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व जहाँ अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं वहाँ अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह पाँच प्रकार के लेख–बन्दी, प्रत्यक्षीकरण प्रलेख, परमादे”ा लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख एवं अधिकारपृच्छा लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है।

2- vihyh; {ks=kf/kdkj (Appellate Jurisdiction) – सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं, जिनका आरम्भ निचले न्यायालयों से होता है, परन्तु उनके निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चूंकि, सर्वोच्च न्यायालय अन्तिम अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी अन्य

न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति की अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के इन क्षेत्राधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है –

d- lo/kkfud (Cosntitutional) – संविधान के अनुच्छेद 132 के अर्न्तगत यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्र”न उलझा हुआ है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी ऐसी अपील करने की वि”ोष आज्ञा दे सकता है। यदि वह संतुष्ट हो कि मुकदमा इस प्रकार का है (अनुच्छेद 136) और राज्य का उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण–पत्र देने से इन्कार कर दे। इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक तथा अन्तिम व्याख्याता बन जाता है।

[k- nhokuh (Civil) – संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में भी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें झगड़े की रा”ा कम से कम 20 हजार रुपए या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति हो, परन्तु संविधान के 30वें सं”ाोधन द्वारा धनरा”ा की इस सीमा को हटा दिया गया है और यह नि”चत किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मुकद्दमों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण प्र”न निहित है।

x- QkStnkjh (Criminal) – संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार फौजदारी मुकद्दमों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध निर्णयों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है –

यदि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को रद्द करके उसे मृत्यु–दण्ड दे दिया गया हो।

अथवा

यदि किसी मुकद्दमे को उच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिया हो और उसने उनमें किसी अपराधी को मृत्यु–दण्ड दिया हो।

अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है, तब भी अपील की जा सकती है। ,

?k- fof"इट **(Special)** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत कहा गया है, ''साधारण कानून से भिन्न अपील–संबंधी वि"ाष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।'' इसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत–क्षेत्र के अन्तर्गत किसी निर्धारित, दंड या आदे"ा के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति प्रदान कर सकता है। लेकिन, इस असीम शक्ति का एक अपवाद यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

3- i jke"k & lEcU/kh {k=kf/kdkj **(Advisory Jurisdiction)** – संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को पराम"ाँ–सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्र"न पर उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। संविधान की व्याख्या, दे"ाी रियासतों के साथ सन्धियों की व्याख्या आदि विषयों पर भी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से उनके विचार पूछ सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पराम"ाँ को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अन्य सरकारी अग, व्यक्ति तथा न्यायालय भी उस पराम"ाँ पर चलने और उसके अनुसार अपने निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को पराम"ाँ देने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय न्यायालय के इस अधिकार की कई लेखकों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे बड़ी विचित्र समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और उच्चतम न्यायालय के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को आघात पहँच सकता है, परन्तु अधिकतर लेखकों ने उच्चतम न्यायालय के पराम"ाँ–सम्बन्धी क्षेत्राधिकार से लाभ की आ"ाा की है।

4- vfHkys[k U;k;ky; **(Court of Record)** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहीयां एवं निर्णय प्रमाण के रूप में प्रका"ात किए जाते हैं तथा दे"ा के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents) के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी न्यायालय का अपमान (Contempt of Court) करने के दोष में सजा दे सकता है। डॉ0 अम्बेडकर के शब्दों में, ''अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसमें अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो और जब उन्हें किसी न्यायालय में पे"ा किया जाए, तो उन पर कोई सन्देह न

किया जा सके। सच तो यह है कि अपमान के लिए दण्ड दे सकने की शक्ति ही इस स्थिति का एक आव"यक परिणाम है।''

5- viu fu.k; d iufufj{k.k dk vf/kdkj **(Power to Review its own Decision)** & सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें बदलने का अधिकार है। उदाहरणस्वरूप, 'सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य' नामक मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में सं"ाोधन कर सकती है। सन् 1967 में गोलकनाथ के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में सं"ाोधन नहीं कर सकती। सन् 1973 में के"ावानंद भारती के मुकद्दमे में निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में सं"ाोधन कर सकती है, परन्तु संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

8-4-2- mPp U;k;ky; **(High Court)**

भारत में एकल न्याय–व्यवस्था है, सबसे ऊँचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 231 में यह भी कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र–प्र"ाासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। सन् 1966 के पंजाब पुनर्गठन कानून के द्वारा संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्यों और चण्डीगढ़ के केन्द्र–प्र"ाासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया, जो चण्डीगढ में है। राज्यों के ये उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्याय–व्यवस्था का अंग होते हुए भी अपने आप में स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं। उनके ऊपर अपने राज्यों के विधानमण्डल या कार्यपालिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय स्थित हैं। मार्च, 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के अलग से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आने पर कुल उच्च न्यायालय की संख्या 21 से बढ़कर 24 हुई।

;kX;rk,a (Qualifications) – संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधी"ाों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं तय की गई हैं –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

3. दे"ा के किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो।

dk;Zdky (Tenure) – उच्च न्यायालय का न्यायाधी"ा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करता है। परन्तु वह इससे पूर्व स्वयं अपने पद से त्याग–पत्र देकर अलग हो सकता है। अपनी अवधि के समाप्त होने के प"चात् वह किसी स्थान पर सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता।

inP;qfr (Removal) – यदि संसद के दोनों अपने–अपने सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से और सदन की बैठक के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी उच्च न्यायालय के न्यायधी"ा को सदाचार या अयोग्यता (Misbehaviour or Incapacity) के अपराध में अपराधी ठहराए और इस विषय में राष्ट्रपति को सम्बोधित करे, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधी"ा को पद से हटा देता है।

osru (Salary) – वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी"ा को 2,50,000 रुपए तथा अन्य न्यायधी"ाों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। वित्तीय संकटकालीन की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में उनके वेतन तथा भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत लागू वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा उनके वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। न्यायधी"ाों को वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।

भापथ (Oath) – संविधान के अनुच्छेद 219 के अन्तर्गत प्रत्येक न्यायाधी"ा को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त अन्य पदाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा, अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा व संविधान तथा कानून की रक्षा करेगा।

8-4-3- उच्च न्यायालय की भाक्तियाँ (Powers of the High Court)

भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालयों को वही अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं जो कि संविधान लागू होने से पहले पूर्व उच्च न्यायालय को थे। भारतीय संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जिन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1- **न्याय सम्बन्धी भाक्तियाँ** (Judicial Powers) – न्याय सम्बन्धी शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है –

क. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

ख. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

d- i:kjfEHkd {k=kf/kdkj (Original Jurisdiction) – भारत में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित विषयों पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं –

1. नौकाधिकरण (Admiralty) इच्छा–पत्र अर्थात् वसीयत (Probate), विवाह विधि, कम्पनी विधि तथा विवाह–विच्छेद आदि के मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालयों के पास आ सकते हैं। उच्च न्यायालयों के अपमान के विषय में सभी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

2. उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर आघात होता है, तो वह नागरिक सीधा सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दे सकता है अथवा उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय कई लेखों (Writ); जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corups), परमादे"ान लेख (Writ of Mandamus), प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition), उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari), अधिकार–पृच्छा लेख (Write of Quo-Warranto) के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इन लेखों (Writs) को जारी करने का अधिकार अन्य सब कार्यों के लिए भी है।

[k- vihyh; {k=kf/kdkj (Appellate Jurisdiction) – सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1- nhokuh (Civil) – दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में कोई भी अपील होगी या दूसरी अपील। पहली अपील का अर्थ यह है कि जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसा तभी हो सकता है जब उस मुकदमें में कानून का कोई गहरा प्र"न उलझा हुआ हो। दूसरी अपील, जब एक अपील जिले का न्यायालय सुन चुका हो तो उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है, परन्तु उसमें कोई कानूनी प्र"न उलझा होना चाहिए। उच्च न्यायालय में पहली तथा दूसरी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यदि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधी"ा ने अपील सुनी है तो उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में फिर अपील हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई न्यायाधी"ा अपील सुनते हैं।

2- QkStnkjh (Criminal) – फौजदारी मुकद्दमों में निम्नलिखित मामलों में निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है –

1. यदि सै”ान जज ने किसी अपराधी को मृत्यु–दण्ड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय से होनी चाहिए। वह अपराधी स्वयं भी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना अपराधी को फाँसी या मृत्यु–दण्ड नहीं दिया जा सकता।

2. यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इसे अधिक की कारावास की सजा दी हो।

3. किसी प्रेसडेन्सी मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

4. उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील प्रत्येक मुकद्दमे में नहीं हो सकती। कानूनानुसार जिन अभियोगों में अपील की जा सकती है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि सम्बन्धित उच्च न्यायालय (High Court) अपील करने की आज्ञा दे। उच्च न्यायालयाउें की आज्ञा के बिना उसके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा के अनुसार भी किसी मुकद्दमें सम्बन्धी अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत वि”ोष अपील करने की आज्ञा दे सकता है।

2- **i!”ासन सम्बन्धी भाक्तियाँ** (Administrative Powers) – उच्च न्यायालय के न्याय सम्बन्धी अधिकारों के अलावा कुछ प्र”ासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त है; जेसे –

1. वह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कागजों को मँगवाकर उनकी जांच–पड़ताल कर सकता है।

2. उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह यह देखे कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता तथा अपने कर्त्तव्यों का निि”चत विधि के अनुसार ही पालन करता है।

3. किसी मुकदमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय लेने के लिएदूसरे न्यायालय में भेंज सकता है।

4. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के शेरिफ, क्लर्क, वकील तथा अन्य कर्मचारियों की फीस निि”चत करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ

न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, अवनति, उन्नति और छुट्टी के बारे में नियम बनाता है।

5. यदि किसी न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्र"न पैदा होता है तो उच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाकर निर्णय दे सकता है।

6. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य–पद्धति, रिकार्ड, रजिस्टर बना सकता है तथा हिसाब–किताब देख सकता है।

3- **न्यायिक पुनर्निरीक्षण की भाक्तियाँ** (Powers of Judicial Review) – भारत में संघीय संविधान होने के कारण संविधान सर्वोच्च है। इसकी व्याख्या करने तथा रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्यों के उच्च न्यायालय को भी संसद एवं राज्य की विधानपालिका के कानूनों तथा कार्यपालिका की आज्ञाओं की वैधानिकता की जाँच करते हैं तथा संविधान के अनुकूल न होने पर उन्हें अवैध कर सकते हैं। इसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार कहते हैं। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

{k=kf/kdkj dk foLrkj (Expansion of Jurisdiction) – संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केन्द्र–"ाासित क्षेत्र (Union Territory) को शामिल कर सकता है या उसके क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल सकता है।

vHkys[k U;k;ky; (Court of Record) – राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के सभी निर्णय एवं कार्यवाहीयां प्रमाण के रूप में प्रका"ात किए जाते हैं जिन्हें सम्बद्ध राज्य के अन्य सभी न्यायालयों में स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ यह उल्ल्खनीय है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत तो किया जा सकता है परन्तु उनकी स्वीकृति अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है।

8-4-4 Hkkjr esa U;kf;d iquZfujh{k.k **(Judicial Review in India)**

भारत में इंग्लैण्ड की तरह संसदीय सरकार को अपनाया गया है, लेकिन भारत में इंग्लैण्ड की तरह संसद सर्वोच्च नहीं है। इंग्लैण्ड में संसद की सर्वोच्चता है और संसद द्वारा निर्मित कानून को कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत के संविधान निर्माता संसद को इस प्रकार की कोई शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे, जिससे वह एक ताना”ााह बन सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने संसद को शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे, जिससे वह एक ताना”ााह बन सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने संसद को शक्तियां भी दीं और उन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया।

U;kf;d iqufuZjh{k.k dk vFkZ **(Meaning of Judicial Review)** – संविधान की व्याख्या करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का नाम दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका को विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदे”ाों की जाँच करने का अधिकार है। यदि न्यायपालिका यह समझे कि अमुक कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे अवैध (असंवैधानिक) घोषित कर देगी। इसे रद्द करने की शक्ति को या अवैध घोषित करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इसी प्रकार की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून को जो संविधान के विरुद्ध हो, अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के किसी भी संविधान विरुद्ध आदे”ा को अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”ा मा”ाल (Chief Justice Marshall) इस शक्ति के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके अनुसार, ‘‘न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा न्यायालय अपने समक्ष लाए गए कानूनों और कार्यकारी या प्र”ाासकीय कार्य सम्बन्धी यह निर्णय करते हैं कि वे लिखित कानून अर्थात् संविधान द्वारा वर्जित किए गए हैं अथवा नहीं या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों की अवहेलना तो नहीं करते।’’

8-4-5- Hkkjr esa U;kf;d iqufuZjh{k.k dk vk/kkj **(Basis of Judicial Review in India)**

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्निरीक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 141 में केवल यह कहा गया है, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित सभी

न्यायालयों के लिए बाध्य होंगे।'' इस प्रकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति के सम्बन्ध में भारत के संविधान–निर्माताओं ने अमेरिकी पद्धति का ही अनुकरण किया है, क्योंकि उसके संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसकी शक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति का पठन संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर करें तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की सर्वोच्च सम्बन्धी शक्ति स्पष्ट हो जाएगी। ये अनुच्छेद निम्नलिखित हैं –

1- vuPNsn 13 (Article 13) – अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने से पहले जो कानून इस दे”ा में लाूग हैं, वे मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित तीसरे भाग में की गई व्यवस्था से मेल न खाने पर या भविष्य में इनका उल्लंघन करके बनने वाले कानून उस सीमा तक रद्द हो जांएगे। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी वैधता की जाँच करके उन्हें रद्द कर सकेगा।

2- vuPNsn 32 (Article 32) – अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख न होने की जो अस्पष्टता थी, उसे अनुच्छेद 32 में दूर कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दे”ा के सभी नागरिकों को ''इस भाग (मौलिक अधिकारी सम्बन्धी भाग तीन) के द्वारा, उन्हें दिए गए सभी अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर समुचित कार्यवाही करने की गारन्टी दी जाती है।'' इसका अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है और राज्य ने अगर अनुच्छेद 13 में की गई व्यवस्था के विपरीत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कानून बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है।

3- vuPNsn 131 vk\j 132 (Article 131 and 132) – इन अनुच्छेदों ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अन्तिम व्याख्या करने की शक्ति दे रखी है। सर्वोच्च न्यायालय इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत ही संविधान का संरक्षण करता है।

4- vuPNsn 226 (Article 226) – इस अनुच्छेद ने राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए पाँच तरह के महत्वपूर्ण आदे”ा या लेख (Writs) जारी करने की शक्ति दी है जबकि सर्वोच्च न्यायालय को इन आदे”ाों को लागू करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 (2) में दे रखा है। ये आदे”ा (Writs) निम्नलिखित प्रकार से हैं –

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादे”ा, प्रतिषेध, अधिकार–पृच्छा, उत्प्रे'ाण।

5- vuPNsn 246 (Article 246) – इस अनुच्छेद ने केन्द्र औनर राज्य सरकारों के अधिकार–क्षेत्र का स्पष्ट वर्णन संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List), समवर्ती सूची (Concurrent List) और अवf”ाष्ट अधिकार (Residuary Powers) के अन्तर्गत करके उन्हें अपने–अपने दायरे में कानून आदि बनाने की शक्ति दी है। इसका अर्थ यह है कि यदि वे इन सीमाओं के बाहर जाकर कानून बनाएंगे तो वह कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

6- 39ok l”kk/ku (39th Amendment) – 39वें सं”ाोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के निर्वाचन के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय याचिका नहीं सुन सकता परन्तु फिर जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के प”चात् जुलाई 1978 में 44वें सं”ाोधन द्वारा, 39वें सं”ाोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त करके सर्वोच्च न्यायालय को फिर से यह अधिकार दे दिया गया है कि वह राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के चुनाव सम्बन्धी मामलों में याचिका सुन सकता है।

7- 43ok l”kk/ku (43rd Amendment) – 1976 में 42वें संवैधानिक सं”ाोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्निरीक्षण के अधिकार को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया था। संविधान के किसी सं”ाोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी लेकिन 43वें सं”ाोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र में वही स्थिति कायम हो गई है, जो 42वें सं”ाोधन से पूर्व थी।

8-4-6- U;kf;d iqufujh{k.k dh mi;kfxrk **(Utility of Judical Review)**

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण में काफी दोष पाए जाते हैं फिर भी इसकी उपयोगिता है जो कि निम्नलिखित है –

1. सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करके दे”ा की व्यवस्था को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने में सहायता देता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग काफी सीमित किया है तथा उन्हीं कानूनों को ही रद्द किया है, जो कि संविधान के विपरीत थे।

3. वर्तमान युग में संविधान के अन्तर्गत सीमित सरकार की व्यवस्था अच्छी समझी जाती है, इसलिए कार्यपालिका और विधानपालिका की शक्ति को नियन्त्रण में रखने के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था बहुत अधिक उपयोगी मानी गई है।

4. अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता पर बल देते हुए उसे शासन का सर्वोत्तम रूप माना है। किसी भी दे”ा में उस दे”ा का संविधान सर्वोच्च कानून होता है। अतः उसके संरक्षण के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति आव”यक होती है। संविधान बनाने वालों ने इस बात को मद्देनजर रखकर ही पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की थी।

5. भारत में संघीय संविधान को अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के द्वारा संघीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के झगड़ों को सुलझाकर, उन्हें अपने–अपने वैधानिक अधिकार–क्षेत्र में कार्य करने के लिए विव”ा करती है तथा इसी शक्ति के द्वारा केन्द्र को प्रान्तों के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकती है।

6. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति आव”यक है। अगर विधानमण्डल का कानून तथा कार्यपालिका का आदे”ा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।

8-4-4 ykdiky vkj ykdk;Dr vf/kfu;e ¼2013½ dh e[; fo”ेशताएं इस idkj g (The Salient Features of the Lokpal and Lokayuktas Act (2013)½

- यह केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में राष्ट्रों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रदान करता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह ए,बी,सी और डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- लेकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसमें अधिकतम 8 सदस्य होते हैं जिनमें से 50 प्रति”ात न्यायिक सदस्य होंगे।
- लेकपाल के लगभग 50 प्रति”ात सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
- लेकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधी”ा या मुख्य द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी”ा शामिल होंगे। भारत के न्याय और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

- एक खोज समिति चयन की प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करेगी। खोज समिति के 50 प्रति”ात सदस्य भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
- प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ ि”ाकायतों से निपटने के लिए विषय वस्तु बहिष्करण और वि”िाष्ट प्रक्रिया के साथ लोकपाल के दायरे में लाया गया है।
- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे।
- लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई सहित किसी जांच एजेंसी पर

ykdk;Dr dh e[; fo”ोशताएं : लोकायुक्त की वि”ोषताएं निम्नलिखित है :

lajpukRed fofo/krk,i : लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में समान नहीं है। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदे”ा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने लोकायुक्त और साथ ही उपलोकायुक्त का निर्माण किया है जबकि हिमाचल प्रदे”ा, बिहार और उत्तर प्रदे”ा ने केवल लोकायुक्त बनाया है। पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्य हैं जिन्होंने लोकपाल के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। यह एआरसी रिपोर्टों के अनुसार नहीं था।

fu;fDr : लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें नियुक्त करते समय, अधिकां”ा राज्यों में राज्यपाल पराम”र्ा करते हैं :

1. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”ा
2. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

;kX;rk : उत्तर प्रदे”ा, हिमाचल प्रदे”ा, आंध्र प्रदे”ा, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में कोई वि”िाष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है।

dk;dky : अधिकां”ा राज्यों में, लोकायुक्त के लिए निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का होता है। वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है।

tkp : अधिकां”ा राज्यों में, लोकायुक्त अनुचित प्र”ाासनिक कार्रवाई के खिलाफ नागरिक से प्राप्त ि”ाकायत या स्वतः के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदे”ा, हिमाचल प्रदे”ा और असम राज्यों में अपनी पहल पर जांच करने का अधिकार नहीं है।

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के निदे"ाक के चयन की सिफारि"ा करेगी।
- यह स्पष्ट समय–सीमा निर्धारित करता है। प्रारंभिक जांच के लिए, यह तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जांच के लिए यह छह महीने का होता है जिसे एक बार में छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परीक्षण के लिए यह एक वर्ष है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए, वि"ोष अदालतें स्थापित की जानी है।
- यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा को 7 से बढ़ाकर 10 साल करता है। अधिनियम की धारा 7,8,9 और 12 के तहत न्यूनतम सजा अब तीन साल और धारा 15 (प्रयास के लिए सजा) के तहत न्यूनतम सजा अब दो साल होगी।
- सरकार द्वारा पूर्ण या आं"ाक रूप से वित्तपोषित संस्थान लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को बाहर रखा गया है।
- विदे"ाी अं"ादान विनिमय अधिनियम के संदर्भ में विदे"ाी स्त्रोत से प्रति वर्ष 10 लाख रूपये से अधिक का दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है।
- इसमें इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना के लिए एक जनादे"ा शामिल है।

लोकसेवक में भाामिल है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 में परिभाशित %

1. कोई व्यक्ति जिसमें वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के सदस्य, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।
2. इसी प्रकारा राज्य सरकार द्वारा निगमित, पंजीकृत / गठित किसी कानूनी या गैर कानूनी निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सदस्य।
3. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन गठित किसी नगरपालिका समिति या परिषद् का कोई प्रधान / उपप्रधान।

4. हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई निगम का कोई महापौर, वरिष्ठ या उप–महापौर।
5. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा या उसके अधीन गठित किसी जिला परिषद् का कोई प्रधान, उप प्रधान तथा किसी पंचायत समिति को कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष।
6. सरकारी समितियों से सम्बन्धित विधि के अधीन निगमित या पंजीकृत किसी समिति का प्रधान, उपप्रधान व प्रबन्ध निदे"ाक।
7. किसी वि"वविद्यालय का कोई कुलपति या कोई प्रति कुलपति या कुल सचिव।

- इसी प्रकार 'ि"ाकायत' से अभिप्राय है कि कोई ि"ाकायत, जिसमें किसी लोकसेवक जिनमें उच्चाधिकारी एवं समस्त कर्मचारी भी शामिल है, द्वारा किया गया कोई अभिकथन या ि"ाकायत का कृत्य अधिरोपित है। 'ि"ाकायत' का तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा दावा कि अधिकार जिसका वह हकदार है, उसे इन्कार किया जाता है या किसी लोकसेवक के कार्य की भूलचूक या किसी कृत्य द्वारा अयुक्तियुक्त विलम्बित किया गया है या कार्य जिसकी ि"ाकायत की गई है, कुप्र"ाासन की केटैगरी/श्रेणी में आता है।
- कुप्र"ाासन से अभिप्राय है, कोई कार्य जो अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण, अयुक्तियुक्त, दमनपूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या विधि द्वारा समर्पित न हो।
- 'भ्रष्टाचार' में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अथवा भ्रष्टाचार निवारण के लिये तत्समय लागू किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई कृत्य शामिल है।
- इस अधिनियम के अधीन किसी जांच पडताल, छानबीन, लोकायुक्त या उसके अमले के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना तथा किसी भी सूचना का कोई साक्ष्य गोपनीय समझा जायेगा।
- इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ कर या विद्वे"ापूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई झुठी ि"ाकायत करता है तो दो"ा सिद्धी पर ि"ाकायतकर्ता को कठोर कारावास (जो 3 वर्ष तक हो सकता है) या

जुर्माने से (जो 10 हजार रूपये तक हो सकता है) या दोनों रूप में दंडित किया जायेगा।

भ्रष्टाचार फैलाने में समाज का हर वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी ने इसे अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु पोषित किया है जोकि कडवा सच है। लोकायुक्त जैसी बेहतर महत्वपूर्ण व्यवस्था होने के साथ–साथ समाज के सभी वर्गो से संवाद, विचार एवं परिचर्चा के आधार पर स्थायी नैतिक मूल्यों के प्रति, पुनर्वि"वास जागृत करना होगा। राजनैतिक इच्छा–"ाक्ति को जनमत से तैयार करना होगा। जब आम व्यक्ति प्र"ाासनिक कुरीतियों को दूर करने के लिये संकल्प लेगा और अपना रचनात्मक सहयोग देगा तभी से संस्थाएं मजबूत होंगी। आप भी दे"ा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाये और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएं।

लोकायुक्त का कार्यक्षेत्र एवं भाक्तियां

भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत एवं पारद"र्ाी बनाने के लिए समय–समय पर हमारे प्र"ाासन एवं सरकारों ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये है। इन्हीं प्रयासों की कडी को और मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने अपने एक अभूतपूर्व फैसले में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की है, जो न केवल भ्रष्टाचार पर अंकु"ा लगायेगा बल्कि लोकसेवकों की स्वेच्छाचारिता पर भी लगाम कसेगा।

''दि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002'' राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ और जस्टिस श्री प्रीतमपाल (पूर्व जज पंजाब एवम् हरियाणा हाई कोर्ट) 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के नये लोकायुक्त नियुक्त किये गये है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकु"ा लगाने की जो मुहिम सरकार ने शुरू की है उसे और तेजी प्रदान की जा सके।

1. लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति

लोकायुक्त से अभिप्राय है, धारा–3 के अधीन 'दि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002' के अन्तर्गत प्रावधान है कि ऐसे लोकसेवक जो स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनाव"यक या लाभ पंहुचाने या पक्षपात करने के लिये अथवा किसी व्यक्ति को अनाव"यक कष्ट या क्षति पंहुचाने के लिये इस रूप में अपनी हैसियत का जानबूझ कर या साभिप्राय दुरूपयोग किया, ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार का दोषी है, ईमानदारी में कमी है या अपनी आय के स्त्रोतों से असंगत आर्थिक साधन या सम्पति

लोकसेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारण की गई है, ऐसे व्यक्ति इस दायरे में आते है।

8-4-5- l|ihe dkV vkj bldh l|jpuk **(Supreme Court and its Composition)**

भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पहचान प्राप्त करने के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व 'चैंबर ऑफ प्रिंसेस' ही भारत की फेड्रेल न्यायिक व्यवस्था का कार्य देखते थे। 1958 तक सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक कार्यालय भी चेम्बर ऑफ प्रिंसेस का दफ्तर ही होता था। लेकिन 1958 के बाद सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान भवन में स्ठांतरित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के गठन होने के बाद इसके द्वार अब तक लगभग 24000 से अधिक के फैसले लिए जा चुके हैं।

दे"ा के सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य व सात न्यायाधी"ाों के रूप में किया गया था। लेकिन समय के साथ न्यायालय के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ ही यह पीट समय पर सभी मामलों को निपटाने में समर्थ नहीं रही। परिणामस्वरूप न्यायालय में न्यायधी"ाों की संख्या में भी वृद्धि की जाने लगी। 1950 में प्रांरभिक संख्या स्त्रोत से बढकर 1956 में 111960 में 141978 वर्ष में 181986 में 26 और इसे बढाकर 2008 में 31 न्यायधी"ाों की कर दी गई। इसके साथ ही यह न्यायधी"ा छोटी खंडपीठों के रूप में भी निर्णय लेते है। कुछ ऐसे केस जिनमें कानून के मूल प्र"नों की विस्तृत व्याख्या करनी हो तब संवैधानिक पीठ के रूप में पाँच या इससे अधिक न्यायधी"ा यह काम करते हैं। अगर किसी कानूनी मामले में छोटी पीठ उसे सुलझाने में असमर्थ रहती है त बवह उसे बडी पीठ के पास विचार करने के लिए भेज सकती है।

vihy ij l|uokb : भारत में सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायलयों में सबसे ऊंची संस्था मानी जाती है। अन्य कोर्ट में जिन मामलों में संविधान की व्याख्या की जरूरत होती है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर निर्णय देती है। सिविल एवं आपराधिक मामलों के संबंध में भी यदि संविधान संबंधी किसी प्र"न उठने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर उसका निर्णय हो सकता है।

ijke"k nkrk : सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस किसी भी मामले में सलाह देने का माना जाता है जो दे"ा के राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाता है। यह मामला वैधानिक या सार्वजनिक महत्व से संबंधित हो सकता है।

lfo/kku dk lj{kd : संविधान द्वारा निर्मित सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य दो प्रकार से किया जाता है। एक तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय के रूप में उन मामलों में जहां केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बँटवारे से संबंधित कोई विवाद हो, और दूसरा भारत के प्रत्यके नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रक्षक के रूप में कार्य करता है।

इन कार्यों को करते समय कभी–कभी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू किए कानूनों की समीक्षा करने की भी जरूरत हो सकती है।

;kfpdk lc/kh dk;Z : संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट याचिका भी जारी करने का अधिकार रखती है।

fofHkUu dk;l : उपरोक्त कार्यों के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में भारत का सुप्रीम कोर्ट निम्न प्रकार के विभिन्न कार्य निर्दे"ात किए गए है :

1. अपने अधीनस्थ न्यायलयों के कार्यों की जांच करना।
2. अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति व विभिन्न प्रकार की सेवा संबंधी नियम व शर्तों के साथ उन कर्मचारियों की पदोन्नति या पद से हटाने संबंधी कार्य
3. यदि कोई व्यक्ति न्यायलय की अवहेलना या अवमानना करता है तब उसे दंड देने का कार्य।
4. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ अन्य विभिन्न पदाधिकारियों के चयन में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तब उसमें निर्णय लेने का कार्य।
5. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों के गलत व्यवहार की जांच करना।

अंत में कहा जा सकता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से दे"ा में कानून एवं व्यवस्था को भली प्रकार से लागू करना होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की भाक्तियाँ

vnkyr dh voekuuk (सिविल या आपराधिक) के लिए 6 महीने की साधारण कारावास या 2000 तक जुर्माना के साथ दंडित करने की शक्ति। नागरिक अवमानना का अर्थ है किसी भी निर्णय के प्रति अवज्ञा।

आपराधिक अवमानना का अर्थ है किसी भी कार्य को करना जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप का कारण बनता है।

lokZPp U;k;ky; ;k mPp U;k;ky; के सेवानिवृत न्यायाधी”ाों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 CJI किसी भी समय राष्ट्रपति की पिछली सहमति से और ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है।

जो किसी व्यक्ति को पहले अनुसूचित जाति के न्यायाधी”ा के पद पर नियुक्त कर सकता हैं।

dk;Zokgd eq[; U;k;k/kh”k dh fu;qfDr अनुच्छेद 126 जब CJI का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधी”ा अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधी”ा की नियुक्ति कर सकता है।

iqujh{k.k {ks=kf/kdkj: पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 137 को किसी भी गलती या त्रुटि को दूर करने के उद्दे”य से किसी भी निर्णय या आदे”ा की समीक्षा करने का अधिकार है, जो निर्णय या आदे”ा में रद्द हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट मूल्य के हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

lokZPp U;k;ky; ds U;k;k/kh”k dks gVkuk

mPpre U;k;ky; के एक न्यायाधी”ा को गलत व्यवहार या न्यायाधी”ा की अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कुल सदस्यता और बहुमत के दो–तिहाई के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।

इसलिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक दे”ा को न्यायपालिका की आव”यकता है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य उचित जांच और संतुलन के बिना अपनी प्रमुखता खो देते हैं।

lqizhe dksVZ dk vf/kdkj {ks= vkSj dk;Z :

भारत के सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्रों और कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124–147 में किया गया है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट, दे”ा की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था का प्रतिरूप है जिसका मुख्य कार्य राज्य और केंद्र शासित प्रदे”ाों के हाई कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसलों के विरूद्ध अपील सुनकर निर्णय देना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न

राज्यों के मध्य हुए विवादों या मौलिक अधिकारों व मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुडी हुई अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही सुना जाता है। विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:

l?kh; U;k;ky; : गणराज्य रूप में भारत के प्र”ाासन तंत्र को राज्य व केंद्रीय शासित राज्यों के रूप में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य यह देखना है कि राज्य व केंद्र शासित राज्यों में लिए जाने वाले निर्णय विधिनुसार लिए जा रहे हैं।

lfo/kku o dkuu dh 0;k[;k : सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या करना एक मुख्य कार्य माना जाता है। इस व्याख्या का उपयोग किसी विधि सम्मत मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

8-5- viuh ixfr tkp (Check your progress)

1. वर्तमान समय तक कितने संविधान में कितने सं”ाोधन विधेयक पे”ा किए जा चुके हैं?
2. संविधान में कुल कितने भाग हैं?
3. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है?
4. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायधी”ा हैं?

8-6- lkjk”k (Summary)

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि अमेरिका में लेकिन फिर भी यह सर्वोच्च न्यायालय की विधानमण्डल और कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने वाला एक मात्र साधन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए समय–समय पर निर्णय देकर सराहनीय भूमिका निभाई है। के”ावानन्द भारती तथा मिनर्वा मिल्ज जैसे मुकद्दमों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाई है।

इसलिए सुप्रसिद्ध विद्वान् जी0एन0 जो”ाी (G.N. Joshi) का कहना है, ‘‘संघ सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने लिए निर्धारित कार्य–क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या नहीं, मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य पर लगाए प्रतिबन्धों का पालन होता है या नहीं तथा कानून व सरकार के कार्यों की संवैधानिकता के सम्बन्ध में निर्णय करना न्यायालयों का

आव”यक कर्त्तव्य है। ..... अतः कानून की सर्वोच्चता या कानून के शासन को बनाए रखना न्यायालयों की शक्ति भी है और दायित्व भी।'' संविधान के अनुच्छेदों की दृष्टि से कोई कानून न्यायसंगत है या नहीं, इसका अन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। न्यायाधी”ा मुखर्जी के अनुसार ''जहाँ विधि निर्माण की कोई सीमा निि"चत है, वहाँ कोई ि"ाकायत होने पर इस न्यायालय को इस बात की छानबीन करनी होगी और इस बात का पक्का पता करना होगा कि इस प्रकार की सीमा का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ और यदि कोई उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय साहसपूर्वक इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा, क्योंकि यह न्यायालय संविधान का पालन कराने के लिए शपथबद्ध है।''

8-7- सूचक भाब्द (Key Words)

ikjfEHkd vf/kdkj & इस अधिकार के अन्तर्गत के विषय आते है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है।

nhokuh vf/kdkj & दीवानी अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उनका न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

vihyh; vf/kdkj & सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका प्रारूप निचली न्यायालयों से होता है, परन्तु उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Qkstnkjh vf/kdkj & फौजदारी अधिकारों में उन मामलों को शामिल किया जाता है जिसके तहत किसी अपराधी को उम्र कैद या मृत्यु दण्ड दिया गया हो, उनके विरुद्ध ि"ाकायतें सिधे सर्वोच्च न्यायालयों में हो सकती है।

vfHkys[k U;k;ky; & सर्वोच्च न्यायालय में सभी निर्णयों को प्रकाि"ात करके भविष्य के लिए रखा जाता है और इनके न्याय सभी उच्च न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं इसलिए इनको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है।

8-8- Lo; eY;kdu gr i”u (Self Assessment Questions)

Q.1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

Q.2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार व स्थिति की विवेचना करें।

Q.3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से संविधान की रक्षा करता है।

Q.4. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

Q.5. उच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए ?

Q.6. राज्य के उच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

Q.7. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए।

8-9- viuh izxfr dh tkp djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

1. 126
2. 22
3. 65 वर्ष
4. अनुच्छेद 124 में
5. 33

8-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf”kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

1. राजनीतिक सिद्धान्त; ज्योति बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
2. A History of Political Thought, PHI Learning Private Limite, New Delhi.
3. Political Theory, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.
4. Indian Political thought, Person Education, New Delhi.

Subject : jktuhfrd foKku	
Course Code **: BA101**	Author **: Dr. Deepak**
Lesson No. **: 9**	Vetter **:**
vkj-Vh-vkbZ- % bldh fo"ोशताएं और प्रक्रियाएं, लोकपाल और ykdk;qDr	

v/;k; & 9 vkj-Vh-vkbZ- % bldh fo"ोशताएं और प्रक्रियाएं, ykdiky vkj ykdk;qDr

9-1 vf/kxe mn~ns"; **(Learning Objectives)**

9-2- izLrkouk **(Introduction)**

9-3- v/;;u ds eq[; fcUnq **(Main Points of Text)**

9-3-1- lwpuk ds vf/kdkj dh fo"ोशता **(Features of Right to Information)**

9-3-2- lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds vUrxZr vkus okys laxBu **(Organizations under Right to Information Act, 2005)**

9-3-3- lwpuk dk vf/kdkj gsrq vkosnu izfØ;k **(Application procedure for right to information)**

9-3-4- lwpuk dk vf/kdkj esa ykijokgh gsrq nUMfo/kku **(Penalty for negligence in right to information)**

9-3-5- vkjVhvkbZ vf/kfu;e ds mn~ns"; **(Objectives of RTI Act)**

9-4- ikB ds vkxs dk eq[; Hkkx **(Further main body of the text)**

9-4-1- lwpuk feyus dh r; lhek **(Information Getting Time Limitation)**

9-4-2- vf/kfu;e ds eq[; izko/kku **(Main Provisions of the Act)**

9-4-3- Hkkjr esa ykdiky rFkk ykdk;qDr **(Lokpal and Lokayukta in India)**

9-4-4- ykdiky ,oa ykdk;qDr ¼la"kks/ku½ fo/ks;d] 2016 **(Lokpal and Lokayukta (Amendment) Bill, 2016)**

9-4-5- लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं भाक्तियाँ **(Jurisdiction and Powers of Lokpal)**

9-4-6- orZeku ykdiky laLFkk dh fLFkfr **(Current Status of Lokpal Institution)**

9-5- viuh izxfr tkpsa **(Check your progress)**

9-6- lkjka"k **(Summary)**

9-7- सूचक भाब्द **(Key Words)**

9-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz"u **(Self Assessment Questions)**

9-9- viuh izxfr dh tkp djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

9-10- lUnHkZ xzUFk@funsZf"kr iqLrdsa **(References/Suggested Reading)**

9-1 vf/kxe mnn”; **(Learning Objectives)**

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयो के बारे में अध्ययन करेंगे :–

- सूचना के अधिकार का अध्ययन
- सूचना के अधिकार की वि”ोषताओं की जानकारी
- सूचना के अधिकार की प्रक्रिया का अध्ययन
- लोकपाल एवं लोकायुक्त का अध्ययन
- लोकपाल की शक्तियों का अध्ययन

9-2- iLrkouk **(Introduction)**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Right to Information Act, 2005 (RTI) को 12 अक्टूबर 2005 को लागु किया गया था। सूचना का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के समानांतर रखा गया है। इस अधिनियम के लागु होने से पूर्व भारतीय नागरिकों को सरकार के कार्यक्रमों की कोई विस्तृत जानकारी नहीं होती थी। जिस कारण भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि लोग सरकार के किसी भी कार्य का लेखा–जोखा नहीं जुटा पाते थे। जिस कारण सरकार और नागरिकों के मध्य अपारद”िाता का विस्तार हो रहा था।

अतः भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु एवं जनता के समक्ष सरकार के कार्यों में पारद”िाता लाने एवं आम नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने हेतु 2005 में इस अधिनियम को लागु किया गया। जो वर्तमान में पूरे भारत में लागु है। इस अधिकार के लागु होने के प”चात् भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया। जिससे वह जब चाहें, जहाँ चाहे, जिस क्षेत्र में चाहें सरकार के किसी भी कार्य का पूर्ण लेखा–जोखा प्राप्त कर सकते हैं।

9-3- v/;;u d e[; fcUn **(Main Points of Text)**

9-3-1- lpuk d vf/kdkj dh fo”ोशता **(Features of Right to Information)**

यह सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी क्षेत्र एंव कार्य से सम्बन्धित सूचना जब चाहें सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) भ्रष्टाचार पर अंकु”ा लगाने के साथ–साथ जनता का सरकार के प्रति वि”वास भी जाग्रत करता है।

यह सरकार के समस्त कार्यों में पारद”र्िता लाने का कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का लाभ समस्त नागरिकों को मिले इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले नागरिकों हेतु इसे निः”ाुल्क रखा गया हैं। यह आर.टी.आई. पत्र लिखने और उसको जमा करने हेतु नागरिकों की सहायता करता है।

यह नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह जीवन और आजादी के मामलों से सम्बन्धित किसी भी सूचना को 48 घण्टे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा के अन्य मामलों में सूचना प्राप्त करने हेतु उन्हें 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करवाना सुनि”चत किया गया है। समय सीमा से पहले सूचना नहीं देने पर जुर्माने के तौर पर आवेदनकर्ता को निः”ाुल्क सूचना प्रदान करवाई जाती है।

9-3-2- lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 d vrxr vku oky lxBu (Organizations under Right to Information Act, 2005)

- लोक प्राधिकरण
- सरकार द्वारा स्वपोषित निजी निकाय

9-3-3- lpuk dk vf/kdkj grq vkonu izfØ;k (Application procedure for right to information) –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह लिखित पत्र के माध्यम से या फिर प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रचलित फॉर्म या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता हैं। इसके अंतर्गत वह जिस कार्यालय या विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना चाहता है। उसे उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को पत्र भेजना होता है।

9-3-4- lpuk dk vf/kdkj e ykijokgh grq nMfo/kku (Penalty for negligence in right to information) & अगर आप किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और निर्धारित समय सीमा (जीवन और आजादी से सम्बन्धित मामलों में 48 घण्टे, अन्य मामलों में 30 दिनों के भीतर) के प”चात् भी वह अधिकारी आपको सूचना प्रदान नहीं करवाता तो ऐसे में यह माना जाता है कि वह अधिकारी नागरिकों को सूचना नहीं देना चाहता और ऐसे में

आर.टी.आई. एक्ट 2005 के उल्लंघन के अपराध के मामले में उस अधिकारी पर कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही के तौर पर उस अधिकारी को निलंबित भी किया जा सकता है या 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

9-3-5- vkjVhvkbZ vf/kfu;e ds mn~ns”; **(Objectives of RTI Act)** :

1. नगरिकों को सरकार से सवाल करने का अधिकार दें।
2. यह अधिनियम सरकार के कामकाज में पारद”िता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
3. यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है।
4. इस अधिनियम में बेहतर जानकारी वाले नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में आव”यक निगरानी रखेंगे।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds rgr egRoiw.kZ izko/kku :

- धारा 2 (एच) : लोक प्राधिकरण का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन सभी प्राधिकरण और निकाय। सार्वजनिक निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नागरिक समाज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं।
- धारा 4 1 (बी) सरकार को सूचनाओं को बनाए रखना और सक्रिय रूप से प्रकट करना होता है।
- धारा 7 : पीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है।
- धारा 8 : केवल न्यूनतम जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
- धारा 8 (1) में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रस्तुत करने पर छूट का उल्लेख है।
- धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण का प्रावधान करती है यदि व्यापक जनहित की सेवा की जाती है।
- धारा 19 : अपील के लिए दो स्तरीय तंत्र।
- धारा 20: समय पर जानकारी प्रदान करने में विफलता, गलत, अधूरी या भ्रामक या विकृत जानकारी के मामले में दंड का प्रावधान है।
- धारा 23 : निचली अदालतों को वादों या आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया जाता है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत

के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है।

vkjVhvkbZ vf/kfu;e dk egRo

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन में प्रचलित सत्ता की गोपनीयता और दुरूपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है।
- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ही ऐसी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।
- सूचना का अधिकार सूचना को सार्वजनिक हित के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारद"र्ाी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए कए महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- प्राप्त जानकारी न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है बल्कि अन्य उद्दे"यों के लिए भी उपयोगी होती है जो समाज के समग्र हितों की सेवा करती है।
- हर साल, लगभग छह मिलियन आवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत दायर किए जाते हैं, जिससे यह वि"व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सन"ाइन कानून बन जाता है।
- ये एप्लिके"ान दे"ा के सर्वोच्च कार्यालयों पर सवाल उठाने के लिए बुनियादी अधिकारों और अधिकारों के वितरण के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर कई मुद्दों पर जानकारी मांगते हैं।
- आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए, लोगों ने जानकारी मांगी है कि सरकारें प्रकट नहीं करना चाहेंगी क्योंकि यह राज्य द्वारा भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गलत कामों को उजागर कर सकती है।
- नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों, निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी जवाबदेही सुनि"चत करने का एक साधन है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से बहने वाला एक

gky d: l"kks/ku

- आरटीआई सं"ाोधन विधेयक 2013 राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के दायरे से हटा देता है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाता है।

- मसौदा प्रावधान 2017 जो आवेदक की मृत्यु के मामलें में मामले को बंद करने का प्रावधान करता है, व्हिसलब्लोअर के जीवन पर और हमले कर सकता है।
- प्रस्तावित आरटीआई सं”ाोधन अधिनियम 2018 का उद्दे”य केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तय करने की शक्ति देना है, जो कि आरटीआई अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित है। यह कदम सीआईसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करेगा।
- अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित 5 साल के कार्यकाल को जितना निर्धारित किया गया है, उसे बदलने का प्रस्ताव है।

vkjVhvkbZ vf/kfu;e & lac) pqukSfr;k

- विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगी जाती है जिसका कोई सार्वजनिक हित नहीं होता है और कभी–कभी कानून का दुरूपयोग करने और सार्वजनिक अधिकारियों को परे”ाान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए –
  - हता”ा और वि”ााल जानकारी के लिए पूछना।
  - आरटीआई दायर करके प्रचार प्राप्त करने के लिए।
  - सार्वजनिक प्राधिकरण को परे”ाान करने या दबाव बनाने के लिए प्रति”ाोधी उपकरण के रूप में आरटीआई दायर की गई।
- दे”ा में बहुसंख्यक आबादी के बीच अ"िाक्षा और अनभिज्ञता के कारण आरटीआई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि आरटीआई का उद्दे”य "िाकायत निवारण तंत्र बनाना नहीं है, सूचना आयोगों के नोटिस अक्सर "िाकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को प्रेषित करते है।

lwpuk dk vf/kdkj vkSj futrk dk vf/kdkj dk chp varj

निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों ही आधुनिक समाज में आव”यक मानव अधिकार हैं जहां तकनीकी सूचना का उल्लंघन बहुत आम है। अधिकां”ा मामलों में सरकारों को व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह ठहराने में ये दोनों अधिकार एक दूसरे के पूरक है।

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को सरकारी निकायों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, निजता का अधिकार कानून व्यक्तियों को उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो सरकारों और निजी निकायों के पास है।

सूचना का अधिकार अधिनियम बनाम सूचना के गैर प्रकटीकरण के लिए कानून :

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (धारा 123,124 और 162) के कुछ प्रावधान दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकने का प्रावधान करते हैं।
    - इन प्रावधानों के तहत, विभाग के प्रमुख राज्य के मामलों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं और केवल यह शपथ लेते हुए कि यह एक राज्य रहस्य है, जानकारी का खुलासा नहीं करने का अधिकार होगा।
    - इसी प्रकार किसी भी लोक अधिकारी को सरकारी वि"वास में उसे की गई संसूचनाओं का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1912 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानकारी का खुलासा करना अपराध होगा।
- केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम एक सरकारी कर्मचारी को सरकार के सामान्य या वि"ाेष आदे"ा के अलावा किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के साथ संवाद या भाग नहीं लेने का प्रावधान करता है।
- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी दस्तावेज को गोपनीय के रूप में चिह्नित कर सकता है ताकि उसके प्रका"ान को रोका जा सके।

निश्कर्श

- व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम अपने पूर्ण उद्दे"यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसे सामाजिक न्याय, पारदर्"िाता हासिल करने और एक जवाबदेह सरकार बनाने के लिए बनाया गया था।
- यह कानून हमें शासन की प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है, वि"ाेष रूप से जमीनी स्तर पर जहां नागरिकों का इंटरफेस अधिकतम है।
- यह सर्वविदित है कि शासन में सुधार के लिए सूचना का अधिकार आव"यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शासन में जवाबदेही लाने के लिए बहुत कुछ करने की आव"यकता है, जिसमें व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा, शक्ति का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ अधिकार का संलयन शामिल है।

- जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के दुरूपयोग से उचित रूप से निपटा जाना चाहिए अन्यथा जनता इस ‘‘सन”ाइन एक्ट’’ में वि”वास और वि”वास खो देगी।

9-4- ikB d: vkx: dk e|[; Hkkx (Further main body of the text)

9-4-1- lpuk feyu: dh r; lhek (Information Getting Time Limitation) & सूचना के अधिकार की खासियत ही यही है कि एक तय समय के भीतर ही सूचना ली जा सकती है, पी.आई.ओ. को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक पी.आई.ओ. को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए।

सूचना देने में यदि देर की जाती है या सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है। सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आर.टी.आई. अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है और यदि सूचना लेने वाला व्यक्ति सूचना से संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील भी कर सकता है।

9-4-2- vf/kfu;e d: e|[; i:ko/kku (Main Provisions of the Act) & इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कम्प्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।

इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे सम्बन्धित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया

जाएगा। यह अधिनियम जम्मू और क”मीर (यहाँ जम्मू और क”मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।

इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।

राष्ट्र की संप्रभुता, एकता–अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

9-4-3- Hkkjr e: ykdiky rFkk ykdk;Dr **(Lokpal and Lokayukta in India)** & आधुनिक लोकतांत्रिक दे”ाों में इस बात की अधिकाधिक महसूस की जा रही है कि राज्य में एक ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण होना चाहिए जो प्र”ाासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्भिकतापूर्वक विचार कर सके तथा इस संबंध में जनता की f”ाकायतों की समुचित छान–बीन कर उन्हें दुर करने की दि”ाा में प्रभाव”ााली भूमिका निभा सके और इस प्रकार जनता में प्र”ाासन के प्रति निरंतर गिरते जा रहे वि”वास को पुनः ऊपर उठा सके। ओम्बुड्समैन एक ऐसा ही स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है जो जनता का वि”वास प्राप्त करने के लिए उसकी f”ाकायतों का निराकरण करने हेतु उचित कार्यवाही करता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन ऐसी ही संस्था है।

D;k g ykdiky vkj ykdk;Dr & लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केन्द्र) के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय है। ये Ombusdman का कार्य करते हैं और कुछ नि”चत श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।

,lh lLFkkvk dh vko”;drk D;k g & खराब प्र”ाासन दीमक की तरह है जो धीरे–धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्र”ाासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएँ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी CBI को 'पिंजरे का तोता' और 'अपने मालिक की आवाज' बताया है। इनमें से कई एजेंसियों मेंनाममात्र शक्तियों वाले केवल पराम”र्ाी निकाय हें और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक पारद”र्िता और जवाबदेही को भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में,

एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है।

पृश्ठभूमि – लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था की अधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय वि”वयुद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नार्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में एक वर्ष 961 के व्हाट्ट रिपोर्ट (Whyatt Report) की सिफारि”ा पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक वि”व में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा दे”ा बन गया। गुयाना प्रथम विकास”ाील दे”ा था, जिसने वर्ष 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मौरी”ास, सिंगापुर, मले”िाया के साथ भारत ने भी इसे अपनाया। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के द”ाक ही शुरूआत में कानून मंत्री v”kksd dqekj lsu ने संसद में प्रस्तुत किया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता Mk- ,y-,e- fla?koh ने पे”ा किया। वर्ष 1966 में प्रथम प्र”ाासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों (सांसद सदस्य भी शामिल) के विरुद्ध ि”ाकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारि”ा की थी। वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया और इसके बाद से यह लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ। वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए आठ प्रयास किये गए, लेकिन सभी में अस फलता ही मिली। वर्ष 2002 में ,e-,u-osadV pyS;k की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति कर सिफारि”ा करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही। वर्ष 2005 में ohjIik eksbyh की अध्यक्षता में द्वितीय प्र”ाासनिक सुधार आयोग ने सिफारि”ा की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। वर्ष 2011 में सरकार ने iz.kc eq[kthZ की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। vUuk gtkjs के नेतृत्व में ‘भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन’ ने केन्द्र में तत्कालीन UPA सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों

में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक, 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी, 2014 को यह लागू हो गया।

9-4-4- ykdiky ,o ykdk;Dr ¼la”kks/ku½ fo/ks;d] 2016 **(Lokpal and Lokayukta (Amendment) Bill, 2016)** & लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को सं”ोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी सं”ोधन किया गया जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोकसेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। सं”ोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय–सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोकसेवक अपनी सम्पत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीके से करेंगे। यह ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति/पत्नी की परिसम्पत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है, उन मामलों में जहाँ वे एक करोड़ रूपये से अधिक सरकारी या 10 लाख रूपये से अधिक विदे”ी धन प्राप्त करते हो।

ykdiky dh lajpuk & लोकपाल एक बहु–सदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधी”ा या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिनके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, सार्वजनिक प्र”ाासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का वि”ाष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50 प्रति”ात सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधी”ा या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधी”ा होना चाहिए। गैर–न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्र”ाासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का वि”ाष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की

सिफारि"ा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमन्त्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधी"ा या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधी"ा और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम आठ व्यक्तियों का एक सर्च पैनल (खोजबीन समिति) गठित करती है।

ykdiky [kkstchu lfefr & लोकपाल अधिनियम, 2013 के अधीन कार्मिक एवं प्र"ाक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनाने के इच्छुक हो। इसके बाद यह सूची उस प्रस्तावित आठ सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाएगी जो नामों की शॉर्टलिस्ट करेगी और प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती। सितम्बर, 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधी"ा jatuk idk"k nslkbl की अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति गठित की थी। 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर लोकायुक्त का पद स्थापित करें।

9-4-5- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं भाक्तियाँ (Jurisdiction and Powers of Lokpal)** & लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए.बी.सी. और डी. अधिकारी तथा केन्द्र सरकार के अधिकारी शामिल है। लोकपाल का प्रधानमन्त्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो। संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय/समिति का प्रभारी (निदे"ाक/प्रबंधक/सचिव) है या रहा है जो केन्द्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। लोकपाल अधिनियम यह आदे"ा देता है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें। इसके पास CBI की जाँच करने तथा उसे निर्दे"ा देने का अधिकार है। यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जाँच

अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल की जाँच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ दी गई है। वि"ोष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्ति की गई है। लोकपाल को ऐसे लोकसेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारि"ा करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। लोकपाल की प्राथमिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्दे"ा देने का अधिकार है।

lhek,¡ & लोकसभा संस्था भारत की प्र"ाासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कुछ खामियाँ और कमियाँ भी है जिन्हें दुरूस्त किये जाने की आव"यकता है। संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पाँच वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, जो राजनीतिक इच्छा"ाक्ति में कमी का संकेतक है। लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के एक साल के भीतर लोकायुक्त नियुकत करने के लिए कहा गया है, परन्तु केवल 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्ति नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्ति राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित है। लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मानदंड नहीं है कि कौन एक 'प्रख्यात न्यायविद' या 'सत्यनिष्ठा' का व्यक्ति है। वर्ष 2013 का अधिनियम व्हिसल ब्लोअर को कोई ठोस सुरक्षा नहीं देता। यदि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पाया जाए तो f"ाकायतकर्ता के विरूद्ध जांच शुरू करने का प्रावधान लोगों को f"ाकायत करने से हतोत्साहित ही करेगा। इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है। लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरूद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति से सम्बन्धित वि"ाष्ट विवरण पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कुछ सीमा तक CBI की कार्यात्मक स्वतंत्रता की आव"यकता को इसके निदे"ाक की नियुक्ति में इस अधिनियम में सं"ाोधन करके पुरा किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध f"ाकायत उस तिथि से सात साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी f"ाकायत में कथित अपराध किए जाने का उल्लेख हो।

l|>ko & भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता तथा मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों मामलों में ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्था को मजबूत किया जाए। स्वयं को सार्वजनिक जाँच का विषय बनाने के लिए इच्छुक एक अच्छे नेतृत्व के साथ–साथ अधिक पारदर्"िाता, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समुहों के स"ाक्तिकरण की आव"यकता है। लोकपाल की नियुक्ति ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जाँच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी करना सरकार के आकार में तो वृद्धि करेगा, परन्तु यह आव"यक नहीं है कि इससे प्र"ाासनिक कार्यों में भी सुधार हो जाए। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त उनसे वित्तीय प्र"ाासनिक और कानूनी रूप से अव"य स्वतंत्र होने चाहिए जिनकी जाँच एवं जिन्हें दण्डित करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियाँ पारदर्"िाता से होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार से लोगों के पदस्थापित होने की संभावना को कम किया जा सके। किसी एक संस्था या प्राधिकारी में अत्यधिक शक्ति के संचयन को टालने के लिए समुचित जवाबदेही व्यवस्था के साथ विकेंद्रीकृत संस्थाओं के बाहुल्य की आव"यकता है।

9-4-6- orZeku yksdiky laLFkk dh fLFkfr **(Current Status of Lokpal Institution)** & प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधी"ा fiukdh pna **घोश** दे"ा के पहले लोकपाल के लिए किया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा चार न्यायिक और चार गैर–न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। न्यायिक सदस्यों में tfLVl fnyhi ch- Hkksly] tfLVl iznhi dqekj eksgarh] **जस्टिस अभिलाशा कुमारी और जस्टिस अजर कुमार त्रिपाठी** है। इनके साथ SSB की प्रमुख vpZuk jkelqanje और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव fnus"k dqekj tSu और bnzthr izlkn xkSre को गैर–न्यायिक सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही दे"ा में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है।

9-5- viuh izxfr tkps **(Check your progress)**

निचे कुछ प्र"न दिए गए है जिनका आपने उत्तर देना है :–

(i) सूचना का अधिकार कब लागू किया?

(ii) सूचना का अधिनियम कब पास हुआ?

(iii) भारत में लोकपाल संस्था का गठन कब किया?

(iv) लोकपाल संस्था का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?

(v) सूचना के अधिनियम के तहत सूचना देने की समय सीमा कितनी है?

9-6- lkjk”k (Summary)

सरकार में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने एवं जनता का ध्यान सरकार के कार्यों की तरफ खींचने एवं नागरिकों में राजनीतिक चेतना के बढ़ावे हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागु किया गया था। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया था, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकु”ा लगाने का यह सबसे बेहतरीन मार्ग था।

9-7- **सूचक भाब्द (Key Words)**

सूचना का अधिकार, लोकपाल, लोकायुक्त

lwpuk dk vf/kdkj & सूचना के अधिकार से हमारा अभिप्राय उस अधिकार से है जिसके माध्यम से हम किसी सरकारी संस्था से कोई जानकारी की मांग कर सकते हैं।

ykdiky & लोकपाल संस्था का गठन भारत में मार्च 2019 में किया गया। लोकपाल केन्द्र सरकार की वह संस्था है जो भ्रष्टाचार पर अंकु”ा लगाने का प्रयास करती है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते है।

ykdk;qDr & लोकायुक्त सदस्यों का गठन राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकु”ा लगाने के लिए किया जाता है।

9-8- Lo;a eqY;kadu gsrq iz”u **Self Assessment Questions :**

Q.1. सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए।

Q.2. सूचना के अधिनियम के क्या–क्या प्रावधान है?

Q.3. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए?

Q.4. लोकायुक्त की शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

9-9- viuh izxfr dh tkap djus ds fy, mÙkj **(Answer check your progress)**

(i) 12 अक्टुबर 2005 को

(ii) 2005 में

(iii) मार्च 2010 में

(iv) 2013 में

(v) 30 दिन

9-10- lUnHk xUFk@funf”kr i|Lrd **(References/Suggested Reading)**

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके”ान एण्ड डिस्ट्रीब्यू”ान।